Par. S. 17. I. 16. 52
285

सत्यमेव जयते

अंक १ | सोमवार,
संख्या १६ | ९ जून, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

---:o:---

भाग १ – प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्य जिन्होंने शपथ ग्रहण की [पृष्ठ भाग ९११]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ९११—९५१]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ९५१—१०१०]

(मूल्य ४ आने)

525 P.S.D.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, ९ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई
[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

सदस्य जिन्होंने शपथ ग्रहण की

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडिता [जिला लखनऊ (मध्य)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नारियल के दाम

*५७४. **श्री वैलायुधन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखने के लिये कि नारियल के दाम और अधिक न गिर जायें सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) चूंकि सभी चीजों के भाव सामान्य रूप से गिरे और नारियल के दाम भी गिरे इन दामों का गिरना सरकार के बस की बात नहीं है अतः इस संबंध में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी ।

श्री वैलायधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत में लंका तथा मलाया से नारियल तथा नारियल का तेल उन्मुक्त रूप से आयात करने के बाद नारियल के दाम पर्याप्त रूप से गिरने लगे ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान् ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि नारियल तथा नारियल के तेल के आयात के विषय में इन देशों के साथ द्विपक्षी करार के हो जाने के पश्चात् लंका तथा मलाया से भारत में नारियल तथा नारियल का तेल कितनी मात्रा में आयात किया गया था ?

श्री करमरकर : लंका तथा मलाया से आयात की गई विशेष मात्राओं के संबंध में मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं गत चार वर्षों के नारियल तथा नारियल के तेल के दाम जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य को केवल दो वर्षों के दाम बता सकता हूं । ६३ रुपये ९ आने युद्ध-पूर्व दामों की तुलना में नारियल के तेल (कोचीन) का दाम अप्रैल, १९५० में ६१६ रुपये ९ आने तथा मई १९५२ में ४१३ रुपये था । इन दोनों तारीखों के बीच इसका दाम गिर गया है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि कोपरा के आयात शुल्क तथा तटकर शुल्क दोनों में कमी हुई है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि तटकर शुल्क तथा आयात शुल्क वही हैं और अभी हाल ही में उन में कमी हुई है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या आयात की पहली नीति को बदलने से पहिले सरकार ने नारियल समिति से परामर्श किया था ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यह मुझे ठीक नहीं मालूम ।

श्री नम्बियार : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए इन भावों के गिरने के कारण नारियल पैदा करने वालों के सामने गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार तटकर प्रश्न पर पुर्नविचार करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो सुझाव दे रहे हैं ।

श्री पोकर साहेब : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कोपरा पर फिर से आयात शुल्क लगाने की वांच्छ नीयता पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह भी सुझाव ही है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के साबुन बनाने वालों ने यह मांग की थी कि लंका से आने वाले कोपरा पर लगे हुए शुल्क को कम कर दिया जाय ?

श्री करमरकर : हां, श्रीमान् । दामों को कम करने के विचार से उन्होंने यह मांग की थी ।

धातुकर्मिक कोयले का उत्पादन

*५७५. **श्री वैलायुधन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलों के कोयलों की खानों में धातुकर्मिक कोयला निकलता है जिस के कारण घटिया किस्म के कोयले की निकासी कम हो गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : रेलों की कोयले की खान से धातुकर्मिक कोयला निकलता तो है किंतु इस के कारण घटिया किस्म के कोयले का निकलना कम नहीं हुआ है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार के व्यापारियों ने भारत सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि इस धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन के कारण दूसरे प्रकार के कोयलों के मूल्य पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक मुझे मालूम है उस संघ ने इस विषय में कोई अभ्यावेदन नहीं किया है । किंतु उन्होंने कुछ ऐसे अभ्यावेदन किये हैं जिस में उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि उन्हें अपने कोयले के परिवहन के लिये पार्श्व सुविधायें दी जायें ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन व्यय अन्य प्रकार के कोयले से कम है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

रुई (निर्यात)

*५७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५१-५२ वर्ष के उत्तरार्द्ध भाग में इस देश से निर्यात की गई रूई की मात्रा बतलाने की कृपा करेंगे?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : ४०० पौंड की २,४३० गांठें ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या १९५१-५२ के उत्तरार्द्ध भाग की रूई की निर्यात उसी वर्ष के पूर्वार्द्ध भाग के निर्यात के आंकड़ों से अधिक है ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार यह बात जानती है कि कुछ भारतीय मिलें भारतीय रूई को नहीं खरीद रही हैं ?

श्री करमरकर : दो महीने पहले तो यही बात थी, किन्तु अब तो भारतीय मिलें काफ़ी भारतीय रुई खरीद रही हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार का विचार रूई के आयात को कम करने का है ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान्। हमारा विचार तो आयात को कम करने का है। हमारे कार्यक्रम के अनुसार एक विशेष मात्रा तो पहले ही आ चुकी है। आयात में कमी करने के विचार से हम लायसेंस की अवधि बढ़ा रहे हैं।

जनाब अमजद अली : क्या सरकार भारत से विशेष कर आसाम की गारो पहाड़ियों से निर्यात की गई छोटे रेशों तथा लम्बे रेशों वाली रूई की मात्रा बता सकती है ?

श्री करमरकर : १९५१-५२ में कपास का कुल निर्यात १,२६,२७७ गांठें थीं और इस में से प्रायः सभी छोटे रेशे वाली रूई थी। हम बीच तथा लम्बे रेशे वाली रूई का निर्यात नहीं करते।

जनाब अमजद अली : क्या यह सत्य है कि इस वर्ष आसाम की गारो पहाड़ियों से होने वाली रूई का निर्यात अधिक आयात शुल्क लगाने के कारण कम हो गया ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कोमिल्ला वाली रूई का निर्देश कर रहे हैं। मुझे उस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री पुन्नूस : क्या कुछ रुई की मिलें इस कारण बन्द हुई कि उन्हें रुई नहीं मिलती ?

श्री **करमरकर** : मुझे इसका पता नहीं।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि रूई का निर्यात इसलिये किया गया था क्योंकि देश में इसकी मांग नहीं थी और मैं जान सकता हूं कि यह निर्यात किस देश को किया गया था ?

श्री करमरकर : प्रश्न के पिछले भाग के संबंध में मुझे पूर्वसूचना चाहिये। जहां तक पहले भाग का संबंध है हम केवल ऐसी रूई का निर्यात करते थे जो कि कातने योग्य न होती, अर्थात् वह रुई जो हमारे लिये अनुपयोगी थी।

नमक (पाकिस्तान को निर्यात)

*५७७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री जनवरी १९५२ से पूर्वी पाकिस्तान को निर्यात किये गये नमक की मात्रा बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : जनवरी-अप्रैल १९५२ की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान को ३,९४,२३५ मन नमक का निर्यात किया गया है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या हम भी पाकिस्तान से किसी प्रकार के नमक का आयात करते हैं ?

श्री करमरकर : हम पश्चिमी पाकिस्तान से आयात किया करते थे। किंतु मैं समझता हूं कि हम कुछ भी आयात नहीं करते।

श्री नानादास : क्या सरकार की नीति देश में नमक उत्पादन को प्रोत्साहन देने की है ?

श्री करमरकर : हां।

श्री आर० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार का नमक—सांभर, खरघोदा, द्रंगध्रा नमक अथवा समुद्री नमक पाकिस्तान को निर्यात किया जाता था ?

श्री करमरकर : यह किस प्रकार का नमक था इस की मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री बादशाह गुप्त : मैं जान सकता हूं कि क्या हम नमक उतनी मात्रा में पैदा करते हैं जितने की देश को आवश्यकता है ?

श्री करमरकर : हां श्रीमान्, उससे थोड़ा अधिक ही।

श्री पुन्नूस : क्या मैं भारत में राज्यवार उत्पादित नमक की मात्रा जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : कुल उत्पादित मात्रा के संबंध में तो आंकड़े मैं पिछले सप्ताह ही बता चुका हूं। राज्यवार आंकड़ों के संबंध में मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

योल शिविर में विस्थापित व्यक्ति

*५७८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५२ में योल शिविर में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) पहली जनवरी, १९५२ में निवासियों की संख्या कितनी थी ; तथा

(ग) जो व्यक्ति इन तारीखों के बीच वहां से हटाये गये हैं उन्हें किस प्रकार और कहां पुनर्वासित किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ११,१६५।

(ख) १३,६५९।

(ग) २,४०५ को राजस्थान में भूमि देकर बसाया गया, ५८ को देहरादून के उप-नगर प्रेम नगर में बसाया गया और ३१ व्यक्ति अपनी इच्छा से योल शिविर छोड़ कर चले गये।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन में से किसी को भोपाल भी भेजा गया है ?

श्री ए० पी० जैन : इन में से कोई नहीं किंतु अन्य भेजे गये हैं।

सरदार हुक्म सिंह : वे किस शिविर में से भेजे गये थे ?

श्री ए० पी० जैन : उन्हें योल शिविर से भोपाल भेजा गया था।

सरदार हुकम सिंह : क्या यह सत्य है कि जब ये व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचे तो पीने को पानी भी नहीं मिला ?

श्री ए० पी० जैन : पूरे भोपाल में पानी की कमी है, किंतु अब इसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : सिंचाई के पानी की तो बात ही छोड़िये, क्या इस बात को देखने के लिये कि, यहां लोगों को पीने का पानी मिल सकता था, इस स्थान का पर्यालोकन किया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : पूरे भोपाल का पर्यालोकन किया गया है। इस वर्ष अपवाद रूप से कठिनाई रही है। यह एक असाधारण बात थी कि वहां पानी की कमी रही है।

सरदार हुक्म सिंह : यह पर्यालोकन कहां किया गया था कि जिससे यह पता लगा कि वहां पीने को पानी मिल सकता है ?

श्री ए० पी० जैन : बहुत समय तक यह रहने की जगह थी और यहां पानी था किंतु इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण, यहां पानी नहीं मिल सका।

श्री हेम राज : मैं जान सकता हूं कि क्या उन व्यक्तियों को पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के समान ही समझा जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : हां, उन्हें उन के समान ही समझा जाता है।

श्री हेम राज : मैं जान सकता हूं कि क्या उन के दावों का पंजीयन भी उसी आधार पर होगा ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री ए० पी० जैन : उन के दावों के पंजीयन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उन की संपत्ति अब दोनों देशों में ही निष्क्रांत संपत्ति हो गई है।

मशीनों के पुर्जे (आयात)

*५७९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में स्थापित आयात कर्त्ताओं तथा वास्तिविक उपभोक्ताओं (पृथक् पृथक्) द्वारा आयात किये मशीनों के पुर्जों (अपूंजीगत माल) का कितना मूल्य है ; तथा

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी जिन में वास्तविक उपभोक्ताओं को लायसेंस नहीं दिये गये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) स्थापित आयात कर्त्ताओं तथा वास्तविक उपभोक्ताओं के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष १९५१-५२ में आयात किये गये कुछ मशीनों के पुर्जों का कुल मूल्य १७९.४८ लाख रुपये था।

(ख) अस्वीकृत आवेदन पत्रों की कुल संख्या ५९ है। वास्तविक उपभोक्ताओं संबंधी पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह और भी बताना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट मशीनों के पुर्जे छेद करने वाली, धार तेज करने वाली, पीसने वाली तथा चीजें बनाने वाली (शेपिंग) तथा खराद करने वाली मशीनें हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या वास्तविक उपभोक्ताओं को कोटा न दिये जाने के कोई कारण थे ?

श्री करमरकर : मशीनों के पुर्जों के आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का मुख्य आधार यह है कि उसी प्रकार के मशीनों के पुर्जे तो भारतीय कारखाने भी दे सकते हैं। अन्यथा सरकार सामान्यतः सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लेती है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोटा प्रत्येक आवेदन पत्र के गुण दोषों के आधार पर दिया जाता है अथवा किसी कोटा प्रणाली को चलाया गया था तथा उन्हें उसी प्रणाली के अनुसार कोटा दिया गया था।

श्री करमरकर : आयात कर्त्ताओं के मामले में तो इसी प्रणाली का अनुसरण किया जाता है किंतु वास्तविक उपभोक्ताओं के मामले में सरकार प्रत्येक आवेदन पत्र के गुण दोषों के आधार पर कोटा निर्धारित करती है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इस चीज के लिये नवागन्तुकों के मामले पर भी विचार किया गया था ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान्।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या वास्तविक उपभोक्ताओं को स्थापित आयात कर्त्ताओं से अलग पृथक् रूप से लायसेंस दिये जाते हैं ?

श्री करमरकर : दोनों में से प्रत्येक को पृथक् पृथक् लायसेंस दिये जाते हैं।

श्री वैलायुधन : फिर यह कठिनाई क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, हमें इस बात पर तर्क नहीं करना चाहिये।

श्री झुनझुनवाला : क्या ऐसी कोई योग्यतायें निर्धारित हैं जिन के आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को लायसेंस मिल सकते हैं ?

श्री करमरकर : वास्तविक उपभोक्ता तो वे हैं जिन के लिये यह समझा जाता है कि वे उन वस्तुओं का वास्तव में प्रयोग करते हैं। केवल इतनी ही शर्त है।

श्री झुनझुनवाला : क्या वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये कोई शर्त्त लगाई गई है कि जो व्यक्ति ५० मजदूरों से काम लेते

हैं केवल उन्हें ही वास्तविक उपभोक्ता समझा जायगा और केवल उन्हीं की सिपारिश की जायेगी ?

श्री करमरकर : स्पष्टत: मेरे माननीय मित्र भविष्य में लायसेंस देने की प्रणाली का निर्देश कर रहे हैं जिस के अन्तर्गत किसी को अपने आप को वास्तविक उपभोक्ता बनाने के लिये अपने कारखाने अथवा सार्थ में ५० मजदूर रखने चाहियें ।

श्री झुनझुनवाला : पहिले तो यह बात नहीं थी ?

श्री करमरकर : स्पष्टत: पहिले तो ऐसा नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न को लेंगे।

भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी मुसलमान

*५८०. **श्री बी० के० दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में पाकिस्तानी मुसलमानों के भारत में अनधिकार रूप से प्रवेश करने की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उन की संख्या का पता लगा लिया गया है ;

(ग) उनमें से कितने गिरफ्तार कर लिये गये हैं ; तथा

(घ) उनके भारत में प्रवेश करने का क्या उद्देश्य पाया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां।

(ख) उनकी वास्तविक संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

(ग) लगभग ७०० व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

(घ) इस प्रकार के अनधिकार प्रवेश करने का उद्देश्य भारत में वापिस आकर मुख्यत: स्थायी रूप से बसने का ही है । बहुत से मामलों में इस प्रकार के प्रवेश का उद्देश्य जासूसी करना, पशुओं को उठा ले जाना, करापहरण करना तथा संपत्ति को बेच देना है ।

श्री बी० के० दास : क्या वे सब व्यक्ति आज्ञा पत्र के बिना ही, जो कि पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, आये थे ?

श्री ए० पी० जैन : भारत आने के लिये आज्ञा पत्र भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी किये जाते हैं और इन में से प्रत्येक व्यक्ति आज्ञा पत्र के बिना ही आये थे ।

श्री बी० के० दास : साधारणत: वे किन प्रांतों में आये ?

श्री ए० पी० जैन : जिन प्रांतों में उन्होंने अनधिकार रूप से प्रवेश किया वे राजस्थान, बम्बई, यू० पी०, पंजाब और कच्छ हैं । जिन कुछ प्रांतों में उन्होंने अनधिकार रूप से प्रवेश नहीं किया है वे मनीपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, हैदराबाद, त्रावन्कोर-कोचीन, अजमेर और उड़ीसा हैं । अन्य प्रांतों में अनधिकार प्रवेश बहुत थोड़ी संख्या में हुआ है ।

श्री बी० के० दास : क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने कपटपूर्ण भावना को ले कर आने वाले व्यक्तियों को शरण दी है ?

श्री ए० पी० जैन : जहां तक मुझे पता है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : और न ऐसी कार्यवाही करने का विचार है । ऐसा करना अत्यधिक अनुचित है ।

श्री बी० शिवा राव : क्या मेरे माननीय मित्र का ध्यान पुर्तगाली सीमा में से होने वाले अनधिकार प्रवेश सम्बंधी किन्हीं मामलों की ओर दिलाया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : हां। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 'पुर्त्तगाली सीमा में से होकर अनधिकार प्रवेश हुआ है । एक ऐसा भी समाचार है कि वे वहां स्टीमर चलाने वाले हैं जिस से संभवत: अनधिकार प्रवेश और बढ़ जायगा, किंतु इस संबंध की हमारे पास और अधिक सूचना नहीं है ।

श्री नम्बियार : यदि गिरफ्तार किये गये ये व्यक्ति यहां शांतिपूर्वक रहने को तैय्यार हों, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है और उस दशा में क्या वे छोड़ दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है ।

श्री गुरुपाद स्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ मुसलमान जिन्होंने भारत में अनधिकार रूप में प्रवेश किया है, पाकिस्तान की ओर से जासूसी कार्य कर रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मैं ने इस प्रश्न का पहिले ही उत्तर दे दिया है ।

बीच का तथा मोटा कपड़ा (दाम)

*५८१. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीच तथा मोटे किस्मों के कपड़े तथा सूत के दामों का पुनरीक्षण किया जायगा, और यदि ऐसा है, तो कब और कैसे; तथा

(ख) क्या कपड़े के दामों के त्रैमासिक पुर्नविलोकन की प्रथा जारी रहेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जून के महीने के लिये दामों का पुनरीक्षण हाल ही में किया गया है । सामान्य पद्धति के अनुसार जुलाई के महीने के लिये उनका पुनरीक्षण फिर किया जायगा ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

श्री बी० आर० भगत : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पुनरीक्षण में दाम बढ़ाये गये हैं, और यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री करमरकर : बढ़िया और बहुत बढ़िया कपड़े के मामले में, जब दामों का— अप्रैल से जून, १९५२ तक के—त्रय मास में गतवार पुनरीक्षण किया गया था तो उन में पहिले त्रय मास की तुलना में लगभग ५ प्रतिशत से से ९ प्रतिशत की कमी हुई थी । इसी प्रकार सूत के दामों में भी कमी हुई थी । केवल मई के महीने के लिये ही मोटे तथा बीच के कपड़े के दामों का पुनरीक्षण हुआ था और उस में ५ से २४ प्रतिशत की कमी हुई थी । दाम लागू किये जाने के बाद वस्त्र आयुक्त लागत पर विचार किया, क्योंकि मिलों ने इस बात का अभ्यावेदन किया कि लागत बढ़ गई है । जून के महीने के लिये, उन्होंने जो जांच की थी उसके परिणाम स्वरूप मई महीने के दामों में .७ प्रतिशत से २.५९ प्रतिशत तक की थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की नीति तीन मास की अपेक्षा दामों का प्रतिमास पुनरीक्षण करने की है ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र इस बात को समझेंगे कि मोटे तथा बीच के कपड़ों के सम्बंध में असाधारण मासिक पुन-रीक्षण की प्रथा आवश्यक समझी गई, क्योंकि

देसी रुई के दामों के सम्बंध में झगड़ा था जिसके दामों में उस समय बहुत उतार चढ़ाव था किंतु सामान्यतः केवल तीन मासों में ही दामों के पुनरीक्षण करने की नीति है ।

श्री बी० आर० भगत : इन दो प्रकार के कपड़ों के उत्पादन व्यय को किस प्रकार निर्धारित किया गया है ? इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि कच्चे माल के दाम गिर जाने के कारण उत्पादन व्यय में कमी हो सकती है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन चीजों के दामों की बाद में जांच करेगी ?

श्री करमरकर : यह मामला सरकार के विचाराधीन है और इस की जांच हो रही है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या इस वक्त रूई का भाव मार्च से सस्ता है ?

श्री करमरकर : इसके लिये तो मुझे नोटिस चाहिये । मैं आजकल अखबारों में देखता हूं कि रोज धीरे-धीरे इंडीजिनस काटन (देसी रूई) की प्राइसेज (दाम) बढ़ती जाती है ।

श्री जांगड़े : मैं जान सकता हूं कि १९५० में इस कपड़े का मूल्य देशनांक क्या था और १९५२ में मूल्य देशनांक क्या है ?

श्री करमरकर : मुझे इसकी पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री जी० डी० सोमानी : मैं पूछ सकता हूं कि मोटे तथा बीच के कपड़ों के दामों में हाल ही में जो परिवर्तन हुये हैं, क्या उसके कारण तटकर पर्षद् सूत्र में निर्धारित निर्माण व्यय की वृद्धि पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है ?

श्री करमरकर : मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रश्न के कारण मुझे इसे स्पष्ट करने का एक अवसर मिल गया । हम ने उन से कहा था कि हम तटकर पर्षद् सूत्र के अनसार कार्य करने को उद्यत हैं किंतु वे इस से प्रसन्न नहीं थे। वे यह चाहते थे कि इस बात पर विचार किया जाय कि इस वृद्धि का प्रभाव किस पर पड़ेगा । अतः हमने इस पर विचार किया । मेरा व्यक्ति गत विचार यह है कि चालू दरों से लागत की वृद्धि पूरी हो जायेगी ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने मोटे कपड़े के दामों में होने वाली इस वृद्धि के कारण कम आय वाले वर्गों के निर्वाह व्यय पर, जब कि खाद्यान्नों के दामों में भी वृद्धि हो गई है, पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र को यह स्मरण होगा कि जून में जो वृद्धि हुई है वह .७ से २.८७ तक है और मेरा विचार है कि निर्वाह व्यय पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री जी० डी० सोमानी : मैं जान सकता हूं कि क्या खाद्य सहायता हटा लेने के कारण बम्बई और अहमदाबाद में निर्वाह व्यय देशनांक में ३२ से होने वाली वृद्धि पर फिर से मूल्य निर्धारित करते समय, विचार किया गया है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री बी० एस० मूर्ति : मोटे कपड़े के उत्पादकों को कितना लाभ प्राप्त होता है ? मैं जान सकता हूं कि क्या इसको और कम करने की कोई और संभावना है ?

श्री करमरकर : इस समय, खुदरे के व्यापारियों को कपड़े पर १४ प्रतिशत तथा सूत पर १२ १/२ प्रतिशत लाभ मिलता है । यदि मेरे माननीय मित्र यह समझते हैं कि इस में परिवर्तन के लिये इस में कोई सुझाव देना है तो वह उसे हमारे पास भेज सकते हैं । हमें इस पर विचार करने में प्रसन्नता होगी ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या रुई तथा कपड़े के दामों में कोई सम्बन्ध है ? यदि ऐसा है, तो जब रुई के दाम गिर गये हैं फिर कपड़े के दामों में वृद्धि करने में क्या औचित्य है ?

श्री करमरकर : जैसा कि मेरे माननीय मित्र को भली भांति विदित है कि कपड़े की क़ीमत में ६० प्रतिशत रुई की कीमत भी आती है । किन्तु रुई से कपड़ा भी बनता है । मिल मालिकों के संघ ने ही कहा था कि उस में वृद्धि हुई थी । सरकार को उस पर भी विचार करना पड़ा था ।

विस्थापित व्यक्तियों को टैक्नीकल प्रशिक्षा

*५८२. श्री **एस० सी० सामन्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि विस्थापित विद्यार्थियों के लिये एक टैक्निकल केन्द्र कलकत्ता के समीप जादवपुर टैक्निकल संस्था के साथ संलग्न की जायेगी ;

(ख) यदि ऐसा है, तो कितना धन तथा आवर्त्तक अनुदान स्वीकृत किये गये हैं और एक साथ वहां कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है ; तथा

(ग) वहां अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां।

(ख) २,८९,००० रुपयों की एक पूंजीगत अनुदान । आवर्त्तक अनुदान की राशि पर विचार हो रहा है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ३२८ विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

(ग) एक विवरण, जिस में उन सब व्यवसायों का उल्लेख है जिन में प्रशिक्षा दी जायेगी, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सामान्य विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई व्यवस्थापित व्यक्तियों के साथ जारी रखने दिया जायेगा ?

श्री **ए० पी० जैन** : मुझे पता नहीं कि वहां सामान्य विद्यार्थी हैं या नहीं । जिन संस्थाओं को सरकार ने स्थापित किया वे मुख्य रूप से व्यवस्थापित व्यक्तियों के लिये ही हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

श्री **ए० पी० जैन** : हां । २० रुपये प्रतिमास ; ३५ रुपये योग्य विद्यार्थियों को ।

श्री **एस० सी० सामन्त** : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत की किसी अन्य संस्था में भी ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री **ए० पी० जैन** : बहुत बड़ी संख्या में । मैं समझता हूं कि सरकार लगभग १२,००० विद्यार्थियों को पूर्व और पश्चिम में प्रशिक्षा दे रही है ।

श्री**मती रेणु चक्रवर्ती** : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि इन प्रशिक्षित विद्यार्थियों को काम पर लगाया जाय ?

श्री ए० पी० जैन : हां । हम उन्हें नौकरी दिलाने का प्रयत्न करते हैं । हम उन्हें छोटे पैमाने पर उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण भी देते हैं ।

अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता

*५८३ **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ में भारत में कितने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए ; तथा

(ख) उन संस्थाओं अथवा सम्मेलनों से अनुदान अथवा ऋणों के रूप में कतनी आर्थिक सहायता मिली ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):

(क) दस ।

(ख) कोई नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सिंचाई तथा नहरों का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग और इसी प्रकार के सम्मेलन जनवरी, १९५१ में हुए थे, और सांख्य की सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का अधिवेशन भी कलकत्ता तथा दल्ली में हुआ था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: हां । जहां तक पहिले का सम्बन्ध है, वह तो पूछी गई अवधि में आता ही नहीं है । जहां तक दूसरे का सम्बन्ध है, निश्चय ही यह मेरे उत्तर में सम्मिलित है ।

श्री ए० सी० गुहा : ये कौन से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं जो उस वर्ष हुए थे और वे किस विषय पर हुए थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : (१) सरकारी यात्रा सम्बन्धी संगठन का अन्तर्राष्ट्रीय संघ का एशियन तथा सुदूर पूर्व यात्रा आयोग ; (२) भारत-प्रशांत सागर मात्सिकी समिति; (३) अन्तर्राष्ट्रीय सांख्य की सम्मेलन; (४) राष्ट्र-मंडल चिकित्सा सम्बन्धी सम्मेलन ; (५) श्रम सम्बन्धी निरीक्षण की प्रादेशिक शिक्षा गोष्ठी ; (६) श्रम सांख्य की सुदूर पूर्व टैक्निकल सहायता सम्बंधी शिक्षा गोष्ठी ; (७) मानव तथा शिक्षा की विचार धारा पर दार्शनिक चर्चा ; (८) विद्यालयों में संयुक्त राष्ट्र संघ का ज्ञान कराने के उपायों पर शिक्षा गोष्ठी ; (९) युवक कल्याण सम्बन्धी शिक्षा गोष्ठी ; (१०) चिकित्सा सम्बन्धी इतिहासकारों की सम्पर्क समिति ।

श्री **बी० एस० मूर्ति**: मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस पर कुल कितना व्यय किया तथा क्या यह तथ्य नहीं है कि जब ये सम्मेलन दूसरे देशों में होते हैं तो कुछ अनुदान दिये जाते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: खेद है कि मेरे पास ये आंकड़े यहां नहीं हैं ।

श्री **एस० सी० सामन्त** : मैं जान सकता हूं कि क्या जल विद्युत निर्माण-कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का भी सम्मेलन हुआ था ?

श्री **जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता।

मशीन के औजारों का कारखाना

*५८४. श्री **एस० सी० सामन्त : क्या उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत औज़ारों को बनाने के कारखाने को स्थापित करने की प्रस्तावित योजना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह कहां पर स्थापित की जायेगी ;

(ग) इस पर कितना धन व्यय किया जायेगा ; तथा

(घ) क्या इस के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है और कारखाने की स्थायी इमारत बना ली गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) उन ५ बड़े शेड (हैंगर्स) में से, जिन में वह कारखाना काम करना प्रारम्भ करेगा, २ बन चुके हैं । बचे हुये बड़े शेड कारखाने के स्थान पर ले जाये जा रहे हैं जहां पर उन्हें पहुंचते ही तुरन्त बना कर तैयार कर दिया जायगा ।

जर्मनी से क्षत्तिपूर्ति के रूप में प्राप्त ६० मशीनें तो पहिले से ही वहां पर स्थापित किये जाने के लिये उस स्थान पर हैं। मशीनों के लिये ७.९२ लाख स्विस फ्रैंक्स [= ८६,१६,९६० रुपये] के व्यादेश पहले ही यूरोप में दिये जा चके हैं। यूरोप से भारत को सामान आने लगा है ।

कारखाने के प्रारम्भिक निर्माण कार्य तथा उत्पादन के लिये आवश्यक कुछ यूरोपियन टैक्निकल विशेषज्ञों को चुन लिया गया है । कारखाने के लिये भारतीय टैक्निकल कर्मचारियों को चुनने का प्रश्न विचाराधीन है। कारखाने के लिये एक महाप्रबन्धक नियुक्त कर दिया गया है और उस ने अभी कार्यभार संभाला है ।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि उत्पादन लगभग अगस्त १९५३ से प्रारम्भ हो जायेगा।

(ख.) बंगलौर के समीप, जलहालि ।

(ग) ८.३७ करोड़ रुपये ।

(घ) कारखाने के लिये अपेक्षित ३०० एकड़ भूमि में से २२० एकड़ भूमि तो पहले ही प्राप्त कर ली गई है । बाकी भूमि को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही हैं। इस समय कारखाने की कोई इमारत बनाने का विचार नहीं है ; जैसा कि उत्तर के भाग (क) में बताया गया कारखाना इन शेडों में रहेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी: यह आशा की जाती है कि अन्त में यह कारखाना तेज़ गति से चलने वाली ९०० खराद मशीनें, ४६० खराद मशीनें और २४० बड़े छेद करने वाली मशीनें प्रतिवर्ष बनायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि इस समय भारत में मशीनों के पुर्जे बनाने के कारखानों की संख्या कितनी है? इसी प्रकार के कारखाने स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

श्री के० सी० रैड्डी: सब प्रकार की मशीनों के औज़ार बनाने वाला कारखाना भारत में कोई नहीं है। मैं माननीय सदस्य की सूचनार्थ यह बता दं कि इस समय भारत में मशीनों के औज़ार बनाने के १६ स्वीकृत (ग्रेडेड) तथा १०० अस्वीकृत (अन-ग्रेडेड) फ़र्म हैं । अभी तक इन फ़र्मों में केवल साधारण छोटी प्रकार की मशीनों के औज़ार बनते हैं और निजी उद्योग सूक्ष्म प्रकार के आधुनिक मशीनों के औज़ारों को नहीं बना पाया है जो कि देश में औद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं और जिन के लिये हम पूर्ण रूप से विदेशों पर निर्भर रहे हैं। इसीलिये इस मशीनों के औज़ार बनाने वाले कारखाने को स्थापित करने का विचार किया गया और यह बन रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं है कि मशीनों के औज़ार बनाने वाले कारखानों की संख्या कम हो गई है और उत्पादन बढ़ गया है ?

श्री के० सी० रैड्डी : श्रीमान्, मुझे तो यह बात माननीय सदस्य से ही पता लग रही है ।

श्री बर्मन : जर्मनी से क्षत्ति पूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाली मशीनों के अतिरिक्त, क्या उत्सर्जन से कोई अन्य मशीनें मिल सकती हैं ?

श्री के० सी० रैड्डी : इस प्रश्न का तो मैं ने पहले ही उत्तर दे दिया है। ८६ लाख रुपये के मूल्य की मशीनों के व्यादेश यूरोप के देशों को दे दिये गये हैं, और इन में से कुछ को वहां से पहले ही भेज दिया गया है । यही हमारी सूचना है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह पूर्ण रूप से सरकारी कारखाना होगा अथवा इस में विदेशी स्वत्व भी होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : यदि माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि इस में किसी विदेशी फ़र्म ने विनियोजन करने का निश्चय किया है या नहीं, तो इस कारखाने से किसी विदेशी फ़र्म का सम्बन्ध नहीं है। इस में सरकार ने ही विनियोग किया है, किन्तु एक विदेशी फ़र्म टैक्निकल ज्ञान के मामले में तथा अन्य बातों से सहायता देता है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि इस फ़र्म को इस काम में लगाने के विषय में क्या शर्तें हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

व्यापार का सन्तुलन

*५८५. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **बाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ के पहिले पांच महीनों में व्यापार का सन्तुलन कितना था ;

(ख) इस अवधि में निर्यात और आयात की मुख्य वस्तुयें तथा उन की मात्रा कितनी थी ; तथा

(ग) यदि व्यापार का सन्तुलन अनुकूल नहीं है तो इस के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जनवरी मार्च, १९५२ की अवधि में व्यापार सन्तुलन की स्थिति इस प्रकार थी :

(करोड़ रुपयों में)

आयात	निर्यात तथा पुनःनिर्यात	सन्तुलन
२६८.५५	१६४.८६	—१०३.६९

१९५२ की अप्रैल और मई के आंकड़े अभी तक तैयार नहीं किये जा सके हैं।

(ख) दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के मुख्य कारण ये हैं :—

(१) गेहूं का काफ़ी मात्रा में आयात।

(२) उद्योगों में काम आने वाला कच्चा माल तथा पूंजीगत माल जैसी सारभूत वस्तुओं के आयात में वृद्धि।

(३) भारतीय निर्यात में कमी।

श्री बी० आर० भगत: आयात आयव्ययक आंकड़े में पूंजीगत माल की राशि तथा अनुपात कितना है ?

श्री करमरकर : इस अवधि के लिये ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां।

श्री करमरकर : मुझे इस की पूर्वसूचना चाहिये।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि क्या व्यपार में सन्तुलन करने की सरकार की नीति ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस प्रतिकूल सन्तुलन को पूरा करने के विषय में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि आयव्ययक में विभिन्न अवसरों पर माननीय वित्त मंत्री जी इस विषय में विस्तृत सूचना दे चुके हैं। आयात तथा निर्यात को विनियमित कर के सरकार सदा ही आयव्ययक को संतुलित करने का प्रयत्न करती है, किन्तु देश के हितों को ध्यान में रखते हुए हम पौण्ड पावने का भी आयोजित व्यय करते हैं। और दृष्टिकोण से हम ने पूर्ववर्त्ति में अपने नाम बची हुई कुछ राशि भी प्रयुक्त की है। एक प्रकार से तो यह घाटा अधिकांश रूप में पहले से आयोजित

घाटा था, किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य निश्चय ही जानते होंगे, घटे हुए निर्यात व्यापार को संतुलित करने का केवल मात्र उपाय अपने आयात कम करना है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी मुख्य मुख्य चीज़ें क्या हैं जिन के सम्बन्ध में कि हमारे वैदेशिक आयात में कमी हुई है ?

श्री करमरकर : निर्यात में मुख्यतः इन वस्तुओं के विषय में कमी आई है मूंगफ़ली, चमड़ा तथा खालें और सूती वस्त्र । काजू, काली मिर्च, चाय, लाख, अभ्रक, गूदड़, कच्ची ऊन, ऊनी कालीन तथा कम्बल, जटा के सूत तथा सामान इत्यादि वस्तुओं में भी निर्यात में कुछ कमी आई है । इस वस्तुओं सम्बन्धी कारण भिन्न हैं । एक मुख्य कारण यह है कि ामान का इकट्ठा करना, विशेषकर अमरीका , बन्द हो गया है । इस के कारण भी कुछ स्तुओं के निर्यात में कमी हुई है । अन्य ५स्तुओं के निर्यात में हुई कमी अस्थायी होने की सम्भावना है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि जो सूची माननीय मंत्री जी पढ़ रहे थे उस में पटसन का नाम क्यों नहीं है ? मैं समझती हूं कि पटसन का निर्यात भी कम हो रहा है ?

श्री करमरकर : पटसन का नाम इस सूची में इसलिये नहीं है कि उस दिन मेरे माननीय मित्र वाणिज्य मंत्री ने सदन को बतलाया था कि पटसन में आशाप्रद प्रवृत्ति दिखलाई दे रही है । गत अप्रैल या मई मास से इस के निर्यात में ८०,००० टन की वृद्धि हुई है । इसीलिये मैं ने इसे सम्मिलित नहीं किया है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि आयव्ययक को संतुलित करने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

श्री करमरकर : उत्पादन को बढ़ाने के लिये ?

श्री नम्बियार : निर्यात को ।

श्री करमरकर : विभिन्न मामलों में विभिन्न उपाय किया जाता है । उदाहरणार्थ, चाय के मामले में हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा निर्यात कम क्यों हुआ है । पटसन के मामले में हम ने निर्यात शुल्क कम कर दिया है । मिर्च के मामले में हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्पादन कम किया जा सकता है या नहीं । विभिन्न चीज़ों के लिये भिन्न भिन्न निदान ढूंढना पड़ता है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

*५८६. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एक फ़्रांसीसी कम्पनी के साथ हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्नम्, को विकसित करने सम्बन्धी समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां तो उस कम्पनी का नाम जिस के साथ कि समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ग) समझौते की शर्तें ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रैडडी) : (क) जी हां ।

(ख) जिस फ़्रांसीसी कम्पनी के साथ समझौता हुआ है उस का नाम है ला सोसाइटे ऐनीनीम उस ऐटेलियर्स डी ला लोरे, पेरिस ।

(ग) समझौते की मुख्य शर्तें दिखलाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२**]

श्री बी० आर० भगत : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किसी अन्य विदेशी कम्पनी ने भी समझौता करने का प्रस्ताव किया था ?

श्री के० सी० रैड्डी : मुझे तो ऐसी किसी कम्पनी के विषय में नहीं मालूम ।

श्री बी० आर० भगत : क्या इस कम्पनी द्वारा इसी काल के दौरान में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री के० सी० रैड्डी : यदि माननीय सदस्य ने सदन पटल पर रक्खा हुआ विवरण पढ़ा हो, तो उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा। जहां तक समझौते की शर्तों की वास्तविक क्रियान्विति का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि हम संतोषजनक प्रगति कर रहे हैं ।

श्री बी० आर भगत : विवरण में कहा गया है कि कम्पनी कुछ टैक्निकल सहायता देगी। समझौता शिपयार्ड के विकास के लिये है और पांच वर्ष के लिये है। मैं जानना चाहता हूं कि इस काल में कम्पनी द्वारा वास्तव में क्या कार्य किया जायेगा ।

श्री के० सी० रैड्डी : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य वास्तव में क्या जानना चाहते हैं । मैं पहले ही बतला चुका हूं कि संतोषजनक प्रगति हो रही है और मैं समझता हूं कि इस से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। समझौते की कालावधि पांच वर्ष है और यह १५ जुलाई, १९५२ से प्रारम्भ होता है । इसी बीच प्रारम्भिक कार्य शरू हो चुका है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या कोई सदस्य कम्प्रनी का नाम और स्पष्ट करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री को इस का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या सरकार को विदित है कि आजकल शिपयार्ड में बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा है ?

श्री के० सी० रैड्डी : मैं यह बात नहीं मान सकता कि शिपयार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ आर्डर दिए गये हैं और मैं समझता हूं कि वहां काम हो रहा है । यदि माननीय सदस्य का आरोप सच है, तो मैं अवश्य ही मामले को देखूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ती : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस फ़र्म से समझौता करने के पूर्व सरकार ने अन्य जहाजी फ़र्मों से भी बातचीत की थी ?

श्री के० सी० रैड्डी : इस फम से समझौता करने के पूर्व सभी सम्भव सावधानी बरती गई है ।

सिन्दरी फैक्टरी के उप-पदार्थ

***५८७. डा० एम० एम० दास** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सिन्दरी फैक्टरी के उप-पदार्थों तथा अवशिष्ट माल का क्या किया जाय यह प्रश्न अधिकारियों के लिये समस्या बना हुआ है ;

(ख) प्रतिदिन उत्पादित होने वाले इन उप-पदार्थों तथा अवशिष्ट माल की मात्रा ;

(ग) आजकल उन का क्या किया जाता है ; तथा

(घ) इस प्रकार के व्यवहार में प्रति दिन की लागत ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) फैक्टरी द्वारा पूर्ण उत्पादन प्रारम्भ करने पर लगभग ९०० टन केल्शियम कारबोनेट की तलछट हुआ करेगी, लगभग ३००-टन छार और कोयले की छार की कुछ मात्रा भी बेकार माल के रूप में शेष रहा करेगी ।

(ग) केल्शियम कारबोनेट की तलछट को इकट्ठा किया जा रहा है और वह अन्त में सीमेंट उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जायेगी ।

छार को भी एतदर्थ बनाए गए स्थान में इकट्ठा कर दिया जाता है । इस को कोयला खदानों में तह जमाने के कार्य में प्रयुक्त किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है । कोयले की छार को बिजली घर के कोयले के साथ जला दिया जाता है ।

(घ) ६५० रुपये ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार के पास इन उप-पदार्थों के उपयोग की क्या योजना है और क्या सरकार द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये कोई पग उठाया गया है ?

श्री के० सी० रैड्डी : जैसा मैं अभी बतला चुका हूं, ए० सी० सी० के साथ एक समझौता हुआ है जिस के अनुसार केल्शियम कारबोनेट की तलछट उस के द्वारा खरीद ली जायेगी और सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त की जायेगी । जहां तक छार का प्रश्न है, यह अभी इकट्ठी की जा रही है और जैसा मैं ऊपर बतला चुका हूं, एक विशिष्ट कार्य में प्रयुक्त की जायेगी ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात का कोई प्राक्कलन किया गया है कि इन चीजों के उपयोग का उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री के० सी० रैड्डी : अंततोगत्वा इस से उत्पादन लागत में कमी होगी।

डा० एम. एम. दास : कितने प्रतिशत ?

श्री के० सी० रैड्डी इस के उत्तर के लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि एक उप-पदार्थ एमोनिया भी है और यदि हो, तो इस का क्या प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री के० सी० रैड्डी : मैं ने केवल तीन उप-पदार्थों का जिक्र किया था, किसी अन्य के सम्बन्ध में, मुझे उत्तर दे सकने से पूर्व प्रश्न में जाना होगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि उप पदार्थ कौन कौन से हैं और उन में से हम जिन का प्रयोग कर रहे हैं उन का मूल्य क्या है ?

श्री के० सी० रैड्डी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

मास्को में भारतीय दूतावास

*५८८. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में मास्को के भारतीय दूतावास पर किया गया व्यय, और

(ख) क्या मास्को के हमारे पदाधिकारियों को उस देश में घूमने फिरने की आजादी है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

(क) ११,५४,०२० रुपये ।

(ख) सोवियत संघ में कूटनीतिक कर्मचारियों तथा अन्य विदेशियों की गतिविधि पर अनेक प्रतिबन्ध हैं । कुछ सोवियत जनतंत्रों तथा कुछ जिलों और शहरों में विदेशियों को जाने की अनुमति नहीं है। मास्को से २५ मील से आगे की यात्रा अधिकारियों को पूर्व सूचना देने के पश्चात् की अनुमत की जाती है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या रूस ने हमारे दूतावास के लिए रूसी सरकार द्वारा बतलाये गये कुछ रूसियों को सेवायुक्त करना अनिवार्य है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या हमारे लिये रूसियों को सेवायुक्त करना अनिवार्य है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की कोई शर्त नहीं हो सकती ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता कि मास्को में हमारे दूतावास में कितने रूसी सेवायुक्त है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा ख्याल है बहुत कम, दरवान और इसी प्रकार के कुछ अन्य । इस समय ठीक ठीक सूचना मेरे पास मौजद नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत-विरोधी प्रचार करने के लिये रूसी रेडियो और प्रेस भारत के बारे में निरंतर गलत समाचार प्रसारित तथा प्रकाशित कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न की परधि से बाहर है ।

श्री फिरोज गांधी : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में सोवियत राजदूत पर इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह सत्य नहीं है कि मास्को में हमारे दूतावास को इस बात की आजादी नहीं है कि जिस रूसी को वह चाहे सेवायुक्त करे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री अल्तेकर : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अन्य देशों में भी इस प्रकार के प्रतिबन्ध हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस पर ?

अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न यह प्रतीत होता है कि राजदूतावास के सदस्यों की गतिविधि के सम्बन्ध में केवल भारतीय राजदूतावासों पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है अथवा अन्य दूतावासों पर भी यह प्रतिबन्ध है ।

श्री अल्तेकर: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता कि जिस प्रकार रूस में हमारे दूतावास के सदस्यों की गतिविधि पर प्रतिबन्ध है क्या उसी प्रकार अन्य देशों में भी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : केवल हमारे ही दूतावास पर प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं वरन् ये प्रतिबन्ध सभी विदेशी दूतावासों पर हैं। मैं समझता हूं कि कुछ देशों विशेष कर इंगलैंड और अमरीका में उस को प्रतिक्रिया स्वरूप इसी प्रकार के प्रतिबन्ध वहां के सोवियत दूतावास पर लगा दिये गये हैं ।

प्रो० मात्यु : क्या मैं जान सकता हूं कि अर्ध-पश्चिमी यूरोप में भी इस प्रकार के प्रतिबन्ध हैं जैसे कि रूस में ?

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। माननीय सदस्य कार्यवाही में इसे देख लें ।

श्री अनिल के० चन्दा : क्या हमारे दूतावास को इस प्रकार के निदेश दिये गये हैं कि वह सामान्य सोवियत शासन व्यवस्था का और विशेषकर उन की विरोधी दल को व्यवहृत करने की प्राणली का अध्ययन करें ।

श्री गाडगिल : क्या मैं जान सकता हूं भारत सरकार इस देश में दूतावासों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उस के दूतावासों के साथ अन्य देशों में होता है अथवा भारत में समस्त दूतावासों के साथ एकसा व्यवहार होता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सामान्यतया, यह दोनों ही प्रकार का है । गतिविधि पर मामूली प्रतिबन्ध हो सकते हैं जैसा कि प्रस्तुत प्रश्न के विशिष्ट दृष्टान्त में है । जैसा मैं ने बतलाया, मास्को में सभी विदेशियों पर प्रतिबन्ध हैं, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं ।

व्यापार संतुलन

*५८९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई दिसम्बर, १९५१ के काल में गैर-स्टर्लिंग क्षेत्रों में हमारी व्यापार-संतुलन स्थिति ; और

(ख) इसी काल में अन्य सुलभ-मुद्रा क्षेत्रों के साथ हमारी व्यापार संतुलन स्थिति ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) मैं समझता हूं कि प्रश्न के भाग (क) का तात्पर्य "स्टर्लिंग" (न कि "गैर-स्टर्लिंग") क्षेत्रों से है। इस मानता पर, एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३**]

दवाएं (आयात)

*५९०. **डा० पी० एस० देशमुख** : की **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने क्या कृपा करेंगे कि भारत में सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में आयात की गई दवाओं का क्या मूल्य था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :

	लाख रुपयों में
१९५०-५१	९९३.१५
१९५१-५२	१,५१४.८३,

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि सब से अधिक दवाएं हम किस देश से आयात करते हैं ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या आयात पर अब भी प्रतिबन्ध है अथवा यह दवाओं के आयात से प्रतिबन्ध उठा लेने का परिणाम है ?

श्री करमरकर : जैसा कि मेरे माननीय मित्र निश्चय रूप से ही जानते हैं कि कुछ चीजों का आयात खुली सामान्य विज्ञप्ति संख्या २३ में रख दिया गया था जब कि बाद के काल में कुछ दवायें एक प्रतिबन्धित अपितु उदार, आधार पर अनुमत की जाती थीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या भारत में किसी दवा के आयात पर अब भी कोई प्रतिबन्ध है अथवा सब प्रतिबन्ध पूर्णतया हटा दिये गये हैं ।

श्री करमरकर : विदेशी मुद्रा की कठिनाई को देखते हुए कुछ दवाओं के आयात पर अब भी प्रतिबन्ध है । कुछ अन्य दवाओं के सम्बन्ध में खुली सामान्य अनुज्ञप्ति २३ थी जो अब भी लागू है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या सन् १९५२-५३ के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है और यदि हां तो कितना ?

श्री करमरकर : जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते ही हैं, सन् १९५२ के लिये निर्धारित कोटे की घोषणा १५ जनवरी को की गई थी और इस वर्ष के उत्तरार्ध के लिए निर्धारित कोटे की घोषणा १५ जून को की जायेगी।

श्री गुरुपादस्वामी : क्या यह बात सरकार को विदित है कि यहां निर्मित अनेक भारतीय दवायें विदेशी लेबिलों में बेची जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का आशय नकली दवाओं से है अथवा विदेशी लेबिलों में बेची जाने वाली दवाओं से ?

श्री करमरकर : सरकार का ध्यान नकली दवाओं जैसे उदहारणार्थ ग्राइपवाटर, के मामलों की ओर आर्कषित किया गया है। एक समय इस दवा को इस देश में बना कर और उस पर विदेशी लेबिल लगा कर बेचने का प्रयत्न किया गया था । उस मामले में कार्यवाई भी की गई थी ।

श्री गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो लोग पकड़े गये हैं उन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

श्री करमरकर : जो लोग पकड़े जाते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाता है ?

आयात

*५९१. **डा० पी० एस० देशमुख**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९- १९५० और सन् १९५१ में भारत में विभिन्न देशों से कितना आयात हुआ ?

(ख) क्या सन् १९५२ के लिये कोई मात्रा निर्धारित की गई है ?

(ग) यदि हां तो कितनी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (**श्री करमरकर**) : (क)

	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)
१९४९	*६,६४·
१९५०	५,४४·८६
१९५१	८,६३·८२

*इस में पाकिस्तान से हुआ भूमिगत व्यापार सम्मिलित नहीं है ।

(ख) और (ग) आयातों की मात्रा प्रत्येक मामले में विदेशी मुद्रा की स्थिति तथा स्थानीय उत्पादन को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है ।

डा० पी० एस० देशमुख : प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन को देखते हुए क्या चालू वर्ष में आयातों को सीमित करने का विचार है ?

श्री **करमरमर** : यह बात अभी हमारे बिचाराधीन है ।

श्री **एम० एल० द्विवेदी** : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सम्पूर्ण कारों को विदेशों से व्यक्तिगत माल के रूप में लाने की जो सुविधा है उस का दुरुपयोग किया गया है ?

श्री करमरकर : 'दुरुपयोग' से मेरे माननीय मित्र का कदाचित यह तात्पर्य है कि भूतकाल में हमारी यह नीति थी कि सामान के रूप में हम कारों की अनुमति दे देते थे, विशेषकर स्टर्लिंग क्षेत्रों से । किन्तु देश के कार निर्माताओं के प्रतिनिधान के परिणाम-स्वरूप हम ने इस सुविधा को एक बड़ी सीमा तक प्रतिबद्ध कर दिया है ।

इंडिया स्टोर्स विभाग लन्दन

*५९२. **डा० पी० एस० देशमुख** :(क) क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ में लन्दन के इंडिया स्टोर्स विभाग की संमृत्ति पर कितना व्यय किया गया तथा जो सेवायें प्रदान की गई उन के बदले कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(ख) क्या प्रदान की गई सेवा के लिये जो शुल्क लिया जाता है वह किसी प्रतिशत आधार पर लिया जाता है ?

(ग) यदि नहीं तो इसका आधार या ?

(घ) इंडिया स्टोर्स विभाग, लन्दन द्वारा उपरोक्त वर्षों में किये गये सौदे का मूल्य कितना है ?

(ङ) इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में भारतीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

(च) भारतीयों तथा गैर-भारतीयों का कुल मासिक वेतन क्या है ?

(छ) क्या स्टोर्स विभाग द्वारा किये गये सौदों की लेखा-परीक्षा की जाती है ?

(ज) यदि हां, तो क्या लेखा परीक्षक द्वारा कोई गम्भीर आपत्ति उठाई गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (**सरदार स्वर्ण सिंह**) : (क) इंडिया

स्टोर्स विभाग लंदन पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

वित्त वर्ष १९५०-५१. . . २५५,१०८ पौंड (३४,०१,४४० रु०)

वित्त वर्ष १९५१-५२ . . .३१४,६६१ पौंड (४१,९५,४८० रु०)

प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क की राशि इस प्रकार है :

वित्त वर्ष १९५०-५१ . . . ३४३,८७५ पौंड (४५,८५,००० रु०)

वित्त वर्ष १९५१-५२ . . .३६०,४१७ पौंड (४८,०५,४०५ रु०)

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) किये गये सौदों का मूल्य इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ . . ३१,५७०,८९५पौंड (४२,०९,४५,२६६ रु०)

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ . . १६,५२६,५६१ पौंड (२२,०३,५४,१४६ रु०)

(ङ) भारतीय कर्मचारियों की संख्या विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या की ४३.८ प्रतिशत है ।

(च) भारतीयों के मासिक वेतन : (७,८७८ पौंड) (१,०५,०४० रुपये) ,

गैर भारतीयों के मासिक वेतन १०,६३७ पौंड

(१,४१,८२६ रुपये)

(छ) हां ।

(ज) लेखा परीक्षा विभाग द्वारा मालूम किये गये महत्वपूर्ण मामलों को वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित कर दिये जाते हैं, जो कि लोक-लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है और उस समिति की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, क्या सरकार की यह नीति है कि इस विभाग का अधिकाधिक भारतीयकरण किया जाय और यदि ऐसा है तो उस में कब तक अधिक भारतीयों के रखे जाने की सम्भावना है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : हमारी इच्छा तो सुविधा तथा कार्य कुशलता के समनुरूप यथा सम्भव अधिक भारतीयों को रखने की है ।

डा० पी० एस देशमुख : श्रीमान्, प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में, ऐसे कौन से कारण जिन से सौदा पूर्व वर्ष १९५०-५१ के लगभग आधे मल्य के बराबर घट गया ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ऐसा मुख्य रूप से डिब्बों के कारण क्रय को कम कर देने के निर्णय के कारण है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या स्टोर्स खरीदने के सौदे पर हमें कोई क्रय कमीशन मिलता है ?

सरदारस्वर्ण सिंह : इस का मैं ने उत्तर दे दिया था और यदि माननीय सदस्य ने भाग (ख) को ध्यान पूर्वक सुना होता . . .

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न को नहीं समझा । मैं यह जानना चाहता हूं कि हम जो सौदा खरीदते हैं उस पर बड़े व्यापारी हमें कोई कमीशन देते हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, देते हैं ।

श्री बी० शिवा राव : क्या आंक समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर इस विभाग की कार्य प्रणाली में अभिनवीकरण करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, जिस से कि कम मूल्य की वस्तुओं को खरीदने के लिये विदेशों में व्यादेश देने की प्रथा रोकी जा सके ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है और यह मामला विचाराधीन है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान् जी क्या सौदों की शर्तों को जैसा कि उन के विषय में लोक लेखा परीक्षा समिति द्वारा सुझाव दिये गये हैं उन के आधार पर तैयार कर लिया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह बात विचाराधीन है ।इस क्रय संगठन में एक भारत स्टोर्स लेखा परीक्षा भाग जोड़ दिया गया है और सौदे की बातें उसी के द्वारा स्वीकार की जाती हैं ।

श्री बादशाह गुप्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस विभाग के सर्वाधिक वेतन प्राप्त कर्मचारी का वेतन क्या है और वह किस देश का है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बी० ऐस० मूर्ति : क्या सरकार लन्दन स्थित इस विभाग को बन्द करने का विचार कर रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं श्रीमान् : इस के बन्द करने का विचार नहीं है ।

फिल्मों की सेंसर

***५९३. श्री झुनझुनवाला** : सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत में दिखाये जाने वाली वर्तमान फिल्मों की सेंसर की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : चलचित्र अधिनियम, १९१८ के अन्तर्गत किसी ऐसी फिल्म को दिखाने की अनुमति नहीं है जब तक कि उसे बिना किसी प्रतिबन्ध के दिखाये जाने योग्य प्रमाणित न कर दिया जाय अथवा उसे ऐसा न मान लिया जाय कि उसे केवल वयस्क ही देख सकते हैं । फिल्मों की सेंसर फिल्म सेंसर केन्द्रीय बोर्ड करता है जो कि चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया है ।

श्री झुनझुनवाला : जब फिल्में सेंसर की जाती हैं तो क्या क्या बाते ध्यान में रखी जाती हैं ?

श्री करमरकर : सेंसर बोर्ड मुख्य मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखता है जो सार्वजनिक नैतिकता तथा जनहित के विरुद्ध न हों ।

श्री झुनझुनवाला : जितनी फिल्में हिन्दुस्तान में दिखाई जातीं हैं, उन के बारे में क्या मैं यह समझूं कि यह सब बातें ध्यान में रख कर वे सेंसर की गई हैं और पब्लिक मॉरेलिटी (सार्वजनिक नैतिकता) के विरुद्ध नहीं हैं ?

श्री करमकर : जी हां, जो पब्लिक के सामने आती हैं वे हमारी राय में ठीक होती हैं ।

श्री झुनझुन वाला : अभी जो फ़िल्में दिखाई जाती हैं उन से क्या मैं यह समझूं कि वे पब्लिक की मौरेलिटी के विरुद्ध नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये तो उन्हों ने जवाब दे दिया है कि हां, ऐसा समझना चाहिये ।

श्री बी० एम० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सेंसर बोर्ड को यह कहा गया है कि हम ने इस में जो प्रगति की है उस की दृष्टि में रखते हुए वह इन फ़िल्मों के बारे में सख्ती से काम न करें ?

श्री करमरकर : नहीं श्रीमान् । उन से यही कहा गया है कि वे इस विषय में उचित कार्य करें ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि एन० एस० कृष्णन् तथा टी० ए० मथुरम जैसे भारतीय सिनेमा अभिनेता जो कि हाल ही में रूस गये थे और उन की वहां जो फ़िल्में ली गई थीं, क्या उन को भारत में दिखाये जाने की मनाही कर दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक ऐसी फ़िल्म का निर्देश कर रहे हैं जिसे भारत में दिखाये जाने से मना कर दिया गया है ।

श्री नम्बियार : भारतीय सिनेमा अभिनेता जब रूस गये थे तो वहां एक फ़िल्म ली गई थी। क्या उस के भारत में दिखाये जाने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री करमरकर : मुझे उस की पूर्व सूचना चाहिये । क्या वह उस फिल्म का निर्देश ......

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी के पास इस सेंसर के बावजूद भी इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कई फ़िल्में जो दिखाई जाती हैं वे नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं हैं ?

श्री करमरकर : शायद यह ठीक है कि ऐसी शिकायतें आती हैं और जब आती हैं तो हमारे रूल्स (नियमों) के मुताबिक उन का रिव्यु (पुनर्विलोकन) आदि हो जाता है। तो माननीय सदस्य रूल्स से इस बारे में पता लगा सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ए० आई० आर० स्टेशन

*५९४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७ से ए० आई० आर० के प्रत्येक स्टेशनों दिल्ली, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में क्या परिवर्तन अथवा सुधार किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४**]

पंच वर्षीय योजना

*५९५. **पंडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है; तथा

(ख) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में कोई विकेन्द्रीकरण हुआ है अथवा उन को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा संगठित तथा नियंत्रित किया जा रहा है ?

योजना तथा नदी घाटी परियजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) १९५१-५२ में विभिन्न राज्यों में पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में जो प्रगति हुई है उस की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ख) राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि वे अपनी योजनाओं को यथा-सम्भव जिला योजनाओं में मिलादें और इस बात का भी ध्यान रखें कि इस योजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय संस्थायें भी हिस्सा लें। उन से यह भी कहा गया है कि वे हमें यह भी सूचना दें कि किस सीमा तक विकन्द्रीकरण हुआ है अथवा उस के ऐसे किये जाने का विचार है ।

पंचवर्षीय योजना [illegible] का सहयोग

*५९६. **पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा जापान के बीच

भारत की पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कोई बात तै हुई है ; तथा

(ख) जापान भारत के लिये क्या सहायता कर सकता है और क्या वह ऐसी सहायता के बदले में कुछ चाहता है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीशचन्द्र) : (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला निकालना

***५९७. श्री ए० सी० गुहा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास भारत में तथा अन्य औद्योगिक देशों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोयला निकाले जाने का कोई तुलनात्मक विवरण है;

(ख) क्या सरकार ने हमारे देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने कोयले की छोटी छोटी खानों के अनार्थिक सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया है; तथा

(घ) ऐसी कोयले की खानों की संख्या ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) एक विवरण, जिस में यह दिया हुआ है कि १९५१-५२ में भारत में तथा जनवरी १९५१ से अप्रैल १९५१ तक की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति ने एक शिफ्ट में कुल कितना कोयला निकाला जैसे कि वे उपलब्ध हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ख) खानों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई सीधी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। नई कोयले की खानों को खोदने की अनुमति देने से पूर्व सरकार इस बात का निश्चय कर लेती है कि जहां खान खोदी जा रही है वह स्थान तथा उस में ऐसी मशीनें हैं जो कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होंगी ।

(ग) अनुमानतः माननीय सदस्य उन कोयले की खानों का उल्लेख कर रहे हैं जो इतनी छोटी हैं कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से तथा सुचारु रूप से चलाना सम्भव नहीं है। यदि ऐसा है, तो इस प्रश्न को हाल ही में कोयले के कार्यसंचालक दल के सामने रखा गया था, जिस ने यह सिफ़ारिश की है कि उन्हें आर्थिक यूनिटों में संयोजित कर लिया जाय। सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया गया है ।

(घ) यह बतलाना सरल नहीं है कि किन विशेष प्रमापों के आधार पर अमुक अमुक कोयले की खान अनार्थिक है। फ़िर भी एक ऐसा विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिस में मासिक उत्पादन के अनुसार वर्गीकृत खानों की संख्या दी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६**]

पंचवर्षीय योजना

***५९८. श्री के० सी० सोधिया** : (क) **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन का विचार कोई ऐसी एजेन्सी स्थापित करने का है जो राज्यों में पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में व्यय किये जाने वाले धन तथा प्रगति का विश्लेषण कर सके;

(ख) क्या भाग 'क', 'ख' तथा 'ग' राज्यों के बीच कोई अन्तर रखा गया है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) निर्देश्य शर्तों के अनुसार राज्यों में पंचवर्षीय योजना में हुई प्रगति को समय समय पर पता लगाने के लिये योजना आयोग उत्तरदायी है। योजना के कार्य

संचालन के पहलुओं के सम्बन्ध में योजना आयोग राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क बनाये हुए है ।

(ख) नहीं ।

उत्सर्जन

***५९९. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय सरकार के पास कितना फ़ालतू सामान पड़ा हुआ है और किस तारीख तक उसे इस के बेच देने की आशा है ?

(ख) १९४७-४८ तथा १९५१-५२ में उत्सर्जन के महा-निदेशालय के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

(ग) १९४७-४८ के आरम्भ में फालतू सामान का कितना अनुमानित मूल्य था ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ३० अप्रैल, १९५२ को उत्सर्जन विभाग के पास उत्सर्जन के लिये उपलब्ध फ़ालतू सामान का पुस्त मूल्य लगभग ३७ १/२ करोड़ रुपये था । ऐसी आशा की जाती है कि इस में से बहुत अधिक सामान को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक बेच दिया जायेगा ।

(ख) एक विवरण, जिस में १ मार्च १९४७, २९ फ़रवरी १९४८, १ मार्च १९५१ तथा २९ फ़रवरी को रसद तथा उत्सर्जन के महा निदेशालय के उत्सर्जन विभाग में कर्मचारी वर्ग के विषय में सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ग) १ अप्रैल १९४७ को उत्सर्जन के लिये उपलब्ध फ़ालतू सामान का मूल्य लगभग २०० करोड़ रुपये था ।

कपड़े का मूल्य (निर्धारण)

***६००. श्री के० सी० सोधिया** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कपड़ों के मूल्य निर्धारण करने के कार्य में कपड़ा आयुक्त तथा भारत सरकार को किसी समिति या समितियों द्वारा सहायता मिलती है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इन की रचना कैसी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मलाया में भारतीय मजदूर

***६०१. श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मलाया को भारतीय मजदूरों की आवश्यकता है ?

(ख) यदि ऐसा है तो किन शर्तों के अन्तर्गत भारतीय मजदूर वहां भेजे जाते हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) (क) हां ।

(ख) भारत से बाहर जाना भारतीय प्रव्रजन अधिनियम से शासित होता है । इस समय मलाया म अकुशल मजदूरों को भेजने पर प्रतिबन्ध लगा है, जब कि कुशल मजदूर भारत के प्रव्रजन प्राधिकारियों के विवेक के अनुसार वहां जा सकते हैं यदि वहां नौकरी की शर्तें उचित हों।

अखबारी कागज तथा छपाई का कागज

***६०२. श्री बर्मन** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कागज का गूदा तय्यार करने में किन चीजों का प्रयोग किया जाता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि ऐसे कच्चे माल के लिये गन्ने की खोई का प्रयोग किया जा सकता है ?

(ग) भारत में अखबारी कागज तथा छपाई के कागज की कितनी आवश्यकता तथा इस समय उनका उत्पादन कितना है ?

(घ) इस मामले में देश को आयात से आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) महत्वपूर्ण सारभूत कच्चा माल यह है : बांस, सवाई घास, चिथड़े, रद्दी कागज, लकड़ी का गूदा, सन, सन की पुरानी रस्सियों के टुकड़े, पटसन, तथा टाट के टुकड़े ।

(ख) हां श्रीमान् ।

(ग)	अनुमानित आवश्यकतायें	१९५१ में उत्पादन
	(टन)	(टन)
(१) अखबारी कागज	६०,०००	कुछ नहीं
(२) छपाई तथा लिखने का कागज	१,००,०००	७९,२६३

(घ) सम्बद्ध पार्टियों को वर्तमान क्षमता बढ़ाने के लिये नई यनिटें स्थापित करने या वर्तमान मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिये हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है।

सिंदरी कृषिसार फैक्टरी

*६०३. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी के नर्माण तथा कार्य संचालन पर अब तक भारत सरकार ने कुल कितनी पूंजी लगाई है ;

(ख) इस फैक्टरी की अधिकतम उत्पादन कार्यक्षमता कितनी है ;

(ग) इस समय वहां पर कौन कौन से रासायनिक कृषिसार तय्यार किये जा रहे हैं तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या आशा है ;

(घ) इस फैक्टरी में तय्यार किया गया रासायनिक कृषिसार बाजारों में किस मूल्य पर बेचा जाता है तथा आयात किये जाने वाले कृषिसार की तुलना में इसका मूल्य कैसा बैठता है ;

(ङ) क्या भारत में अन्य ऐसी फैक्टरियां भी हैं जो कृषिसार बनाने के काम में लगी हुई हैं और यदि ऐसा है तो उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा १९५०-५१ के दौरान में इन फैक्टरियों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादित कृषिसार का वास्तविक मूल्य तथा मात्रा क्या है; तथा

(च) १९५०-५१ वर्ष के दौरान में विदेशों से भारत में आयात किये गये विभिन्न प्रकार के कृषिसारों की कुल मात्रा तथा मूल्य क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) लगभग २३ करोड़ रुपये। यथार्थ आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनका बुकिंग नहीं हुआ है तथा उन के लेखे भी अन्तिम रूप से तय्यार नहीं हैं।

(ख) प्रति दिन १,००० टन या प्रति वर्ष ३ लाख ५० हजार टन ।

(ग) इस समय फैक्टरी केवल अमोनियम सल्फेट तय्यार कर रही है। फिर

भी एक सहायक संयंत्र स्थापित करने का विचार है जहां यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट के छोटे छोटे टुकड़े तय्यार होंगे।

(घ) सिन्दरी में तय्यार किया गया तथा बाहर से आयात किया गया अमोनियम सल्फेट राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकतानसार केन्द्रीय कृषिसार संग्रह द्वारा वितरित किया जाता है। उपरि व्यय तथा लाने ले जाने के व्यय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इनका फुटकर बाजारी मूल्य निश्चित करती है।

(ङ) भारत में १९ अन्य ऐसी फैक्टरियां भी हैं जो कृत्रिम कृषिसार, अर्थात् अमोनियम सल्फेट तथा सुपर फास्फेट तय्यार करती है। १९५०-५१ में इन फैक्टरियों की जो उत्पादन क्षमता थी तथा उन्होंने जितनी मात्रा में इन दो प्रकार के कृषिसार उत्पादित किये उनके मूल्य इस प्रकार हैं:

	क्षमता	उत्पादन	मूल्य
	टन	टन	रुपये
अमोनियम सल्फेट	७७,०००	४५,२६०	१८,१०,००,०००
सुपर फास्फेट	१,३५,०००	५५,८१०	१२,५०,००,०००

(च) १२,३०,२०,४३० रुपयों के मूल्य का ३.८८,०४२ टन अमोनियम सल्फेट। सुपर फास्फेट आयात नहीं किया गया था।

सामुदायिक योजनायें

*६०४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन से हैं जिनमें विकास समितियां पहिले ही बना दी गई हैं, जैसा कि भारत सरकार के योजना आयोग सामुदायिक योजना प्रशासन प्रारूप रूपरेखा, अप्रैल, १९५२ में निश्चित किया गया;

(ख) कितने राज्यों में सामुदायिक योजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है; तथा

(ग) कितने राज्यों को दीर्घ कालीन ऋण देने की स्वीकृति दे दी गई है?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) आसाम, बिहार, बम्बई, यू० पी०, पंजाब, मध्य भारत, तथा मद्रास।

(ख) सभी भाग 'क', 'ख' तथा 'ग' राज्यों को।

(ग) किसी को नहीं।

राज्यों में योजना विभाग

*६०५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न राज्यों में योजना विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम के अनुसार योजना के कार्य को कर रहे हैं अथवा क्या कर रहे हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में योजना विभाग केन्द्र के योजना विभाग के सहयोजन से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का है जिसमें यह दिया हुआ हो कि भिन्न भिन्न योजना वार कार्य, अब तक प्रत्येक राज्य में जितना कार्य किया है तथा वे मामले जिनमें धन अथवा सम्पत्ति नष्ट हुई हो या खो गई हो;

(घ) राज्यों में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये किसकी सिफारिश पर चुना जाता है?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) योजना आयोग ने राज्यों के लिये योजनाओं को राज्य सरकारों की सलाह से बनाया है।

(ख) हां।

(ग) पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कार्य के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इन्हें राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर चुना जाता है।

विंध्य प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति

*६०६. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ;

(क) विंध्य प्रदेश में सतना, दतिया और ओरछा में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ;

(ख) इनमें खेती में लगे हुए लोगों की और दूसरे व्यवसायों को अपनाने वालों की संख्या ;

(ग) उन लोगों की संख्या जिनको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला ; और

(घ) खेती के लिये दी गई जमीन कितनी है और वह कहां कहां पर है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :

(क)	सतना . .	६,०३५ व्यक्ति
	दतिया . .	५,१४८ व्यक्ति
	ओरछा . .	कुछ नहीं
	कुल योग	११,१८३ व्यक्ति

(ख) २१३ परिवार खेती में लगे हुए हैं तथा २,०२९ परिवार व्यापार करते हैं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) टीकम गढ़, दतिया तथा रुतरपुर जिलों में ४,७१८ एकड़।

पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्ति

*६०७. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५१ के अन्त की ओर पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में आये सभी विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसा दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं बसा दिया गया है, तो यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) इस विषय में आज क्या स्थिति है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान ९ फ़रवरी १९५१ को डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१२ पर मेरे द्वारा संसद् में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

हाथी

*६०८. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में हाथी कहां पाये जाते हैं ;

(ख) बाहर भेजे गये एक हाथी पर कितना निर्यात शुल्क लगाया जाता है ;

(ग) वर्त्तमान सरकार द्वारा अब तक विदेशों को भेंट के रूप में कितन हाथी भेजे गये हैं ; और

(घ) १९५०-५१ वर्ष में विदेशों को कितने हाथी भेजे गये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) ख्य मुरूप से आसाम, उड़ीसा, मद्रास, कुर्ग, मैसूर तथा यू० पी० (टिहरी) राज्यों में।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) पांच ।

(घ) १९५०-५१ में हाथियों को विदेश भेजने पर कोई नियंत्रण नहीं था । बाहर भेजने के सम्बन्ध में वास्तविक सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जायेगी इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

हीराकुड के लिये टेंडर

*६०९. **डा० नटवर पांडे** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हीराकुड बांध परियोजना के बहुत से निर्माण कार्यों के लिये टेंडर नहीं मांगे गये थे ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो, ऐसे निर्माण कार्यों में लगने वाला धन कितना है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) हां श्रीमान् । हीराकुड बांध परियोजना के निर्माण कार्यों को बांटने के लिये स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे सभी निर्माण कार्यों को जिनमें २,००,००० रुपयों से अधिक व्यय न होता हो और जिन्हें एक ठेकेदार ६ से १२ महीनों में ही समाप्त कर सकता हो उन्हें कार्य व्यादेश आधार पर दे दिया जाता है जो कि ठेका बोर्ड द्वारा स्वीकृत दरों की अनुसूची से होते हैं । जिन निर्माण कार्यों में दो लाख रुपये से अधिक लगते हों उन्हें खुले टेंडर मांग कर दिया जाता है । कुछ निर्माण कार्य विभाग द्वारा भी किये जाते हैं ?।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

कपड़ा (निर्यात)

*६१०. **श्री धूसिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ के जनवरी से अप्रैल तक के प्रत्येक महीनों में कपड़े की कितनी गांठों का निर्यात किया गया है ?

(ख) उपरोक्त निर्यात में घटिया, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म के कपड़ों का क्या अनुपात था ?

(ग) उपरोक्त प्रत्येक महीने में आन्तरिक उपयोग के लिये कपड़े की कितनी गांठें दी गई थीं और उसमें घटिया, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म के कपड़ों का क्या अनुपात था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८**]

हीराकुड बांध परियोजना

*६११. **डा० नटवर पांडे** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक (१) सहायक बांध ; तथा (२) हीराकुड बांध परियोजना के अन्तर्गत छिपलीमा में पावर चैनल (बिजली के लिये पानी ले जाने वाली नहरें) पर कुल कितना व्यय हुआ है; तथा

(ख) सहायक बांध तथा पावर चैनल में कार्य कब आरम्भ हुआ ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) (१) सहायक बांध के निर्माण कार्य में ४७·० लाख रुपये व्यय हुए ।

(ग) पावर चैनल के निर्माण कार्य में ५८·० लाख रुपये व्यय हुए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भूमि प्राप्त करने में २१·९५ लाख रुपये व्यय हुए तथा बिजली घर, ऊपर के बिजली के तारों तथा भीतरी तारों पर ५·५५ लाख रुपये व्यय हुए ।

(ख) सहायक बांध का निर्माण कार्य जनवरी १९५० में तथा पावर चैनल का जुलाई १९४८ में आरम्भ हुआ था।

छिपलीमा परियोजना

*६१२ **श्री नटवर पांडे** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड बांध परियोजना के अन्तर्गत छिपलीमा में सहायक बांध तथा पावर चैनल के निर्माण कार्य को पूर्णरूप से या आंशिक रूप से छोड़ दिया गया है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो कब और क्यों ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). सहायक बांध तथा पावर चैनल के निर्माण कार्यों को बन्द नहीं किया गया है। उनको धनाभाव तथा परियोजना के सिंचाई के पहलू पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता के कारण १९५५-५६ की बाद की अवधि के लिये स्थगित कर दिया गया है ?

कोलार की सोने की खानों का मालिक मजदूर झगड़ा

*६१४. **श्री नम्बियार** : **श्रम** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चैम्पियन रीफ़ गोल्ड माईनिंग कम्पनी लिमिटेड टथा कोलार की सोने की खानों के चैम्पियन रीफ माइन्स लेबर असोसियेशन (श्रमिक संघ) दोनों के संयुक्त अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि वर्ष १९५० के लाभांश के भुगतान के ऊपर दोनों में जो झगड़ा है सरकार उसे मध्यस्त द्वारा निर्णय किये जाने के लिये निर्दिष्ट कर दे ;

(ख) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है और कब ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख). इस झगड़े को न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई संयुक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि दोनों पक्ष आवेदन पत्र भेजने का विचार कर रहे हैं। जब एक संयुक्त आवेदन पत्र प्राप्त हो जायेगा तो यदि वह नियमित रूप में होगा उसके न्यायनिर्णयन के लिये आदेश दे दिये जायेंगे।

निर्यात नियंत्रण

*६१५. **श्री नम्बियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन सी वस्तुयें हैं जिन पर परिपत्र संख्या २८९/५१ दिनांक ६ अक्तूबर १९५१ द्वारा नियंत्रण लगा दिया गया था ;

(ख) क्या उपरोक्त परिपत्र द्वारा तीन वर्ष १९४८-१९५१ निर्यात के मूल वर्ष के रूप में निश्चित किये गये हैं और क्यों ; तथा

(ग) क्या उस परिपत्र द्वारा किसी एक निर्यात करने वाले व्यक्ति द्वारा उस परिपत्र के अन्दर आने वाली प्रत्येक वस्तु के अधिकतम निर्यात की कोई मात्रा निश्चित कर दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) (क) सम्भवतः माननीय सदस्य ई० टी० सी० परिपत्र संख्या २८९/५१, दिनांक ६ अक्तूबर १९५१ का निर्देश कर रहे हैं जो कि मद्रास के निर्यातों के उप महा नियंत्रक (डिपुटी चीफ कंट्रोलर) द्वारा जारी की गई थी। इस परिपत्र द्वारा किसी भी वस्तु पर नियंत्रण नहीं लगा ; जिससे केवल यह अधिसूचित किया गया था कि लाल मिर्चों का व्यापार तथा निर्यात जो कि पहिले से ही नियंत्रित था अक्तूबर १९५१ से 'पुराने निर्यातकों'

सिद्धांत के आधार पर विनियमित किया जायगा, अर्थात् उन निर्यातकों द्वारा, जिन्होंने विगत काल में निश्चित समय तक लाल मिर्चों का निर्यात किया है, उनको इसकी अनुमति होगी।

(ख) हां श्रीमान्। इन तीन वर्षों को निश्चित करने के ये कारण थे ;

(१) इन तीन वर्षों में बहुत अधिक व्यापारियों को लाल मिर्चों को निर्यात करने का अवसर मिला था, क्योंकि कुछ समय के लिये पुराने निर्यातक प्रणाली चल रही थी और प्रतिस्पर्धा के आधार पर लगभग डेढ़ वर्ष के लिये निर्यात करने की अनुमति थी और कोई भी व्यक्ति उन्हें भेज सकता था।

(२) ये तीन वर्ष "पुराने निर्यातक"—सिद्धान्त को पुनः लागू करने से ठीक पूर्व के वर्ष थे और नियम के अनुसार हम निर्यातकों को तीन भिन्न भिन्न वर्षों के बीच चुनने के लिये कहते हैं जिसके आधार पर वे निर्यात के लिये भविष्य का कोटा मांग सकते हैं।

(३) अन्य वस्तुओं, यथा मूंगफ़ली का तेल, तिलहन का तेल, प्याज, गुड़ की राव के लिये भी वही मूल वर्ष निर्धारित किये गये हैं ; तथा

(४) व्यापारी भी जिन से परामर्श भी किया गया, इस प्रबन्ध के पक्ष में थे।

(ग) हां, उस परिपत्र द्वारा अधिकतम मात्रा १५ टन निर्धारित की गई थी जिस के लिये किसी निर्यातक को लाल मिर्चों का निर्यात करने के लिये लाइसेंस दिया जा सकता था। यह प्रतिबन्ध अब लागू नहीं है।

टाटा हैवी कैमिकल्स फैक्टरी में हड़ताल

*६१६. **श्री नम्बियार** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मीथापुर के टाटा हैवी कैमिकल्स फैक्टरी के ३,००० मजदूरों ने २१ अप्रैल, १९५२ से हड़ताल कर रखी है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या यह सत्य है कि कम्पनी ने मजदूरों को अस्पताल सम्बन्धी सुविधायें देना बन्द कर दिया है और क्या दो मजदूरों ने कम्पनी के इस कार्य के विरोध में भूख हड़ताल कर रखी है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि इस विषय पर श्री ए० के० गोपालन, संसद् सदस्य, द्वारा १६ मई, १९५२ को लिखे गये पत्र पर सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया तथा क्या सरकार का विचार उस पत्र को सदन पटल पर रखने का है ; तथा

(घ) जिन मजदूरों ने भूख हड़ताल कर रखी है उन के जीवन को बचाने के लिये तथा इस झगड़े को सौहार्द्र रूप से तय करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां।

(ख) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ग) तथा (घ). १६ मई, १९५२ को श्री ए० के० गोपालन द्वारा लिखे गये पत्र की एक प्रति तथा २८ मई, १९५२ को दिये गये मेरे उत्तर की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९**]

स्थूल रसायन बनाने वाली फैक्टरियों में होने वाले औद्योगिक झगड़े, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २ (क) (२) के अन्तर्गत राज्य सरकारों के क्षेत्रा

धिकार आते हैं। अतः उस अधिनियम के अन्तर्गत झगड़ों को तय करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर रोक लगी है। फिर भी, उस उद्योग की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बम्बई सरकार को ५ मई, १९५२ को लिखा था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि दोनों पार्टियों के बीच मित्रता पूर्वक समझौता करवाने के विशेष प्रयत्न किये जायें। यह मालूम हुआ कि समझौता अधिकारी के श्रमिक संघ तथा कम्पनी के बीच झगड़े के बीच समझौता कराने के प्रयत्न असफल रहे। १५ मई, १९५२ को केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार को फिर लिखा जिसमें उससे यह प्रार्थना की गई थी वह उस सरकार द्वारा दोनों पार्टियों के बीच समझौता करवाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों के परिणाम के विषय में रिपोर्ट भेजें। ऐसा समझा जाता है कि बम्बई सरकार अपने प्रयत्नों को अब भी जारी रखे हुए है।

निचली सगीलेरु परियोजना

***६१७. श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने निचली सगीलेरु परियोजना के निर्माण के लिये कड्डापा जिले के निवासियों तथा दलों की सब सम्मति वाली मांग की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया; तथा

(ख) क्या इसके निर्माण के लिये मद्रास सरकार को ऋण अथवा अनुदान के रूप में कुछ राशि स्वीकृत की गई है?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). नहीं, किन्तु ऐसा समझा जाता है दुर्भिक्ष में सहायता सम्बन्धी कार्यों के रूप में मद्रास सरकार ने सगीलेरु परियोजना वाले स्थान पर नाले खुदवाने के लिये आदेश दिये। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विशेष परियोजना के लिये कोई ऋण या अनुदान नहीं दी गई है। इस समय यह परियोजना मद्रास राज्य की पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है।

खराब अमेरिकन रुई

***६१८. श्री एस० वी० एल० नरसिंहम :** (क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बम्बई के बन्दरगाह में खराब अमेरिकन रुई की २००,००० गांठें पड़ी हैं और भारतीय आयात करने वाले उन्हें छुड़ाने के इच्छुक नहीं हैं;

(ख) इस माल का मूल्य;

(ग) क्या इस माल का भारतीय बीमा कम्पनियों में बीमा करवाया हुआ था;

(घ) इस माल की (१) जहाज पर लादते समय तथा (२) बम्बई के बन्दरगाह पर पहुंचने के समय क्या दशा थी; तथा

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या कर रही हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अमेरिकन रुई की कुछ मात्रा खराब दशा में आई है। किन्तु वास्तविक बिगड़ी हुई मात्रा तथा उसका मूल्य पता नहीं।

(ग) सरकार समझती है कि उस रुई की कुछ मात्रा का बीमा करवाया हुआ था।

(घ) इस मामले की जांच हो रही है।

(ङ) अप्रैल के आरम्भ में ही इस हानि की पहिली रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने इस मामले पर उचित अधिकारियों से बात चीत आरम्भ कर दी थी। सरकार अमेरिका स्थित अपने राजनयिक प्रतिनिधियों से कह रही है कि वे अमेरिका के जहाज में माल लादने वाले तथा भारत के आयात करने वाले व्यापारियों के बीच होने वाली बात चीत में सहायता दें।

सामुदायिक विकास योजनायें

*६१९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के लि स्वीकृत ५५ सामुदायिक विकास योजनाओं में से कोई काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के पहाड़ी भागों के लिये भी स्वीकृत की गई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो उपरोक्त पहाड़ी राज्यों के किन क्षेत्रों तथा प्रदेशों को इस प्रयोजन के लिये चुना गया है ;

(ग) इन क्षेत्रों की विशेष दशाओं का विचार रखते हुए, क्या पूरे देश के लिये स्वीकृत साधारण योजना में कोई परिवर्तन किया गया है ; तथा

(घ) क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् के सदस्य उन योजनाओं से सम्बन्ध स्थापित करें ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश, आसाम तथा हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित पहाड़ी स्थान चुने गये हैं :

(१) अलमोड़ा।

(२) कचार जिला।

(३) दारंग जिला।

(४) आदिम जाति क्षेत्र में दो विकास खण्ड।

(५) सिरमौर।

(६) मण्डी।

पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कोई सामुदायिक योजनायें निर्धारित नहीं की गई हैं। भारत अमेरिकन टैक्निकल सहयोग समझौते के कार्यक्षेत्र के बाहर, काश्मीर के लिये एक योजना पृथक् रूप से विचाराधीन है।

(ग) स्थानीय आवश्यकताओं तथा भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रों का प्रारम्भिक परिमाप के बाद प्रत्येक योजना के लिये विस्तृत कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तय्यार किये जायेंगे।

(घ) राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि सम्बद्ध योजना क्षेत्र के संसद् सदस्यों तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को, प्रत्येक योजना के लिये स्थापित योजना मंत्रणा समिति में सम्मिलित करना चाहिये।

हेमगिरि रायपुर कोयले की खान के मजदूर

*६२०. **श्री बी० सी० दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ की फरवरी के महीने में हेमगिरि रायपुर कोयले की खान के ७७० मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने की सूचना दे दी गई थी ;

(ख) क्या यह सत्य है कि मजदूरों के हड़ताल कर देने के कारण केन्द्रीय सरकार के समझौता अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और नौकरी से निकाले जाने वाली सूचना को वापिस ले लिया गया ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि २२ अप्रैल, १९५२ को उन ७७० मजदूरों के नौकरी से निकाले जाने की फिर सूचना दी गई थी ; तथा

(घ) क्या कोई समझौता हो गया है और यदि ऐसा है तो उस समझौते की क्या शर्तें हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी०वी० गिरि) : (क) तथा (ख). हां।

(ग) ७५२ मजदूरों की छटनी करने के विचार से ७ मार्च, १९५२ को उन्हें नौकरी से निकाले जाने की सूचना दी गई थी।

(घ) धनबाद के प्रादेशिक श्रम आयुक्त द्वारा समझौते का काम आरम्भ किया गया और १५ अप्रैल, १९५२, को समझौता हो गया। एक विवरण जिस में समझौते की शर्तें दीं हुई हैं सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

सीमान्त पर आक्रमण

***६२१. श्री कास्लीवाल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४९, १९५० तथा १९५१ में पूरे भारत-पाकिस्तान सीमान्त पर राजस्थान और सिन्ध और बहावलपुर के बीच हुए सीमान्त आक्रमण की संख्या कितनी है ;

(ख) भगा कर ले जाये गये जानवरों की संख्या कितनी है ; तथा

(ग) इन आक्रमणों में अनुमानित जन हानि कितनी हुई ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). राजस्थान की सरकार से सूचना देने के लिये कहा गया है। जैसे ही यह प्राप्त होगी इसे यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

मद्रास में सामुदायिक योजनायें

***६२३. श्री मुनिस्वामी :** क्या **योजना** तथा **नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में सामुदायिक योजनाओं को आरम्भ करने के लिये कौन कौन से केन्द्र चुने गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो वे किस प्रकार की परियोजनायें थीं ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). छै योजनायें मद्रास के निम्नलिखित जिलों के लिये निर्धारित की गई हैं :

(१) कुरनूल कडुप्पा।
(२) कोयम्बटूर।
(३) मालाबार।
(४) पूर्व गोदावरी।
(५) दक्षिण कनाडा।
(६) मदुरई।

निष्क्रान्त सम्पत्ति पर अधिकार कर लेने वाले व्यक्ति

***६२४. ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकार रूप से निष्क्रान्त सम्पत्ति पर कब्जा कर लेने वाले व्यक्तियों को, जिन्होंने ऐसा सम्पत्ति पर २२ नवम्बर, १९४९ के बाद कब्जा कर लिया था, उन मकानों में से हटाये जा रहे हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसे कब्जा कर लेने वाले व्यक्तियों के प्रति सरकार की क्या नीति है जो २२ नवम्बर, १९४९ के बाद निष्क्रान्त सम्पत्ति के नियमित रूप से किरायेदार हो गये, जिस मामले में उस सम्पत्ति को बाद में निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां।

(ख) ऐसे मामलों को निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) नियम १९५० के प्रशासन के नियम १४ के उप-नियम (१) के अनुसार निबटाया जा रहा है।

पटेल नगर के मकान

***६२५. ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पटेल नगर में जिन व्यक्तियों को तीन कमरे वाले मकान दिये गये हैं, जहां कि प्रत्येक मकान का मूल्य ७,००० रुपये आंका गया है, उन से मकान के व्यय की यथार्थ कीमत ली जायगी;

(ख) यदि ऐसा है, तो प्रत्येक मकान का यथार्थ खर्च कितना है ;

(ग) यदि यह ७,००० रुपये से कम है तो जिन को मकान दिये गये हैं उन खरीदारों को अतिरिक्त धन वापिस दे दिया गया है; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर अस्वीकारात्मक है, तो ये मकान कब बनाये गये थे और जिन व्यक्तियों को मकान दिये गये हैं उन्हें यह उपरोक्त धन को लौटाने में कितना और अधिक समय लगेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (घ). जो व्यक्ति मकान खरीदना चाहते हैं उन्हें पहिले औसत अनुमानित मूल्य जमा करने के लिये कहा जाता है। वास्तव में विचार यह है कि प्रत्येक प्रकार के मकान को बनाने की औसतन लागत को ही लिया जाय। अब तक कोई धन वापिस नहीं किया गया। किन्तु जब ऐसा करना व्यवहार्य तथा सम्भव होगा तो वह लौटा दिया जायगा।

हीराकुड परियोजना

***६२६. श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध परियोजना के लिये कितनी एकड़ भूमि प्राप्त की गई है ; तथा

(ख) जो भूमि प्राप्त की गई है उस का प्रभाव (१) जिन व्यक्तियों पर पड़ा उनकी तथा (२) जिन परिवारों पर पड़ा उनकी संख्या कितनी है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). उड़ीसा सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

बरला का फार्म

***६२७. श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध परियोजना की बरला बस्ती के फार्म में कितनी भूमि है ;

(ख) यह फार्म कब खोला गया था और इस पर कितना धन व्यय हुआ और उससे कितनी आय हुई ;

(ग) क्या इस फार्म का पूरा व्यय हीराकुड बांध परियोजना की निधि में से किया जाता है ; तथा

(घ) बरला के फार्म में काम करने वालों की संख्या कितनी है तथा उनका वेतन कितना है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) २२ एकड़।

(ख) उस फार्म को खरीफ, १९५१ में प्रयोगात्मक आधार पर खोला गया था तथा कुछ महीनों बाद उसी फस्ल में बन्द कर दिया गया था। उस अवधि में उस पर कुल व्यय ९,०९८ रुपये हुआ था तथा आय ६३९ रुपये हुई थी।

(ग) जो व्यय हुआ था वह हीराकुड बांध परियोजना के हिसाब में से लिया गया था।

(घ) चूंकि फार्म को बन्द कर दिया गया है, इस समय वहां कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

*६२८. **श्री अच्युतन**: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को, जो कम आय वाले वर्ग में हैं और जो १९४० में नौकरी में लगे थे, सरकारी मकान नहीं दिये गयें हैं;

(ख) उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनके सचिवालय में नौकरी के पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष हो गये हैं और जिन्हें सरकारी मकान नहीं मिला और जो निम्नलिखित वेतन श्रेणी में हैं:

(१) १०० रुपये तक;
(२) १०१ से ३०० रुपये तक;
(३) ३०१ से ५०० रुपये तक;
(४) ५०१ तथा इससे अधिक; तथा

(ग) उनको मकान देने के सम्बन्ध में क्या शीघ्र कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की सम्भावना है?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह): (क) नहीं।

(ख) माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की वेतन श्रेणियां बताई हैं ठीक उन्हीं श्रेणियों की सूचना उपलब्ध नहीं है। मकानों का वर्गीकरण उन वेतन श्रेणियों के अनुसार किया जाता है जिन का उत्तर इस प्रश्न में उल्लिखित वेतन श्रेणियों की तुलना में कम है तथा एक विवरण, जिसमें कि मकानों के वर्गीकरण के अनुसार वेतन श्रेणियों की अपेक्षित सूचना दी हुई, जो कि अधिक विस्तृत हैं, सदन पटल पर रखा जाता है।

(ग) ५०० रुपये प्रति मास से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये ५०० मकान तथा ५०० रुपये या उससे अधिक प्रति मास वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये १०० मकान बन कर तय्यार होने वाले हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इतने ही मकान बनाये जायेंगे। ऐसा विचार किया जाता है कि कुछ वर्षों तक इतने ही मकान बनते रहेंगे यदि इस के लिये धन मिल जाये। यह भी विचार किया जाता है कि मकान दिये जाने सम्बन्धी नियमों में परिवर्त्तन कर दिये जायें जिससे कि ऐसे अधिकारियों को भी जिनका सेवा काल बहुत अधिक हो जाने पर मकान नहीं हैं उन्हें मकान मिल सकें।

विवरण

वेतन श्रेणी	उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या (चतुथ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर) जिन की नौकरी को पांच वर्ष या उससे अधिक हो गये हैं और जिन्हें सरकारी मकान नहीं मिले हैं
७५ रुपये से कम	३६९
७५ रुपये से ९९ रुपये तक	१,८९२
१०० रुपये से १४९ रुपये तक	९७१
१५० रुपये से १९९ रुपये तक	१,५११
२०० रुपये से २४९ रुपये तक	८३६
२५० रुपये से ३४९ रुपये तक	२९०
३५० रुपये से ४९९ रुपये तक	१४४
५०० रुपये और इससे अधिक	४४

रेशम (आयात)

***६२९. श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिय तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात गये हुए रेशम की मात्रा पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी है ;

(ख) भारत सरकार द्वारा भारत में रेशम कें उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क)

१९४७	६,३७,८१९ पौण्ड
१९४८	१८,५३,७३० पौण्ड
१९४९	२,६०,९८७ पौण्ड
१९५०	७,१२,६९६ पौण्ड
१९५१	१२,१४,६१८ पौण्ड

(ख) रेशम उद्योग के विकास के लिये भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड स्थापित किया है । बोर्ड को सरकार से सहायक अनुदान मिलते हैं जिससे कि यह बोर्ड अन्य चीजों के साथ राज्य सरकारों की योजनाओं के सम्बन्ध में, जिन्हें कि इस बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त है, आर्थिक सहायता देने के लिये प्रयुक्त करता है ।

काश्मीर के विस्थापित व्यक्ति

***६३०. श्री हेम राज** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर तथा गिलगित के विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों की संख्या कितनी है जो कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं और जो योल कैम्प में रह रहे हैं ?

(ख) क्या उन के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए व्यक्तियों के साथ होता है ?

(ग) अब तक उनमें से कितनों को बसा दिया गया है और किन स्थानों में बसाया गया है ?

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें नई बस्ती में बसाने का है जिससे कि उनका सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन बना रहे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन : (क) १९३१ ।

(ख) हां ।

(ग) अब तक ७६८ परिवारों को राजस्थान, भोपाल तथा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भूमि दे कर फिर से बसा दिया गया है ।

(घ) हां । इन परिवारों को यथा-सम्भव एक साथ रखने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

मकानों का नियतन

***६३२. श्री नन्द लाल शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा **करें**गे कि विस्थापित व्यक्तियों में से कितने सरकारी कर्मचारियों को किराये पर और खरीदने के आधार पर अथवा किस्त के आधार पर अब तक कितने मकानों का नियतन किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): उन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन्हें किराये पर और खरीदने के आधार पर मकान दिये गये हैं, पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस सूचना को एकत्रित करने में जितना समय तथा परिश्रम लगेगा वह इसके परिणामों को देखते हुए आवश्यकता से अधिक होगा ।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को मकान

***६३३. श्री नन्द लाल शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को स्थायी रूप से मकान दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; तथा

(ख) क्या इन सरकारी कर्मचारियों को भी किस्त के आधार पर मकान दिये जा सकते हैं अथवा नहीं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को मकान दिलाने के लिये पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किये जा रहे हैं। कुछ स्वीकृत प्राथमिकताओं के आधार पर विस्थापित व्यक्तियों को मकान दिये जा रहे हैं। यदि विस्थापित सरकारी कर्मचारी उस प्राथमिकता की सूची में आते हैं तो उन्हें दूसरों के साथ मकान दिये जाते हैं।

(ख) हां, उन्हीं शर्तों पर जो अन्य शरणार्थियों पर लगती हैं।

त्रिपुरा के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर

***६३४. श्री बीरेन दत्त :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने चाय बागानों को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) बागानों को बन्द कर देने के कारण जो व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं उनकी संख्या कितनी है; तथा

(ग) त्रिपुरा के श्रम विभाग द्वारा उनको सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग) तक। सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

खान मजदूरों की आवश्यकतायें

***६३५. श्री रामानन्द दास :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय खान मजदूर संघ ने कई मास पूर्व नया समझौता बोर्ड नियुक्त करने के लिये कहा जिससे कि कोयला की खानों के मजदूरों के वर्तमान वेतन ढांचे तथा पारिश्रमिक में परिवर्तन किया जा सके; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां, संघ ने मांगों की सूची प्रस्तुत की जिस में वर्तमान वेतन के ढांचे में परिवर्तन करने की मांग भी सम्मिलित थी और उसने सरकार से यह प्रार्थना की कि वह विवादग्रस्त मामलों को समझौते के हेतु किसी समझौता बोर्ड अथवा किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करें।

(ख) सभी सम्बद्ध पक्षों से परामर्श किया जा रहा है और सरकार को आशा है कि वह शीघ्र इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेगी।

कोयला खान मजदूर

***६३६. श्री रामानन्द दास :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातु शोधन के कार्य में प्रयुक्त होने वाले कोयले के उत्पादन में कानून द्वारा जो कमी हो गई है उससे उत्पन्न परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का किन कार्यों को करने का विचार है, जिस के परिणामस्वरूप कोयला खानों के बहुत अधिक मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; तथा

(ख) छंटनी किये गये कोयला खान मजदूरों को काम दिलाने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख)। धातु शोधन कार्य में प्रयुक्त होने वाले कोयले को बचाने के लिये जो कार्य किये जायेंगे उन की कोयला बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में जो कोई भी कार्य किये जायेंगे उस का यह अर्थ नहीं कि उनके कारण बहुत अधिक कोयला खान मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी तो निस्सन्देह बोर्ड उस स्थिति का सामना करने के लिये सिपारिश करेगा और उस समय इस बात पर सरकार विचार करेगी, यदि कोई कार्यवाही करनी है तो, क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

*** ६३७. श्री रामानन्द दास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम कब पारित किया गया था ;

(ख) इसे कब कार्यान्वित किया जाना था ;

(ग) कितने राज्यों में इसे कार्यान्वित किया गया है और अप्रैल, १९५२ तक कितने उद्योगों में कार्यान्वित किया गया।

(घ) क्या सरकार का विचार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का है जिस में इस के राज्य-वार तथा उद्योग-वार कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना दी हुई हो; तथा

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने की अन्तिम तिथि कौन सी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ९ फरवरी १९४८।

(ख) तथा (ङ)। ३१ मार्च, १९५२ अन्तिम तिथि थी जब कि अधिनियम की अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित नौकरियों के सम्बन्ध में मजूरी की न्यूनतम दर निर्धारित की जानी थी, जब कि अनुसूची के भाग २ में उल्लिखित नौकरियों के सम्बन्ध में ये दरें ३१ दिसम्बर १९५३ से पूर्व निर्धारित की जायेंगी।

(ग) तथा (घ)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या** ५१]

खान उद्योग

***६३८. श्री कण्डासामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान उद्योग की दशाओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की ;

(ख) इसकी सिपारिशों के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ग) क्या समिति ने हमारी खानों की कार्यप्रणाली तथा उनके स्वामित्व के वैज्ञानिकन के लिये विशेष योजना की सिपारिश की; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो इस की सिपारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार के निर्णय क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई।

(ख) से (घ) तक। ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सिंचाई के प्रभावों पर अनुसन्धान

***६३९. श्री कण्डासामी :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान के पूना केन्द्र में जिन अनुसन्धानों को करने की आशा है वे किस प्रकार के हैं; तथा

(ख) क्या इन अनुसंधानों में भूमि के कटाव पर, रेत के इकट्ठे होने पर, क्षार की वृद्धि पर, भूमि की उत्पादकता पर, पौदे आदि उगाने पर, स्थानीय नमी पर, नालियों की सुविधाओं पर तथा मलेरिया पर सिंचाई के प्रभावों के बारे में अनुसंधान सम्मिलित हैं।

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री **नन्दा**) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र पूना म इन बातों के सम्बन्ध मे अनुसन्धान होता है :

(१) नदी तथा नहर-विज्ञान ।

(२) नौपरिवहन ।

(३) जमीन तथा जमीन सम्बन्धी यंत्र कार्य

(४) कंक्रीट तथा निर्माण सामग्री ।

(५) आंकड़े ।

(६) आम्भास यंत्र (हाईड्रोलिक मशीनरी) ।

इसके अतिरिक्त यह केन्द्र वस्तु सम्बन्धी डिजाइनों तथा निर्माण कार्यो पर माडेल (विशिष्ट) प्रयोग भी करता है जिससे भारत में नदी घाटी परियोजनाओं, मुख्य जलयानों में तथा बन्द्रगाहों में मितव्ययता तथा कार्य-कुशलता आ सके ।

(ख) इस केन्द्र के अनुसंधानों में नहरों में मिट्टी जमा होने तथा क्षार की वृद्धि में ही अनुसंधान होते हैं ।

बंजर क्षेत्रों के सुधार के लिये अनुसंधान केन्द्र

*६४०. श्री **कण्डासामी** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजर क्षेत्रों के सुधार के लिये अनुसन्धान क्षेत्र कहां स्थापित किया जायेगा ; तथा

(ख) इसमें किस प्रकार का अनुसन्धान होगा ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री **नन्दा**) : (क) भारतीय विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र को जोधपुर में स्थापित करने का विचार है ।

(ख) जब यह केन्द्र स्थापित हो जायगा, तो वह राजस्थान के जल संसाधनों के अधिकतम विकास के लिये एक एकीकृत कार्यक्रम बनानेके काम में लग जायगा। यह राजस्थान की बंजर भूमि के उद्धार के लिये केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के विभागों द्वारा किये जाने वाले कामों के विभिन्न पहलुओं में सहयोजन करेगा और उसे जारी रखेगा । भूतत्वीय, भू-भौतिकीय तथा जल विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित परिमापों तथा अनुसंधानों के सम्बन्ध में भी कार्य करेगा ।

बिहार की सामुदायिक योजानायें

*६४१. श्री **झूलन सिन्हा** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से सिद्धान्त हैं जिन के आधार पर बिहार राज्य में सामुदायिक योजना केन्द्र चुने गये हैं ; तथा

(ख) किस प्रकार की विकास योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री **नन्दा**) : (क) १९ मई, १९५१ को श्री घमण्डी लाल द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ३१ पर दिये गये मेरे उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) ये मूल प्रकार की है जो कि "सामुदायिक योजनायें—प्रारुप रुपरेखा" में उल्लिखित हैं ।

कृष्णा नदी घाटी योजनायें

*६४२. **श्री विश्व नाथ रेड्डी : क्या योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विभिन्न कृष्णा नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान हो चुका है उनको प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय हो गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो प्राथमिकता का क्रम क्या है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खद्दर

*६४३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा खद्दर (हाथ से काता तथा बुना हुआ कपड़ा) उद्योग को कोई प्रोत्साहन तथा संरक्षण दिया गया है और यदि ऐसा है, तो वह किस प्रकार का और कितना है; तथा

(ख) क्या खद्दर नाम सुरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन किये जाने की कोई घटना भारत सरकार के ध्यान में आई और यदि ऐसा है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री श्री करमरकर) : (क) भारत सरकार ने यथासम्भव अपने कपड़े की आवश्यकता का एक तिहाई भाग हाथ करघों के कपड़े के रूप में, जिस में खद्दर भी सम्मिलित है, खरीदने का निश्चय किया है। वर्ष १९५१-५२ में खादी तय्यार करने वाले केन्द्र को खद्दर का उत्पादन बढ़ाने के लिये २ लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप म दी गई है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है ।

पटसन मिलों के काम का समय

*६४४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों के काम के समय को अप्रैल, १९५२ से कम कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्, ३१ मार्च, १९५२ से ।

(ख) मिलों ने अपने काम के समय को दिसम्बर, १९५१ में बढ़ा दिया था, किन्तु निर्यात कम था और उत्पादन अधिक था तो मिलों में माल बहुत इकट्ठा होने लगा अतः यह ठीक समझा गया कि मांग के अनुसार उत्पादन को कम कर दिया जाय ।

सिन्दरी में बनाये गये कृषिसार

*६४५. **श्री ऐन० बी० चौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी में बनाये गये कृत्रिम कृषिसारों को सरकारी गोदामों द्वारा अथवा व्यापारियों द्वारा बांटा जायगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी में १९५२ के अन्त तक जितना उत्पादन हुआ वह सब खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को दे दिया गया है जिसने उसे राज्य सरकारों को उन की मांगों के अनुसार देने के लिये अपने केन्द्रीय कृषिसार संग्रह में ल लिया है। राज्यों में कृषिसार को बांटना सम्बद्ध राज्य सरकारों का काम है और मुझे खेद है कि इस समय

मेरे पास इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये प्रबन्ध के विषय में सूचना नहीं है ।

१९५२ के बाद सिन्दरी कृषिसार को बेचने के प्रबन्ध के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायगा ।

आसाम के चाय बागान में छत्तीसगढ़ के मजदूर

*६४७. **श्री० बी० एन० मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार आसाम के चाय बागान में काम करने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वर्तमान दशा को जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट करने के लिये एक विशेष समिति को नियुक्त करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : आसाम के बागान में काम करने वाले छत्तीसगढ़ के मज़दूरों की दशा के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं है । फ़िर भी, राज्य सरकार तथा प्रव्रजक मज़दूरों के नियंत्रक (कंट्रोलर आफ एमिग्रेंट लेबर) से पूछ ताछ की जा रही है । इन मज़दूरों की दशाओं की जांच करने के लिये विशेष समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर मांगी गई सूचना के प्राप्त होने पर विचार किया जायगा ।

मयूरभंज ग्लास वर्क्स

*६४८. **श्री आर० सी० माझी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उड़ीसा में बहलदा रोड स्थित मयूरभंज ग्लास वर्क्स लिमिटेड, ठीक प्रकार से चल रहा था और सरकार को माल दे रहा था ;

(ख) यदि ऐसा है तो किन कारणों से वह पिछले कुछ वर्षों से बन्द है; तथा

(ग) इसको फ़िर से चलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). धनाभाव के कारण कुछ समय पूर्व यह समझा गया था कि फ़र्म ने आर्थिक सहायता के लिये उड़ीसा सरकार को लिखा था । इस विषय में केन्द्रीय सरकार कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार नहीं कर रही है ।

मयूरभंज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स

*६४९. **श्री आर० सी० माझी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुलडिहा (उड़ीसा) की मयूरभंज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड को स्थापित करने में कितना धन व्यय किया गया था और राज्य सरकार ने कितना धन लगाया था ;

(ख) इसके अब तक न चलने के क्या कारण हैं ; तथा

(ग) इसके चलाने के लिये सरकार क्या कार्य करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक । सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्रम विवाद

*६५०. **श्री के० के० बसु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत १९५० और १९५१ में न्याय निर्णयन के लिये भेजे गये औद्योगिक अथवा श्रम विवादों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) दिये गये पंचाटों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है जिन में मालिकों ने पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया ;

(घ) औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध (१) अपीलीय श्रम न्यायाधिकरण; (२) उच्च न्यायालय; अथवा (३) उच्चतम न्यायालय को की गई अपीलों की संख्या कितनी है ;

(ङ) ऐसे विवादों का अन्तिम रूप से अधिनिर्णय करने में औसतन कितना समय लगा ; तथा

(च) इन मामलों से सम्बन्धित मज़दूरों की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : सरकार ने १९५० और १९५१ में क्रमशः १० और ४८ विवादों को अधिनिर्णय के लिये निर्दिष्ट किया था । तत्स्थानी अवधि में न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाटों की संख्या क्रमशः १४ तथा ३० थी । ऐसे विवादों में जितना औसतन समय लगा था वह ६ महीने था । शेष सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

व्यापारिक मिशन तथा शिष्टमण्डल

***१०४. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ में सरकार द्वारा कौन कौन से व्यापारिक मिशन तथा शिष्टमण्डल विदेशों को भेजे गये थे; तथा

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) मई तथा दिसम्बर, १९५१ में दो शिष्टमण्डल क्रमशः बरमा तथा लंका को उन देशों के साथ व्यापारी समझौते के विषय में बातचीत करने के लिये भेजे गये थे । जनवरी १९५२ में ब्रिटिश पूर्वी अफ़्रीका की रुई ख़रीदने के सम्बन्ध में एक तीसरा शिष्टमण्डल इंग्लैण्ड भेजा गया था ।

(ख) लगभग १२,३०० रुपये ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी को कृषि सम्बन्धी ऋण

१०६. श्री गोहैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी वाले ज़िलों के निवासियों को चालू वर्ष में कृषि सम्बन्धी ऋण देने की योजना स्वीकार कर ली गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो चालू वर्ष में उन में से प्रत्येक ज़िले को कितना धन देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख) । इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है और उचित समय में सदन पटल पर रख दी जायगी ।

अबोर तथा मिश्मी पहाड़ियों में भूमि कटाव निरोधक कार्य

१०७. श्री गोहैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबोर पहाड़ियों तथा मिश्मी पहाड़ियों के जिलों में दिहांग तथा लोहित नदियों में भूमि कटाव निरोधक कार्य किये जायेंगे ;

(ख) वे स्थान कौन से हैं जहां ये कार्य किये जायेंगे; तथा

(ग) इन योजनाओं में कितना व्यय होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)। (क) से (ग) तक । इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसके प्राप्त होते ही इसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

भारत-होलैण्ड व्यापार करार

१०८. डा० राम सुभग सिंह : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि एक भारत हालैण्ड व्यापार करार, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, शीघ्र किया जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): नहीं श्रीमान्। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

निर्यात

१०९. डा० पी० एस० देशमुख : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९, १९५० तथा १९५१ के प्रत्येक वर्ष में पटसन, पटसन के सामान, सीमेंट, कोयले, कपड़े, चाय तथा काफ़ी के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य कितना था ?

बाणज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या** ५२]

भारत में विदेशियों का आगमन (विनियमन)

११०. डा० पी० एस० देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशियों के आगमन के विनियमन के लिये अब कोई नियम बनाये गये हैं;

(ख) क्या और किन शर्तों पर विदेशी (१) भारत में नौकरी कर सकते हैं; (२) भारत में किसी फर्म के साझीदार हो सकते ह; तथा ३ अपना व्यायारिक कार्य कर सकते हैं;

(ग) जिन विदेशी राज्यों से यह विदेशी आते हैं; क्या सरकार ने उनमें से प्रत्येक म भारतीयों की स्थिति की जांच की है;

(घ) कितने मामलों में पारस्परिक सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ङ) कितने विदेशों में भारतीयों को उसी प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं; तथा

(च) उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये यदि कोई प्रयत्न किये गये हों तो क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत में विदेशियों के आगमन के सम्बन्ध में कोई नये नियम नहीं बनाये गये हैं। ऐसे नियम तो बने हुए हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान १९ फ़रवरी, १९४८ को स्वर्गीय पटेल द्वारा दिये गये उनके तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के भाग (क) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) विदेशयों के (१) भारत में नौकरी करने पर ; (२) किसी फर्म के साझी होने पर, तथा (३) अपना व्यापारिक कार्य करने पर कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं।

(ग) से (च) तक । सामान्य रूप से इस बात का माप दण्ड यह है कि "पारस्परिकता" के आधार पर भारत तथा विदेशों में ऐसी सुविधायें हैं या नहीं।

कपड़े के दाम

१११. डा० पी० एस० देशमुख : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विभिन्न कपड़े के दामों में कोई कमी हुई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कितनी कमी हुई है ?

(ग) कपड़े की चार किस्मों में अर्थात् मोटा, बीच का, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म के कपड़ों के दामों में कमी की प्रतिशतता कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक । बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म के कपड़ों के दाम अप्रैल, १९५२ में कम किये गये थे । बढ़िया किस्म के कपड़ों में यह कमी ६.२५ प्रतिशत से ७ प्रतिशत की गई थी तथा बहुत बढ़िया किस्म के कपड़ों में यह कमी ६ प्रतिशत से १०.१२ प्रतिशत की गई थी।

मोटे तथा बीच की किस्म के कपड़ों के दाम मई के महीने के लिये कम कर दिये गये थे, पहिले के दामों की तुलना में मोटे किस्म के कपड़ों में यह कमी १६ प्रतिशत से २४ प्रतिशत की गई थी तथा बीच की किस्म के कपड़ों में यह कमी ५ प्रतिशत से ८ प्रतिशत थी । फिर भी, जून में कपड़ा तय्यार करने की लागत की जांच करने के बाद मोटे तथा बीच की किस्म के कपड़ों के दामों में परिवर्तन किया गया जिससे कि मई के दामों की तुलना में मोटे किस्म के कपड़े के दाम ०.९३ प्रतिशत से २.५९ प्रतिशत बढ़ गये तथा बीच की किस्म के कपड़े के दाम ०.७ प्रतिशत से १.६ प्रतिशत बढ़ गये ।

नासिक का छापाखाना

११२. **डा० पी० एस० देशमुख** : (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद् मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नासिक के नये छापेखाने में काम होना शुरू हो गया है ?

(ख) मशीनें लगाने में कितना व्यय हुआ तथा इमारतों पर, जिस में भूमि, जल, बिजली तथा रहने के मकान सम्मिलित हैं क्रमशः कितना व्यय हुआ ?

(ग) इस समय छापेखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा जब इस में पूरी तरह से काम होने लगेगा तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद् मंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) हां, थोड़ा सा शुरू हुआ है ।

(ख) (१) मशीनों को लगाने में ७,०१,८०० रुपये व्यय हुए।

(२) इमारतों पर व्यय :—

छापेखाने की इमारत तथा रहने के मकान अभी तक बन कर तय्यार नहीं हुए हैं । लाहौर शेडों को अस्थायी रूप से प्रयोग किये जाने के लिये लगभग १६०० रुपये मासिक किराये पर उठा दिया गया है । वहां पानी केन्द्रीय रेलवे से लिया जाता है तथा बिजली स्थानीय बिजली कम्पनी से ली जाती है जिस का सामान्य खर्चा दिया जाता है । कुछ कर्मचारियों के लिये रहने के मकान नासिक स्थित राज्य सरकार की डिस्टलरी (शराब बनाने का कारखाना) से लिये गये हैं जिनका किराया उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है जिन्हें वे मकान दिये गये हैं।

इस समय वहां काम करने वालों की संख्या ९९ है । ऐसी आशा की जाती है कि अन्त में इस छापेखाने में १,२०० कर्मचारी काम करेंगे ।

टैक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र

११३. **डा० पी० एस० देशमुख** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन टैक्निकल प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है जो १९४६-४७, १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में चालू थे ?

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा इन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति की जांच की गई है ?

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या उनकी संख्या को बढ़ाने अथवा घटाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत जिन टैकनिकल प्रशिक्षण केन्द्रों में काम हो रहा था, उनकी संख्या निम्न प्रकार थी :—

१९४६-४७	६९
१९४७-४८	८७
१९४८-४९	८८
१९४९-५०	८२
१९५०-५१	६०
१९५१-५२	५२

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, किन्तु उस स्थिति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जायगा।

रेडियो सेट (आयात)

११४. डा० पी० एस० देशमुख: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ वर्षों में भिन्न देशों से भारत में आयात किये गये रेडियो सेटों की कुल संख्या कितनी थी ?

(ख) आयात किये गये इन रेडियो सेटों का कुल मूल्य कितना था ?

(ग) इन सेटों के आयात करने से कितना आयात शुल्क प्राप्त हुआ था ?

(घ) इन में से प्रत्येक वर्ष में भारत में बनाये गये रेडियो सेटों की कुल संख्या कितनी थी ?

(ङ) उनके कुल मल्य का क्या अनुमान है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर : (क) से (ङ) तक। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३**

प्रसारण यंत्र

११५. डा० पी० एस० देशमुख : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में प्रत्येक में भारत में आयात किये गये प्रसारण यंत्रों का मूल्य कितना है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि टैक्निशियनों की कमी के कारण वे यंत्र बहुत समय तक बन्दरगाह में पड़े रहे थे ?

(ग) इस दिशा में वे कितने समय तक पड़े रहे थे ?

(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ ऐसा सामान है जिसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया है ?

(ङ) क्या सरकार ने कभी इस बात की जांच की कि उत्सर्जन निदेशालय में कौन से यंत्र उपलब्ध थे ?

(च) क्या सरकार ने उत्सर्जन निदेशालय से कोई यंत्र लिये ?

(छ) यदि ऐसा है, तो कब, वह कौन सा यंत्र था और उसका पुस्त मूल्य क्या था ?

(ज) वह यंत्र कब लिया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) निम्नलिखित वर्षों में प्रसारण यंत्रों का मूल्य यह था :

(१)	१९५०-५१	७,५७,२८५ रुपये था
(२)	१९५१-५२	६,९५,६०० रुपये था

(ख) तथा (ग)। जी नहीं। उपरोक्त सामान आल इण्डिया रेडियो के केन्द्रों के यंत्रों को चालू रखने की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक था इसमें एक रिकार्ड तय्यार करने की मशीन सम्मिलित नहीं है जो कि स्थानाभाव के कारण नहीं लगाई जा सकी; इस वित्तीय

वर्ष में इसे दिल्ली में लगाने के प्रबन्ध कार्यों में प्रगति हो रही है।

(घ) रिकार्ड तय्यार की मशीन के अतिरिक्त भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यंत्रों को चालू रखने के लिये आवश्यक सामान हमारे पास है। यहां यह भी बता दिया जाय कि आल इण्डिया रेडियो की आठ वर्षीय विकास योजना के सम्बन्ध में पहिले आयात किया गया कुछ ट्रांसमिटिंग (प्रसारक) तथा स्टूडियो का सामान धना-भाव के कारण सुरक्षित रख लिया गया था।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां।

(छ) वे यत्र १९४७ तथा उसके बाद खरीदे गये थे और उसमें ट्रांसमिटर्स, रिसीवर्स, विद्युत् ध्वनि मापक यंत्र (इलेक्ट्रिकल-मेज़रिंग इक्विपमेंट) तथा औज़ार सम्मिलित हैं। जो सामान लिया गया है उसका कुल मूल्य १,८४,४६३ रुपये था। उनका पुस्त मूल्य जितने धन का भुगतान किया गया है उससे पांच गुना है।

(ज) १९४७ के बाद प्रति वर्ष बहुत यंत्र लिये गये थे।

सूत के दाम

११६. डा० पी० एस० देशमुख: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में विभिन्न नम्बरों के सूत का नियंत्रण मूल्य क्या था?

(ख) क्या हाल ही में सूत के दामों में कमी हुई है?

(ग) यदि ऐसा है, तो अब प्रत्येक मामले में क्या दाम है?

(घ) कमी की प्रतिशतता क्या है?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क), (ग) तथा (घ)। विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ख) जी हां, श्रीमान्।

साइकिल (उत्पादन तथा आयात)

११७. डा० पी० एस० देशमुख: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५० तथा १९५१ प्रत्येक वर्ष में भारत में बनाई गई साइकिलों की संख्या कितनी है?

(ख) इन दो वर्षों में भारत में आयात की गई साइकिलों की संख्या कितनी थी तथा प्रत्येक मामले में रुपयों में मूल्य कितना था?

(ग) क्या साइकिलों का आयात करने के लिये परमिट लेना आवश्यक होता है?

(घ) यदि ऐसा है, तो प्रत्येक मामले में कितनी परमिट दी गई थीं तथा कितनी साइकिलों के लिये?

(ङ) विभिन्न छापों की बनाई गई साइकिलों के दाम क्या हैं?

(च) साइकिल के किन पुर्ज़ों को संरक्षण मिला हुआ है?

(छ) क्या इस में भारत में बनाये गये सभी पुर्ज़े सम्मिलित हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):

१९५०	१०३,१५३
१९५१	११४,२७५

(ख)

	संख्या	मल्य
	रुपये	रुपये
१९५०	१०९,५९३	९६,७२,०००
१९५१	२७३,४३७	२६७,९७,०००

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ)

लाइसेंसों की संख्या	मल्य लाख रुपयों में	जितनी साइकिलों के लिये लाइसेंस दिया गया
१९५०—१,८९९	—२६६,७९	—*२६६,७९०
१९५१—२,४४४	—२५९,०४	—*२५९,४०

*प्रत्येक साइकिल का मूल्य १०० रुपये मानते हुए यह हिसाब लगाया गया है।

(ङ) देशी साइकिलों के नियंत्रित मूल्य इस प्रकार हैं :—

हिन्द (स्टेन्डर्ड)	१४३ रुपये ८ आने
हर्कुलीज़ (इण्डिया)	२०५ रुपये
ज़ेबरा	१७७ रुपये
आर्मी	१७७ रुपये
अटलस	१७७ रुपये

(च) ज़िन पुर्ज़ों से पूरी साइकिल बनकर तय्यार होती है उन्हें तटकर संरक्षण प्राप्त है।

(छ) जी हां, श्रीमान्।

सेवा नियोजन

११८. **श्री झुनझुनवाला** : (क) **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आयोग ने जो अब तक योजना बनाने में लगा हुआ था, इस बात पर विचार किया है कि लोगों को पूर्ण रूप से सेवा में लगाये रखा जाय ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस बात के सम्बन्ध में वह किस निश्चय पर पहुंचा है ?

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो पूरे वर्ष भर सेवायुक्त रहते हैं ?

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो फ़स्ल के दिनों में सेवायुक्त रहते हैं ?

(ङ) जब ऐसे व्यक्तियों को काम पर से हटा दिया जाता है तो वे क्या काम करते हैं ?

(च) क्या योजना आयोग ने भारत की जन संख्या में वार्षिक वृद्धि प्रश्न पर विचार किया है ?

(छ) क्या सरकार का विचार इस वृद्धि को रोकने का है ?

(ज) यदि ऐसा है, तो सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) देश की आर्थिक व्यवस्था में विकास करने के पश्चात् ही पूर्ण रूप से लोगों को सेवायुक्त रखा जा सकता है जो कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। पूर्ण रूप से लोगों को सेवायुक्त रखने के सम्बन्ध

में वही अड़चनें पेश होती हैं जो विकास करने में होती हैं।

(ग) यह सूचना सरलता से उपलब्ध नहीं है।

(घ) फैक्टरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत सर्वकालीन तथा अल्पकालीन फैक्टरियों के बीच जो अन्तर था उसे हटा दिया गया है इसलिये अल्पकालीन फैक्टरियों में जिन व्यक्तियों को रखा जाता है उनकी संख्या नहीं बतायी जा सकती है।

(ङ) सरकार के पास कोई निश्चित योजना नहीं है।

(च) जी हां।

(छ) तथा (ज). सरकार को इस मामले में सलाह देने के लिये कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय इस विषय में एक जनसंख्या नीति समिति बनाई गई है। समिति के सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

रुई

११९. पंडित एम० बी० भार्गव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४९-१९५० तथा १९५१ में भा में पैदा की गई विभिन्न प्रकार की छोटे, बीच के तथा लम्बे रेशे वाली रुई की कुल मात्रा तथा कुल मूल्य कितना था ;

(ख) इन तीन वर्षों में विदेशों से भारत में आयात की गई तथा भारत से निर्यात की गई प्रत्येक किस्म की रूई का कुल मूल्य तथा कुल मात्रा कितनी थी ;

(ग) इन तीन वर्षों में भारत में कपड़ा उद्योग के उपभोग के लिये आवश्यक प्रत्येक किस्म की रूई का कुल मूल्य तथा कुल मात्रा कितनी है; तथा

(घ) प्रत्येक किस्म की रूई में घरेलू उपभोग के मामले में भारत के किस तारीख तक आत्मनिर्भर होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(घ) आत्मनिर्भर होने के विषय में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

कपड़ा तथा सूत

१२०. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४९, १९५० तथा १९५१ में भारत में तय्यार किये गये कपड़े तथा सूत (मोटा, बीच का, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म) की प्रत्येक किस्म की कुल मात्रा तथा कुल मूल्य कितना था ;

(ख) इन तीन वर्षों में भारत में आयात तथा भारत से निर्यात किये गये कपड़े तथा सूत (मोटा, बीच का, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया) की प्रत्येक किस्म की कुल मात्रा तथा कुल मूल्य कितना है ;

(ग) वर्ष १९५२ के आरम्भ होने पर कपड़े तथा सूत के प्रत्येक किस्म के माल की कुल मात्रा तथा कुल मूल्य कितना है; तथा

(घ) इन तीन वर्षों में भारत में उपयुक्त सूत तथा कपड़े (बीच का, मोटा, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया) की प्रत्येक किस्म की कुल मात्रा तथा कुल मूल्य कितना कितना है तथा वर्ष १९५२ में उपभोग के लिये आवश्यक कपड़े तथा सूत का अनुमानित मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ) तक विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

छापखानों के लिये विशेषज्ञ समिति

१२१. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी छापेखानों के पुनर्संगठन के मामले में जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो मुख्य सिपारिशें क्या हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री **बुरागोहिन**) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान गजट आफ़ इण्डिया (भारत का राजपत्र) दिनांक १७ मई, १९५२ के भाग १ की धारा १ में प्रकाशित निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के संकल्प संख्या एस० एण्ड पी०-७८१ (१४)-५१, दिनांक ८ मई १९५२ की ओर दिलाया जाता है ।

हीराकुड बांध परियोजना

१२२. **डा० नटवर पांडे** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध परियोजना के सम्बन्ध में ३१ दिसम्बर, १९५१ तक कुल कितना व्यय हुआ; तथा

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट धन में से कितना धन इन पर व्यय किया गया है :

(१) इमारतों के बनाने पर ;

(२) महानदी तथा इस के रास्तों पर संयुक्त रेल तथा सड़क पुल बनाने पर ;

(३) सड़कों तथा रेलवे साईडिंग्स (पार्श्वों) के बनाने पर ;

(४) वर्कशाप तथा बिजली घरों के निर्माण पर ;

(५) नहरें खोदने पर; तथा

(६) स्थापना व्यय पर ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) लगभग ११·६८ करोड़ रुपये ।

(ख) (१) वर्कशाप तथा बिजली घर पर हुए व्यय को मिला कर ९१·६७ लाख रुपये ।

(२) ५९·४२ लाख रुपये । इन आंकड़ों में उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित राशि सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह राशि आंशिक रूप से नेशनल हाईवे नं० ६ (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६) के तथा आंशिक रूप से हीराकुड बांध परियोजना के व्यय में लिखी जायगी ।

हीराकुड परियोजना तथा नेशनल हाईवे नं० ६ के बीच संविभाजन के प्रश्न पर अब भी विचार हो रहा है ।

(३) ३२·११ लाख रूपये ।

(४) १७·०० लाख रुपये ।

(५) ६०·६६ लाख रुपये ।

(६) ८३·९१ लाख रुपये ।

पाकिस्तान को कोयला

१२३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में पाकिस्तान को कितना कोयला भेजा गया था ?

(ख) क्या यह कोयला वस्तु विनिमय अथवा नकद मूल्य के आधार पर मुहय्या किया गया था ?

(ग) यदि ऐसा वस्तु विनिमय के आधार पर किया गया था तो इस के बदले में कौन सी वस्तुयें ली गई थीं और इन में से प्रत्येक वस्तु कितनी प्राप्त हुई है ?

(घ) क्या हिसाब साफ कर दिया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) ११,८१,२२८ टन (पहिली अप्रैल १९५१ से ३१ मार्च, १९५२ तक की अवधि में)।

(ख) यह नकद मूल्य के आधार पर मुहय्या किया गया था।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी हां। हमें पूरा भुगतान मिल गया है।

छिपलीमा की परियोजनायें

१२४. **डा० नटवर पांडे :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध परियोजना के सम्बन्ध में छिपलीमा तथा समीपवर्ती गांवों में सहायक बांध, पावर चैनल बिजली के लिये (पानी के जाने वाली नहर) तथा सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में अबतक कुल कितनी भूमि प्राप्त की गई है; तथा

(ख) सहायक बांध तथा पावर चैनल के कार्य को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छोड़ देने के पश्चात् क्या सरकार ने उस प्राप्त की गयी भूमि को लौटाने का निश्चय किया है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) ३,८५४ एकड़।

(ख) चूंकि सहायक बांध तथा पावर चैनल के काम को १९५५-५६ के बाद तक के लिये छोड़ दिया गया है अतः प्राप्त की गई भूमि को देने का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

मैत्री संधियां

१२५. **श्री गुरुपादस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वे देश कौन से हैं जिन के साथ भारत ने मैत्री संधियां की हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत सरकार ने निम्नलिखित देशों के साथ मैत्री संधियां की हैं :

(१) अफ़गानिस्तान।
(२) ईरान।
(३) बरमा।
(४) स्विट्ज़रलैण्ड।
(५) नैपाल।

इस्पात

१२६. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात उत्पादक कारखानों द्वारा १९५१ वर्ष में उत्पादित इस्पात की मात्रा ;

(ख) इस प्रकार उत्पादित इस्पात के विविध विभागों के लिये नियत किये गये अभ्यंश ;

(ग) विभागों द्वारा नियत अभ्यंश में से उपयोग में लायी गयी वास्तविक मात्रा और उपयोग में न लायी गई मात्रा; और

(घ) वह प्रक्रिया जिस के द्वारा भारत सरकार यह पता लगाती है कि एक विभाग के लिये नियत किये गये अभ्यंश उसके द्वारा उचित रूप में अपने ही काम में लाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) १,०७३,६०० टन।

(ख) तथा (घ). एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७**]

(घ) जिन अधिकारियों को कोटा दिया जाता है उन से यह देखने के लिये भी कहा

जाता है कि उन को दिये गये कोटा का ठीक प्रकार से प्रयोग हो रहा है या नहीं। इस कार्य के लिये लोहा तथा इस्पात (उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण) आदेश १९४१ के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कोटा पाने वालों के लेखों का निरीक्षण करें और उनके यहां जा कर तलाशी लें। समस्त कोटा पाने वालों की हर तीसरे महीने एक बैठक होती है जिस में सारी स्थिति का पुनरीक्षण होता है जिससे कि समय समय पर आवश्यक समन्वय किये जाते हैं।

चीन को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

१२७. **श्री आर० एस० तिवारी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले महीने चीन भेजा गया सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल किन किन स्थानों पर गया है ?

(ख) क्या पेकिंग में एक चीन-भारत मैत्री संघ बनाया गया है ?

(ग) कथित संघ की बैठक कब और कहां संपन्न होगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) दौरे के कार्यक्रम की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८**]

(ख) तथा (ग). जी हां। मैत्री संघ का उद्घाटन पेकिंग में १६ मई को हुआ था इस मैत्री संघ की भविष्य की बैठकों के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

श्रम सेवा नियोजन

१२८. **श्री कण्डासामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम सेवा नियोजन को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या निर्देशालय तथा सेवा नियोजन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है; तथा

(ग) कितने समय तक के लिये ये कर्मचारी स्थायी रूप से रखे गये थे तथा इन की संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) तथा (ख). जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जुलाई, १९४५ से जब से पुनर्संस्थापन तथा सेवा योजनालय स्थापित किये गये थे तब से इन के समस्त कर्मचारी स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

जोंक नदी बांध परियोजना

१२९. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जोंक नदी बांध परियोजना का परिमाप पूरा हो गया है; तथा

(ख) यदि इस का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उपरोक्त परियोजना के बांध तथा सिंचाई के नाले के निर्माण कार्य को कब से आरम्भ किया जायगा ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Monday, 9 June 1952

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

(First Session)

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, ९ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

रेलवे बजट—अनुदानों की मांगें

मांग संख्या ६क—साधारण कार्यवाहक व्यय—श्रम कल्याण

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट को लेंगे। मुझे पता लगा है कि यह तय हो गया है कि आज पहले मांग संख्या ६क ली जायेगी तथा ५ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

प्रस्ताव है कि "साधारण कार्यवाहक व्यय—श्रम कल्याण" के लिये २,६१,३१,००० रुपये की राशि दी जाये।

रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति

श्री एन० आर० नायडू (राजामंड्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'साधारण कार्यवाहक व्यय—श्रम कल्याण' मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

सरकार की नीति

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'साधारण कार्यवाहक [व्यय—श्रम कल्याण' मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

श्रम कल्याण नीति

श्री टी० क० चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'साधारण कार्यवाहक व्यय—श्रम कल्याण' मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

स्कूलों की संख्या इत्यादि बढ़ाने का प्रावधान

श्री बैरो (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'साधारण कार्यवाहक व्यय—श्रम कल्याण' मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

कल्याण सेवायें

श्री **एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"'साधारण कार्यवाहक व्यय—श्रम कल्याण' मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत हैं। मुझे बताया गया है कि आज मांग संख्या १५ भी ली जानी है।

[अध्यक्ष महोदय]

किन्तु उस पर चर्चा तभी हो सकेगी जब हमारे पास समय रहेगा ।

सरदार हुकम सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं मांग संख्या ६क को लेता हूं । रेलवे के वास्तविक काम करने वालों को बहुत ही कम वेतन मिलता है तथा उनकी नौकरी की शर्तें भी कोई अच्छी नहीं हैं । जब कि रेलवे के मुख्य आयुक्त को ५००० रुपया प्रति मास मिलता है तब एक साधारण रेल कर्मचारी को साल भर में कुल ८५० रुपये मिलते हैं अर्थात् ७५ रुपये महीना । महंगाई को देखते हुए यह राशि बिल्कुल ही अपर्याप्त है । फैक्टरी में काम करने वाले को कम से कम १२५ रुपया प्रति मास तथा फ़ैक्टरी में काम न करने वाले को कम से कम ८० रुपया प्रति मास तो मिलना ही चाहिये । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खाद्य सहायता को बन्द कर देने से उसकी हालत और भी खराब हो जायेगी ।

यह सत्य है कि रेलवे कर्मचारी को डाक्टरी सहायता दी जाती तथा उसकी देख भाल भी की जाती है । किन्तु यह सहायता पर्याप्त नहीं है ।

जहां तक मकान का प्रश्न है मेरा कहना है कि तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को मुफ्त में रहने को मकान नहीं दिया जाता है । शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि रेलवे के स्कूलों में केवल रेलवे कर्मचारी के लड़के पढ़ सकते हैं किन्तु उसका भतीजा, भंजा इत्यादि कोई नहीं पढ़ सकता है चाहे स्कूल में जगह ही क्यों न हो । इसके अलावा ८० प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों के पास रहने को मकान नहीं है । यद्यपि हम ने बड़ी बड़ी परियोजनायें तैयार की हैं किन्तु इन सब से तब ही लाभ हो सकता है जब हम अनेक कोषों में धन जमा न करके उसे इस कार्य में लगायें ।

अब मैं आप का ध्यान एक विशेष प्रकार के कर्मचारी की ओर आकर्षित करता हूं । वास्तव में, वह रेलवे का कर्मचारी नहीं है फिर भी उसका रेलवे से काफी सम्बन्ध है । मेरा तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो स्टेशनों पर फल, मिठाई, पान इत्यादि बेचते हैं । इन्हें रेलवे नहीं रखती है फिर भी वह स्टेशनों पर काम करते हैं । रेलवे स्टेशनों का ठेका ठेकेदारों को दे देती है और वे अपने मन के आदमी रखते हैं । जब कि ठेकेदारों को रेलवे को केवल कुछ ही रुपया देना पड़ता है तब वे इन व्यक्तियों से खूब बढ़ा चढ़ा कर रुपया लेते हैं । उनसे रातों दिन काम कराते हैं । फिर भी शिकायत होने पर उन्हें निकाल देते हैं । ठेकेदार को अपनी पूंजी तो लगानी नहीं पड़ती वह तो केवल स्टेशन के बड़े अधिकारियों को खुश रखता है तथा इन व्यक्तियों से खूब रुपये एंठता है । यह व्यक्ति बेचारे किसी से अपना दुःख नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन का मालिक तो ठेकेदार है न कि रेलवे । यहां तक कि रेलवे इन ठेकों के लिए कोई टेन्डर इत्यादि तक नहीं मांगती है । उच्च अधिकारी जिसे चाहता है ठेका दे देता है । और पीसे जाते हैं यह बेचारे फेरी लगाने वाले । मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री इस प्रथा को शीघ्र से शीघ्र दूर करें जिससे रेलवे और जनता दोनों को ही लाभ हो ।

अब मैं मांग संख्या १५ को लेता हूं—नये रेल पथों का निर्माण—पूंजी तथा अवक्षयण निधि । इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि फिरोज़पुर-लुधियाना रेलवे लाइन पर मोगा का जो रेलवे स्टेशन है उसे भटिंडा रेलवे स्टेशन से मिला दिया जाये । यह दोनों ही महत्वपूर्ण स्टेशन हैं । मोगा अनाज की बहुत बड़ी मंडी है तथा विभाजन के पश्चात् उसका महत्व और भी बढ़ गया

है । भटिंडा तो पहले ही से एक बहुत महत्वपूण रेलवे जंकशन है । इन दोनों के बीच न तो कोई रेलवे लाइन है और न कोई सड़क ही है । इसीलिए जब किसी को कपूरथला, जलन्धर या अमृतसर से भटिंडा की ओर जाना होता है तो उसे बड़ा चक्कर पड़ता है । इन दोनों के बीच यदि लाइन बना दी जाये तो व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा । यातायात बढ़ जायेगा तथा साथ ही रेलवे की आय भी बढ़ जायेगी । मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री इस प्रस्ताव पर शीघ्र से शीघ्र विचार करें ।

श्री चतुर्वेदी (एटा जिला—मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एटा जिले का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में एटा एक ऐसी जगह है जहां कि रेलवे लाइन नहीं है । मैं ने माननीय रेलवे मिनिस्टर साहब के पूरे बजट को खूब अच्छी तरह पढ़ा और मैं उन को बता देना चाहता हूं कि बजट अच्छा है लेकिन मुझे आप के जरिये से उन की सेवा में निवेदन करना है वह इस अहम बात के ऊपर इस जरूरी चीज के ऊपर खास तवज्जह दें कि एटा जिले में रेलवे लाइन नहीं है । मैं ने उत्तर प्रदेश में पता लगाया तो देखा कि उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स (ज़िला स्थानों) में रेलवे स्टेशन हैं, सिवाय हिल एरिया (पहाड़ी भाग) के कोई ऐसा हैडक्वार्टर नहीं है जहां रेलवे स्टेशन न हो । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द एटा में रेलवे स्टेशन खोला जाये ।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी कहनी है कि जो आज कल यहां पर माननीय रेलवे मंत्री हैं वह हमारे यहां पहले यातायात मंत्री भी रह चुके हैं और अक्सर जब वह एटा आया करते थे तो हमेशा यह कहा करते थे कि यह जिला एक ऐसा है जहां कि रेलवे लाइन जरूर होनी चाहिये और हम लोगों ने उन से कहा कि आप ही लोग इस की कोशिश कर सकते हैं । यह हमारा सौभाग्य है कि आज वह खुद रेलवे मिनिस्टर हैं, लिहाजा मैं उन से इस को जरूरत और अहमियत पर क्या कह सकता हूं, क्योंकि उन्हें खुद ही मालूम है । मुझे यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि जब सारे हिन्दुस्तान के लिये नई रेलवे लाइनें बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा तब मुमकिन है कि कुछ मुश्किलात सामने आवें क्योंकि एक उत्तर प्रदेश ही खाली ऐसा नहीं है जहां कि जरूरत को देखा जाय बल्कि और भी बड़े बड़े मसले हिन्दुस्तान के हैं जो सामने आ सकते हैं परन्तु मेरा बहुत निम्न निवेदन है कि इस मसले पर भी ग़ौर किया जाय ।

सन् १९१० और १९११ से एटा जिले की रेलवे लाइन के बारे में फाइलें चल रही हैं और एक दफा सन् ११ या १२ में सर्वे भी हो चुका है और बिल्कुल तय था कि वहां रेलवे स्टेशन खोला जायेगा लेकिन उस के बाद लड़ाई शुरू हो गई और वह स्कीम ड्राप (समाप्त) हो गई । दूसरे महायुद्ध से पहले भी यह चीज छेड़ी गई और फिर दूसरा महायुद्ध शुरू हो जाने से ड्राप हो गई । अब सन् ४२ से फिर यह फाइल चल रही है और इस के बारे में प्राविंशियल गवर्नमेंट और रेलवे बोर्ड से जो खतोकिताबत हुई थी उस के बहुत से काग़जात मेरे पास हैं । हमारे सूबे के जो पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर हैं उन्होंने इस की बहुत सिफारिश की और बहुत ज़ोरों से बताया कि यहां रेलवे लाइन बहुत जरूरी है । उन्होंने यह सिफारिश अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके भेजी थी । रेलवे बोर्ड ने अपने किसी एक इंस्पेक्टर को वहां भेजा जिसने कि जांच की लेकिन हम लोगों को उस जांच से संतोष नहीं है । मेरा निवेदन है कि उस की ठीक से जांच

[श्री चतुर्वेदी]

कराई जाय और वहां रेलवे लाइन खोलने का प्रयत्न किया जाय।

यह कहा जा सकता है कि एटा ज़िला रोडवेज की गाड़ियों से मिला है। मेरा नम्र निवेदन है कि एटा-अलीगढ़, एटा-आगरा और एटा-कासगज तो मिले हैं लेकिन बाकी जो एरिया है वहां कोई बस सर्विस नहीं है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। एटा जिला एक बढ़ता हुआ जिला है, वहां अच्छी मंडियां हैं, व्यापार भी अच्छा है अगर रेलवे स्टेशन खुल जायेगा तो इस में कोई शक नहीं कि वह किसी भी अच्छे ज़िले से मुकाबिला कर सकता है। एटा ज़िले में चार तहसीलें हैं। तीन तहसीलों में बिल्कुल भी कोई भी बस का या लारी का या यातायात का ज़रिया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : एक बात इसी सिलसिले में मैं यह भी बता दूं कि एटा जिला बहुत बदनाम ज़िला है। क़ासिम. रिज़वी एटा ज़िला का था या बड़े बड़े डकैत एटा ज़िले के थे। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह सब इस वजह से है कि वहां ठीक कम्युनिकेशन का इंतज़ाम नहीं है। ठीक कम्युनिकेशन हो जाने से कोई शिकायत या मौका नहीं मिलेगा। अभी शुक्रवार तथा बृहस्पतिवार दो रोज लाबी में मैंने देखा कि मेम्बर साहबान कह रहे थे कि यह जो सेशन था इस में ट्रावनकोर-कोचीन और रायलसीमा ने डामिनेट (प्रभुत्व) किया और सिवाय इसके कोई बात नहीं हुई। इस लिये मेरा नम्र निवेदन है कि यह जो एक ब्लैक स्पाट (अशोभनीय स्थान) है इस की तरफ भी ...

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : ब्लैक नहीं श्रीमान्। मैं भी इसी राज्य का हूं। वह ब्लैक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय सदस्य का दृष्टिकोण है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका दृष्टिकोण माननीय मंत्री के दृष्टिकोण से भिन्न है।

श्री चतुर्वेदी : ब्लैक इसलिये मैं ने कहा कि वहां .....

अध्यक्ष महोदय : वह कहना चाहते हैं कि वह रेलवे न रहने के कारण काले हैं।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : "ब्लैक स्पाट" अच्छा रहेगा।

श्री चतुर्वेदी : २९-४ को चीफ कमर्शियल मेनेजर से एक चिट्ठी गई थी उसको मैं पढ़े देता हूं।

"उस क्षेत्र में वर्तमान रेल तथा सड़कों की सुविधायों तथा उस से जो कम आय होगी उसको देखते हुए नई लाइन के बनाने के लिए रेलवे बोर्ड से सिफारिश नहीं की गई है।"

यह चिट्ठी गई थी। तो अब सवाल यह है कि रेलवे के होने से उसकी एकानामिक कंडीशन (आर्थिक दशा) बेहतर होगी या पहले एकानामिक कंडीशन बेहतर हो जाय तब रेलवे आयेगी। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस चीज की तरफ ख़ास तौर से तवज्जह दी जाय। मैं आनरेबिल रेलवे मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दें और हम लोगों का डेप्युटेशन (शिष्ट मंडल) मिला और वह अगर इस बारे में कुछ कर सकें तो मैं बहुत आभारी होऊंगा।

श्री रामजी वर्मा (जिला देवरिया—पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि रेलवे आज हमारे सरकार के हाथ में है। आज यह किसी कैपिटलिस्ट (पूंजीपति) के हाथ में नहीं है, किसी कम्पनी के हाथ में नहीं है। किन्तु आज जिस प्रकार रेलवे सरकार के हाथ में है उस को ठीक से चलाने के लिये सिर्फ रेलवे बोर्ड से काम नहीं चलने का है। मैं सरकार से प्रार्थना

करूंगा कि एक नेशनल रेलवे कौंसिल (राष्ट्रीय रेलवे परिषद्) कायम करे जिस में मैनेजमेंट (प्रबन्ध) लेबरर्स (श्रमिक) और कनज्युमर्स (उपभोक्ता) सब के प्रतिनिधि रहें । इस से कोई झगड़ा आप के पास बारबार न आये और सब झगड़े वहीं सुलझा दिये जाया करें, वरना गोरखपुर जैसी घटना रोज़ घटेगी और आप के यहां आयेगी । स्टेट सरकार, लखनऊ की सरकार, कहेगी कि हमारे, डी० ऐम० (ज़िलाधीश) है वह निर्दोष हैं, हमारे मंत्री जी कहेंगे कि जनरल मैनेजर तो किसी पकड़ में आता नहीं । उस दिन हमें अफ़सोस हुआ जिस दिन गृह मंत्री जी ने जनरल मैनेजर की प्रशंसा करते हुए और उस की सफाई देते हुए कहा कि जनरल मैनेजर पाण्डे हैं और ज़िलाधीश दुबे हैं इसलिये दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है । मैं निहायत अदब के साथ यह सूचना गृह मंत्री जी को दे देना चाहता हूं क्योंकि वह हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे प्रान्त के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, बहुत बड़े वकील हैं, किन्तु फिर भी——जब वह कहते हैं कि दुबे और पाण्डे में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है दोनों दो बिरादरी के हैं तो मैं कहूंगा कि माफ़ किया जाये दुबे और पाण्डे एक ही ब्राह्मण कौम की दो शाखायें हैं और इन में खूब सम्बन्ध हो सकता है ।

मुझे मालूम नहीं है कि जनरल मैनेजर और ज़िलाधीश का क्या सम्बन्ध है ? लेकिन मैं आप से कहता हूं कि आप उस केस की एक मर्तबा जांच कराइये बहुत से गढ़े हुए मुर्दे उस से निकलेंगे । आप जांच कराने से इन्कार न कीजिये । मैं फिर मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि गोरखपुर केस की आप एक मर्तबा निष्पक्ष जांच अवश्य करायें ।

मुझे याद है कि हमारे एक माननीय एम० पी० श्री सिंहासन जी जो यहां बैठे हुए हैं उन से ज़िलाधीश अक्सर इस मामले के बारे में बार बार मिलते थे । मुझे यह पता नहीं कि वह उन से क्या पूछते थे और यह उन को क्या राय देते थे । लेकिन इन लोगों की रिपोर्ट ज़िलाधीश और सिंहासन जी के नाम से अलग अलग अख़बारों में छप चुकी है । मुझे उस सारे रिपोर्ट को पढ़ने के लिये इस समय वक्त नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उस रिपोर्ट को पढ़ें । वाकया यह है कि २३ तारीख को गोरखपुर में ज़िलाधीश बुलाये जाते हैं और ज़िलाधीश द्वारा लोगों को डिसपर्स होने का हुक्म दिया जाता है और इस पर लोग जाने लगते हैं उस समय दस पांच आदमी पकड़ लिये जाते हैं । इस तरह की कार्यवाही से गोरखपुर में उत्तेजना और भी बढ़ती है और दूसरे दिन फिर करीब १०० आदमी पकड़ लिये जाते हैं तीसरे दिन सरकार की ओर से फायरिंग की जाती है जिस की हालत सारे भवन को मालूम है । इस तरह से जब लोग डिसपर्स होते रहे हों और भाग जाते रहे हों तो सरकार की ओर से उत्तेजना बढ़ाने के लिये उन को गिरफ्तार किया जाता है । मुझे गोरखपुर की घटना के बारे में सब बातें मालूम हैं । गोरखपुर के जो जिलाधीश हैं उन को भी में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । वह कई वर्ष देवरिया में रह चुके हैं और मुझ से उन का बहुत निकट का सम्बन्ध रहा है । मैं उन को खूब अच्छी तरह से जानता हूं, वह एक शिकारी आदमी हैं, लेकिन वह अब जंगल के पशुओं का शिकार करना नहीं चाहते बल्कि मनुष्यों का शिकार करना चाहते हैं । वह जनता का शिकार कर के गवर्नमेंट की नजरों में खैरख्वाह बनना चाहते हैं । इस तरह की कार्यवाहियों से वह अपना नाम हासिल करना चाहते हैं । आज उत्तर प्रदेश की सरकार उन के खिलाफ़ कोई जांच करने के लिये तैयार नहीं है । आज हमारे मंत्री जी इस बात पर परदा डालते हैं कि पांडे और दुबे में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता ह । मैं आप से कहता हूं कि

[श्री रामजी वर्मा]

ईश्वर के नाम पर, पुरानी कांग्रेस के नाम पर, गांधी जी के नाम पर, आप एक बार गोरखपुर की घटनाओं के बारे में जांच कराइये तो आप को ऐसी बातें मालूम होंगी जो अभी तक आपको मालूम नहीं हैं । वह सब आप के सामने आ जायेंगी । हमारे सिंहासन सिंह जी ने जो राय उस समय जिलाधीश को दी वह आप उन से पूछ सकते हैं । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस घटना के बारे में अवश्य जांच कराइये । मुझे गोरखपुर के सम्बन्ध में खास तौर से कहना है वह यह है कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी (न्यायिक जांच) के बारे में आप अवश्य विचार करेंगे तो वहां के गड़े हुये मुर्दे सब आप के सामने आ जायेंगे । इस से सरकार को भी बहुत फ़ायदा होगा । इस के साथ ही साथ जनता का भी फ़ायदा होगा । लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप इस बात पर परदा न डालें । मुझे सरकार की जांच न करने की नीति पर दुःख होता है । मेरे पास बहुत सी चिट्ठियां आई हैं कि काटजू साहब जब यह कहते हैं कि पांडे और दुबे में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता तो यह सुन कर दुःख होता है, उन लोगों ने लिखा है कि आप लोगों को इस बात पर चुप नहीं बैठना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर काम करने का यह तरीक़ा है कि जो कुछ कहना या निवेदन करना होता है वह सभापति जी से किया जाता है । अगर एक दूसरे से बातें करते रहेंगे तो इस तरह से काम नहीं चल सकता है ।

श्री **रामजी वर्मा** : दूसरी बात जो मुझे आप से कहनी है वह गोरखपुर हैडक्वार्टर के सम्बन्ध में है । यहां पर गोरखपुर के सम्बन्ध में बहुत से मैम्बरों ने जिक्र किया । यहां पर यह कई तरह से कहा गया कि गोरखपुर में नार्थ-ईस्टर्न जोन का हैड आफ़िस नहीं होना चाहिये । आज यहां पर माननीय मुखर्जी साहब नहीं हैं, नहीं तो मैं उन से निहायत अदब के साथ अर्ज करता कि इस बारे में अब किसी तरह की इन्क्वायरी या कमीशन बैठाने की आवश्यकता नहीं है । मैं उन से यही अर्ज करूंगा कि जो यह नई स्कीम जारी की गई है उस को आप चलने दीजिये । जिन लोगों ने नार्थ-ईस्टर्न जोन का हैड आफ़िस गोरखपुर में रखने का फ़ैसला किया है वह एक बुद्धिमानी का काम किया । मैं यहां पर इस के बारे में यह बतलाना चाहता हूं कि जब पिछली लड़ाई में जापानियों द्वारा कलकत्ता में बम गिराये गये थे तो उस समय सरकार के बड़े बड़े आफ़िस कलकत्ता से भाग कर लखनऊ, बनारस, और इलाहाबाद में आ गये थे । इस का कारण यह था कि वह स्थान सुरक्षित स्थान समझे गये । बी० ऐन० डब्ल्यू० का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा । इधर उस का नाम ओ० टी० आर० हो गया था । उस का सदर दफ्तर बहुत अरसे से गोरखपुर में ही है । गोरखपुर एक सुरक्षित स्थान है इसलिये यह दफ्तर वहां पर ठीक ही रखा गया है । अगर इस बारे में यह कहा जाय कि यह स्थान कमर्शियलव्यू प्वाइण्ट (व्यवसायिक दृष्टिकोण) से अच्छा नहीं है तो मैं इस बात को नहीं मानता । अगर कलकत्ता और बम्बई में सारे हिन्दुस्तान का व्यवसाय निहित है तो इस वजह से सारे दफ्तर वहां नहीं भेजे जा सकते । अगर यही बात मान ली जाये तो आप के सभी दफ्तरों को बम्बई और कलकत्ता भेज देना चाहिये । इस पार्लियामेंट को भी वहीं पर ले जा सकते हैं । फिर आप सब लोगों को हर प्रकार की सुविधा होगी ।

मैं नहीं समझता कि जब और जगहों के हैडक्वार्टर्स के लिये यहां पर एतराज नहीं होते तो सिर्फ़ गोरखपुर के लिये खास कर एतराज क्यों किया जाता है । मैं मुखर्जी साहब से प्रार्थना करता हूं कि एक बार वह गोरखपुर चलें वहां उन को मालूम हो जायेगा कि वहां की जनता क्या चाहती है । केवल गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की ही जनता नहीं चाहती है बल्कि बिहार वाले, और पंजाब वाले और अधिकांश नहीं वरन् सभी बंगाल वाले जो वहां इस समय गोरखपुर में हैं सब यह बात चाहते हैं । वह लोग स्वयं मुखर्जी साहब से आग्रह करेंगे कि, "माफ़ कीजिये हम को यहां से उजाड़ कर कलकत्ता न भेजिये, हम को गोरखपुर में ही रहने दीजिये ।" चारों ओर से वह इसी तरह की आवाज सुनेंगे । इसलिये मैं उन से निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस आफ़िस को गोरखपुर में ही रहने दें ।

मेरे पास इस समय बहुत से पत्र गोरखपुर से आये हैं । इन पत्रों में यह लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने हड़ताल में भाग लिया था उन लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है । इस से साथ ही साथ जिन लोगों ने कहे जाने वाली हड़ताल में भाग भी नहीं लिया था मगर जो उन लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं उन को भी सताया जा रहा है । मैं इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी का ध्यान फिर उस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जो माननीय सिंहासन जी और जिलाधीश ने इस दुखद घटना के बारे में अखबारों में निकाली है । अगर माननीय मंत्री जी ने उस को पढ़ने का कष्ट किया होगा तो उन को मालूम हो गया होगा कि यह तमाम घटना जान बूझ कर अपनी नामवरी हासिल करने के लिये जिलाधीश ने कराई और इस तरह की परिस्थिति पैदा की । आज रेलवे वर्करों को विक्टिमाइज किया जा रहा है इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह सब बातें मुझे गोरखपुर के सम्बन्ध में कहनी थीं ।

श्रीमान्, मैं आप का ज्यादा समय नहीं लूंगा । हमारे आदरणीय टंडन जी ने जो बात कही थी कि रेलवे में सब तरह की क्लासें खत्म कर दी जायें, उस को सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । आप किसानों और मजदूरों में से सामन्त और धनी वर्ग की बुनियाद को तो नहीं खत्म कर पा रहे हैं । आप चाहते हैं कि रेलवे में एक ही क्लास क़ायम की जाय, लेकिन कैसे की जाय । आप एक ओर तो जनता ट्रेन भी चला रहे हैं । अभी हाल ही में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ऐयरकंडीशनिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं । एक तरफ़ तो आप जनता गाड़ी की बात सोच रहे हैं और दूसरी तरफ़ आप ऐयरकंडीशन गाड़ी बना कर क्लास की बुनियाद को कैसे खत्म कर रहे हैं ? हमारे बहुत से सदस्यों ने यहां पर कहा कि गाड़ियों में पंखे नहीं हैं, फ़लां स्टेशन पर अमुक चीज नहीं है । मैं तो कहता हूं कि जनता को आज पंखे की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि जनता को बैठने के लिये और ज्यादा जगह की जरूरत है । आज जरूरत है ज्यादा कम्पार्टमेंट (सवारी डब्बों) की जिस से जनता आरामपूर्वक बैठ कर जा सके । अगर सरकार इसी तरह का प्रबन्ध कर दे तो जनता बहुत प्रसन्न होगी । मुझे सरकार से यही कहना है कि जनता के बैठने के लिये और ज्यादा जगह का बन्दोबस्त किया जाय ताकि उस को इस बात का विश्वास हो जाय कि उस को बैठने को तो आराम से मिल जाता है ।

मैं आप के सामने एक और अर्ज करना चाहता हूं । गोरखपुर और देवरिया का बाशिन्दा होने के नाते मेरा यह फ़र्ज हो जाता है कि मैं कसिया जाने वाले यात्रियों

[श्री रामजी वर्मा]

के कष्ट के बारे में भी कहूं । कसिया में कोई ट्रेन नहीं जाती है । वहां पर बुद्ध जी का निर्वाण स्थान है, बहुत बड़ा मन्दिर है । हजारों विदेशी यात्री हर साल वहां पर आते जाते हैं। वहां कोई पहाड़ और नदी नहीं है। समतल मैदान है फिर भी यात्री बहुत से कष्टों को झेलते हुये पहुंचते हैं । देवरिया से वहां जाने तक लोगों को बहुत कष्ट होता है । कसिया तक कोई ट्रेन न होने से यात्री हम सब को बुरा भला कहते हैं । गाली दिया करते हैं । उधर आप वहां पर ट्रेन पहुंचा दीजियेगा तो आप की नामवरी होगी । आप की प्रशंसा होगी । और हम गाली से बच जायेंगे ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

विदेशी फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगे कि देवरिया एक बैकवर्ड (पिछड़ा हुआ) स्थान है, देवरिया किसी शहर से पीछे है ।

श्री बेली राम दास (बारपेटा) : भारत सरकार ने जिस बड़ी लागत और शीघ्रता से आसाम रेल कड़ी बनाई है उसके लिये हम उन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं । इस रेल के बनने से पूर्व हमें बहुत अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ती थीं । पाकिस्तान से हो कर हमें अपना माल लाना और ले जाना पड़ता था । किन्तु इस के बन जाने पर भी हम जितना माल आसाम में लाना चाहते हैं, नहीं ला पाते हैं । इसका फ़ल यह होता है कि पटसन और चाय जैसी वस्तुओं को अधिक भाड़े पर वायुयानों द्वारा कलकत्ते पहुंचाना पड़ता है । आसाम रेलवे में माल ढोने के स्थान की कमी होने के कारण आसाम के समाचार पत्र अपना अख़बारी क़ाग़ज़ तक नहीं ला पाते हैं । इसी प्रकार आवश्यकता की अन्य वस्तुयें भी हमें वायुयानों द्वारा लानी पड़ती हैं जिससे साधारण व्यक्ति के लिये उनका मूल्य बहुत ही बढ़ जाता है ।

इस कठिनाई को दूर करने के लिये मैं दो उपाय रखता हूं । सरकार को चाहिये कि वह भूतपूर्व ओ० टी० रेलवे के इंजन डब्बे इत्यादि ले कर कलकत्ते और आसाम के बीच विशेष रेलगाड़ियां चलाये जिससे सामान लाया और ले जाया जा सके । यदि सम्भव हो सके तो शीघ्र ही आसाम लिंक रेलवे पर दोहरी लाइनें लगा दी जायें ।

आसाम रेलवे को अंग्रेज़ों ने आसाम के चाय बागानों के योरुपीय मालिकों के लिये बनाया था । वह केवल दो ही बड़े बड़े शहरों से हो कर जाती है अर्थात गौहाटी और डिबरूगढ़ हो कर । वह और किसी ज़िले या सब डिवीज़न के प्रधान कार्यालय से नहीं गुज़रती है । मेरा सुझाव है कि सरकार एक नई रेलवे लाइन रंगपाड़ा से उत्तर-लखीमपुर तक बना दे जिस से आसाम के उत्तरी ज़िलों के बीच सम्बन्ध स्थापित हो जाये । टिरप, बालीपाड़ा जैसी सीमाओं से यह रेलवे लाइन गुज़रेगी जो रक्षा के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा साथ ही किसान भी अपनी फस्लों का सामान ला सकेंगे ।

देश में कोयले की कमी को महसूस किया जा रहा है । किन्तु गारो हिल्स ज़िले में प्रथम श्रेणी के कोयले की अनेक खानें हैं । मैं जानता हूं कि सरकार गारो हिल्स से पाण्डू तक रेलवे लाइन बनाना चाहती थी । उसने उस क्षेत्र का परिमाप भी कराया था, किन्तु पता नहीं कि वह अभी तक क्यों नहीं बनाई गई है ।

आसाम रेलवे के कर्मचारियों में आसामियों की संख्या बहुत कम है यद्यपि यह रेलवे बहुत पुरानी है । रेलवे सेवाओं में से ५ प्रतिशत

भी नहीं हैं। मैं सुझाव रखता हूं कि रेलवे सेवा आयोग पर आसाम राज्य का भी कोई सदस्य होना चाहिये जिससे रेलवे सेवाओं में आसामियों का भी प्रतिनिधित्व हो सके।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर (अमृतसर) : नई रेलवे लाइनों के बनाने के सम्बन्ध में मुझे कई सुझाव रखने हैं। अमृतसर तथा फिरोज़पुर के बीच रेलवे लाइन बनाना न केवल व्यापार बढ़ाने के लिये आवश्यक है बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस बात को मैं कई बार यहां पर कह चुका हूं। किसी हद तक हमें यह जान कर सन्तोष हुआ है कि सरकार ने पठानकोट–मुकेरियन लाइन बना दी है। किन्तु फिरोज़पुर को अमृतसर से सीधे मिलाना भी ज़रूरी है।

जहां तक श्रम कल्याण का सम्बन्ध है मुझे यह कहना है कि रेलवे लाइन की जो मजदूर देख भाल करते हैं उन्हें, गर्मी, जाड़ा, बरसात सभी में काम करना पड़ता है। उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। यह बात अवश्य है कि उनके काम के घंटे ९ से घटा कर ७½ कर दिये गये हैं किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। क्योंकि काम तो उन्हें उतना ही करना पड़ता है। जब तक उनकी संख्या नहीं बढ़ायी जाती तब तक उनको कोई वास्तविक लाभ नहीं हो सकता।

इस में सन्देह नहीं कि जलपान गृहों की स्थिति में सुधार हो गया है फिर भी साधारण व्यक्ति के लिये उन की व्यवस्था का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। स्टेशनों पर भी खाने पीने की चीज़ों का कोई अच्छा इन्तज़ाम नहीं है। स्टेशनों पर फल मिठाई इत्यादि बेचने वाले केवल गाड़ी के समय ही दिखाई पड़ते हैं। गाड़ी के समय पानी पिलाने वाले ग़ायब हो जाते हैं जिस से लस्सी और शर्बत की बिक्री हो। मैं जानता हूं कि यह ठेकेदार जो फल, मिठाई इत्यादि बेचने वालों को रखते हैं बिना कोई पूंजी लगाये हुये प्रतिदिन ७० से ८० रुपये कमाते हैं। बेचारे फेरी वाले को कुछ नहीं मिलता। मुसाफिरों को भी तक़लीफ होती है। इसलिये इस व्यवस्था का समाप्त कर देना ही अच्छा होगा।

कठिनाई की बात एक यह भी है कि यदि वेतन वाले दिन कोई निम्न श्रेणी का कर्मचारी किसी कारण उपस्थित न हो तो उसे उस महीने का वेतन वर्षों तक नहीं मिलता। इस से उसे बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है।

एक दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह है निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला दण्ड। दण्ड के विरुद्ध यदि वह अपील करते हैं तो वह भी नहीं सुनी जाती है। मेरे विचार से जिस प्रकार डाकखाने वालों के लिये अपील प्राधिकार है उसी प्रकार इन रेल कर्मचारियों के लिये भी होना चाहिये जिस से उन के साथ न्याय हो सके तथा वह भी शीघ्रता के साथ।

दूसरी श्रेणी के अधिकारियों के सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह अधिकारी बहुधा निम्न श्रेणी के पदों से ऊपर के पदों पर पहुंचते हैं इसलिये उन्हें काफी अनुभव प्राप्त रहता है। मेरे विचार से अधिकारियों का चुनाव करते समय उन का भी ध्यान रखा जाना चाहिये बल्कि उनके लिये कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर देने चाहियें।

श्री बैरो : मैंने अधिक संख्या में स्कूल खोलने तथा उन की कार्यकारिणी के सम्बन्ध में पुनःसंगठन करने का एक कटौती प्रस्ताव रखा है। पिछले वर्ष जब मैं ने एक ऐसा ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया था

[श्री बैरो]

तो तत्कालीन यातायात तथा रेल-राज्य-मंत्री श्री सन्थानम ने दो बातें कही थीं। पहली तो यह कि जहां बड़े केन्द्र हैं वहां रेलवे अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल खोलने की योजना पर विचार कर रही है तथा दूसरे यह कि वह वर्तमान स्कूलों को जारी रखेंगे तथा उन का विकास करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे ने ऐसे होस्टल अभी तक नहीं खोले हैं। पहली बात तो यही है कि इन में केवल उन्हीं कर्मचारियों के बच्चे भर्ती हो सकते थे जो उन का खर्चा सह सकते हों। दूसरे यह कि इन होस्टलों के बनाये जाने में छोटी आयु के बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखा गया होता। मेरे विचार में यह योजना तब ही सफल हो सकती है जब रेलवे बोर्ड छोटी आयु वाले बच्चों के लिये भी केन्द्रों में शिशु स्कूल खोल दे।

हम यह तो कहते हैं कि रेलें हमारा सब से बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग हैं। किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि कोई भी उद्योग तब तक ठीक से काम नहीं कर सकता जब तक उस में काम करने वालों के बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं होता। उनके बच्चों के लिये पर्याप्त संख्या में स्कूलों का प्रबन्ध कर के ही हम उन की सब से अच्छी सहायता कर सकते हैं। मेरे विचार में रेलवे कर्मचारियों तथा उन के बच्चों में शिक्षा का प्रचार अब दुगने उत्साह से होना चाहिये।

पिछले वर्ष श्री सन्थानम ने यह सन्देह प्रगट किया था कि इस प्रकार स्कूल खोल कर कहीं हम शिक्षा की एक नई पद्धति तो नहीं चला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अन्य संस्थाओं की तरह रेलवे को भी अपने स्कूल खोलने चाहियें। हो सकता है बाद में राज्य सरकारें उन्हें अपने अधिकार में ले लें। साथ ही रेलवे को इन स्कूलों से टेकनिकल योग्यता प्राप्त कारीगर मिलने लगेंगे।

अब मैं रेलवे के कर्मचारियों में साक्षरता फैलाने के प्रश्न को लेता हूं। पिछले वर्ष इस काम के लिये १ लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बतलाया गया है कि साक्षरता फैलाने के लिये किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी? साक्षरता फैलाना केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित रखा गया था अथवा यह कार्य समस्त रेलों पर आरम्भ किया गया था? साक्षरता के लिये डा० लौबाच की पद्धति अपनाई गई थी या रेलवे ने अपना कोई नया तरीका निकाला था?

अन्त में मैं कुछ शब्द इन स्कूलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। बहुधा मेरे सुझाव रेलवे बोर्ड ने मान लिये हैं किन्तु जब वह रेलवे के महासंचालकों को कार्यान्वित करने के लिये भेजे जाते हैं तो वह उन पर उस तेजी से अमल नहीं करते जितनी तेजी से उन्हें करना चाहिये। देखा गया है कि महासंचालक ही ऐसे स्कूलों का सचिव या निरीक्षक होता है। काम की अधिकता के कारण वह स्कूलों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिणाम यह होता है कि स्थानीय समिति के सदस्य जो चाहते है करते हैं। स्कूलों के प्रधान अध्यापक को इन्हीं की बातों पर चलना पड़ता है। मेरे विचार से रेलवे बोर्ड को शिक्षा अधिकारी नियुक्त करने चाहियें जिस से प्रधान अध्यापक उन से अपनी कठिनाइयों को कह सकें तथा स्कूल उचित ढंग से चलाये जा सकें। यदि ऐसा किया जाता है तो यह रेलवे कर्मचारियों की सब से बड़ी सेवा होगी।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर--दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामजी वर्मा ने, जो इस भवन में देवरिया से आये हैं, गोरखपुर फ़ायरिंग (गोलीकांड) के

सम्बन्ध में मेरा नाम कई बार लिया, और एक प्रकार से इस बात का आवाहन किया कि मैं इस सम्बन्ध में भवन के सामने कुछ प्रकट करूं और कहूं ।

गोरखपुर की रेलवे फ़ायरिंग एक बहुत ही दुःखद घटना हुई और इस के लिये हम सब को खेद है और दुःख है कि अगर अधिकारी वर्ग सही तरीक़े से उस घटना को हाथ में लेता तो शायद उस की नौबत ही न आती। यह मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि घटना बहुत छोटी सी थी, वहां से एक वर्ग, ख़ास कर के० टी० ऐम० आफ़िस के कुछ क्लेम्स सेक्शन के क्लर्क कलकत्ता जाने वाले थे उस के विरोध में, और उन क्लर्कों से सहानुभूति प्रकट करने के लिये और कुछ ऐप्रूव्ड कैन्डिडेट्स थे वह इम्तिहान में नहीं बैठ सके । उस के लिये ट्रैफ़िक मैनेजर आफ़िस के क्लर्क आन्दोलन कर रहे थे । जब कि उन क्लर्कों के प्रतिनिधियों से जनरल मैनेजर की बात तय हो चुकी थी कि वह लोग अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो बात करना चाहें करें तब उन को वहां नहीं आना चाहिये था । उस दिन उन्होंने डिमान्स्ट्रेशन (प्रदर्शन) किया, शोर गुल रहा और ट्रैफ़िक मैनेजर के यहां नारे लगाये । वहां से जब वह जनरल मैनेजर के यहां गये तो जनरल मैनेजर ने कहा कि आप अपने प्रतिनिधियों को भेजें, मैं उन से बात करूंगा । सोचने की बात है कि नार्दन रेलवे में ऐसा शानदार और ऐसा शान्तिप्रिय जनरल मैनेजर है जो किसी को भी किसी प्रकार से तकलीफ़ देना नहीं चाहता है । उस के दिल में यह बात है कि रेलवे का और देश का नाम ऊंचा हो । जब इस तरह की आवाज उठी और नारे लगे तो जनरल मैनेजर ने स्वभावतः कलेक्टर को फ़ोन किया कि यह मामला आठ दस दिन से चल रहा है और मेरे कंट्रोल (क़ाबू) के बाहर की बात है, आप इसे हाथ में लें क्योंकि यह लोग सही तरीक़े पर बात करने को तैयार नहीं होते । और कलेक्टर साहब आये । दुर्भाग्य की बात है कि गोरखपुर में दो बार ऐसी रेलवे घटनायें हो चुकी थीं लेकिन दोनों बार जो वहां के कलेक्टर थे उन्होंने बिना किसी गिरफ्तारी के, बिना किसी फ़ायरिंग (गोलीकांड) के उन मसलों को हल कर दिया । एक बार सन् १९४८ में सारी वर्कशाप बन्द हो गई थी। उस समय दुर्गा प्रसाद सिंह कलेक्टर थे, वह गये, हम लोगों को भी ले गये और सब झगड़ा ख़त्म कर दिया । सब मजदूर काम पर चले गये । उसके बाद सन् १९५० में श्री ऐम० ऐम० त्रिपाठी कलेक्टर थे । उन्होंने पूरे स्ट्राइक को बिना किसी को हैरेस (परेशान) किये हुये, बिना किसी पर डंडा चलाये, ठीक कर दिया । यह मसला उस से कहीं छोटा था, कोई स्ट्राइक नहीं था, लेकिन दृष्टिकोण का अन्तर था । अधिकारियों के दृष्टिकोण के अन्तर के कारण यह घटना घटी, और मैं यह कह सकता हूं कि यह घटना बढ़ाई गई । जिस समय जनरल मैनेजर साहब चले गये, और लोग हटे, दस आदमियों को गिरफ्तार न कर के, कंधे पर हाथ रख कर कलेक्टर साहब कहते कि तुम्हारे क्या मसले हैं, जनरल मैनेजर नहीं सुनता, ट्रैफ़िक मैनेजर नहीं सुनता, तो न सही, मैं सुनने को तैयार हूं । लेकिन इन शब्दों को न कह कर आदमियों को गिरफ्तार कर लिया ।

२४ तारीख को यह मसला और बढ़ा और क़रीब ७० आदमी गिरफ्तार हुये । उस में हमारी यूनियन के आदमी भी गिरफ्तार हुये जिन का कोई किसी तरह का सम्पर्क नहीं था । हम ने बाद में कहा कि सब के सब गिरफ्तार लोग इस के लिये तैयार हैं कि वह लिख दें कि उन्होंने कोई क़ानूनशिकनी

[श्री सिंहासन सिंह]

नहीं की है, और उन को छोड़ दिया जाये। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उन को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। और इस पर मामला आगे बढ़ता गया। ज्यों ज्यों क़दम बढ़ा और फ़ायरिंग हुई। फ़ायरिंग के बाद क्या हुआ ? कौन दोषी था और कौन दोषी नहीं था यह कहना कठिन है। ढ़ेला दोनों तरफ़ से चला था। इधर से भी चला था उधर से भी चला था। इसके विषय में बग़ैर जांच किये हुये मैं कोई निर्णय देने को तैयार नहीं हूं। यह नहीं कहा जा सकता कि फ़ायरिंग के लिये कौन दोषी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वह लोग फ़ायरिंग के पहले यह कहते थे कि रेलवे राष्ट्रीय सम्पत्ति है और वह उस के काम में रुकावट नहीं डालना चाहते थे। और उन की मांग थी कि उन के दूसरे भाई छोड़ दिये जायें। लेकिन अब यह हो गया है कि सब छोड़ दिये गये हैं। अब इस वक्त उन की दो तीन मांगें हैं। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं कि जो घटना घटी है उस की जांच कराई जाय तो बड़ा उत्तम होगा। अगर जांच न कराई जाय तो यह कहना होगा कि इसमें दोनों का ही दोष हो सकता है, यह नहीं कि एक ही पक्ष का दोष हो। तो उन की जो मांगें हैं उन में से एक तो यह है कि जो स्ट्राइक हुई उस को रेलवे के नौकर ग़ैरक़ानूनी हड़ताल बतलाते हैं और मजदूर लोगों का कहना है कि वह वाक़ई स्ट्राइक नहीं था। वह तो उन का प्रोटेस्ट (विरोध) मात्र था इसलिये वह काम पर नहीं गये थे और ज्यों ही उन की मांग पूरी हो गई वह काम पर चले गये। वह चाहते हैं कि इस सिलसिले में जो उनकी ग़ैर हाजिरी रही उस की उन को तनख्वाह मिलनी चाहिये और अगर तनख्वाह न दी जाय तो यह अवधि उनकी प्रिविलेज लीव में काउंट (गणना) कर ली जाये। १४ दिन की प्रिविलेज लीव वह ले सकते हैं। स घटना के कारण बहुत असंतोष फैला हुआ है। इतना मैं कहूंगा कि इन्हीं कलक्टर महोदय की कृपा से देवरिया में पांच सोशलिस्ट चुने गये और कांग्रेस की हार हुई। अगर गवर्नमेंट यह मान ले कि उन की ग़ैर हाजिरी प्रिविलेज लीव में गिन ली जाय और उन की तनख्वाह दे दी जाय तो शायद जो वहां का वातावरण विषाक्त हो रहा है वह शान्त हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि जो दो भाई गोली के शिकार हुये हैं उन में से एक नौजवान रेलवे का मुलाजिम था और दूसरा भाई तो एक रेलवे कन्ट्रेक्टर का लड़का था। वह नौजवान स्टोर्स डिपार्टमेंट का था और उस के पिता भी रेलवे के मुलाजिम थे जो आज रिटायर्ड हैं। अब उन के एक और लड़का है जो कि इंटरमिजियेट पास है। मैंने जनरल मैनेजर से कहा और जिलाधीश से भी कहा। जिलाधीश ने कहा कि मैं उस को नौकर रख लूंगा। लेकिन वह चूंकि पुश्तैनी नौकर रेलवे का है इसलिये वह चाहता है कि उसे भी रेलवे में नौकरी मिले और थर्ड ग्रेड में उस को नौकर रखा जाय। लेकिन जनरल मैनेजर उसे कहते हैं कि वह उसे थर्ड ग्रेड की नौकरी नहीं दे सकते पर फोर्थ ग्रेड की नौकरी दे सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि उस को नौकरी दे दी जाय जिस से कि उस परिवार की परवरिश हो सके। अब उस परिवार में एक विधवा औरत है, उस नौजवान का वृद्ध पिता है और वह लड़का है। और कोई नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि वह उस परिवार के भरण-पोषण का प्रबन्ध करे। जो नौजवान मारा गया है वह शान्ति प्रिय आदमी था लेकिन वह सिर्फ़ जलूस में चला गया था और वहां वह गोली का शिकार हुआ। कहा जाता है कि वह जिला-

पीशा की गोली का शिकार हुआ । लेकिन मालूम नहीं कि ठीक बात क्या है । यह नहीं मालूम कि वह कैसे मरा और किस की गोली उस को लगी । न तो उस का पोस्टमार्टम हुआ और न उसकी लाश ही दी गई । यह बड़े खेद की बात है । उस की लाश दी जानी चाहिये थी और उस का पोस्टमार्टम होना चाहिये था । जब अगर सरकार उस के भाई को नौकरी दे दे तो बहुत अच्छा हो ।

रेलवे में जो सुधार और यात्रियों की सुविधाओं के बारे में कटौती प्रस्ताव दिया गया है उस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कल जो रेलवे क्वार्टर बन रहे हैं वह इतने कमजोर बन रहे हैं कि अगर उन में जोर से लात मारी जाय तो शायद वह गिर जायें । गवर्नमेंट का रुपया खर्च तो हो रहा है पर जो क्वार्टर बनाये जा रहे हैं वह बहुत कमजोर हैं । एक सड़क बनारस में बनाई गई थी । वह सीमेंट की सड़क थी । उस सड़क की ज़िन्दगी कम से कम बीस साल होती है । मैं वहां जनरल मैनेजर के साथ गया था और मैं ने देखा कि वह सीमेंट रोड जो कि बनारस में बनाई गई थी एक बरस के अन्दर ही उखड़ गई । इस पर जनरल मैनेजर ने इंजीनियर से पूछा कि क्या उस कंट्रेक्टर को ब्लैक लिस्ट किया गया है तो मालूम हुआ कि उस को तो और दूसरा उस से भी बड़ा कंट्रेक्ट (ठेका) मिल गया । तो जो मकानात बनते हैं वह बहुत कमज़ोर बनते हैं ।

दूसरी बात मुझे गवर्नमेंट से यह कहनी है कि जो मकान बनते हैं उन में मज़दूरों के आराम का कोई भी इन्तज़ाम नहीं है । जो मकान बनवाये गये हैं वह कुछ एक कमरे के हैं और कुछ दो कमरों के हैं । किसी को एक कमरे का मकान दिया गया है किसी को दो कमरों का दिया गया है । लेकिन अगर किसी के मेहमान आ जाय तो उस के ठहरने के लिये कोई जगह नहीं है । किसी मकान में बरामदा नहीं है । इसलिये अगर गवर्नमेंट इन मकानों में बाहर एक एक बरामदा बनवा दे तो बहुत अच्छा हो । हम हिन्दुस्तानी बरामदे में रहने के आदी हैं । बाहर बरामदा न होने से अगर कोई मेहमान आ जाता है तो औरतों को बहुत तक़लीफ हो जाती है । मज़दूर लोग कहते हैं कि हम को जो क्वार्टर मिले हैं उन में हम को यह तक़लीफ है । वह कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ हमारे आराम का ख्याल नहीं करते थे तो एक बात भी थी मगर आज तो हमारे हिन्दुस्तानी भाई ही क्वार्टर बनवा रहे हैं पर वह भी उसी लकीर पर चल रहे हैं और हमारे लिये उसी तरह के क्वार्टर बनवा रहे हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो क्वार्टर बन चुके हैं उन में बाहर एक बरामदा बनवा दिया जाय और जो आगे क्वार्टर बनाये जायें उन में एक बरामदा बाहर ज़रूर होना चाहिये । ऐसा होने से उनकी बहुत सी तक़लीफें दूर हो जायेंगी ।

दूसरी बात मैं कसिया के बारे में कहना चाहता हूं । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है और यहां हर साल बहुत बौद्ध भिक्षु आते हैं । यहां आने के लिये उन को देवरिया या गोरखपुर में उतरना पड़ता है । यह जगह गोरखपुर से ३५ मील है और देवरिया से २० मील है । कसिया तक जाने के लिये बस के सिवा और कोई रास्ता नहीं है । जाड़े के दिनों में तो हज़ारों की तादाद में बौद्ध यात्री आते हैं और उन को बहुत तकलीफ होती है । एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान होने के कारण गवर्नमेंट को चाहिये कि इस को रेलवे से सम्बन्धित कर दे । आज देवरिया नया ज़िला बना है । उस ज़िले में भी अगर रेल हो जाये तो यह दिक्क़त दूर हो जाये कसिया बुद्ध भगवान का निर्वाण

[श्री सिंहासन सिंह]

का स्थान होने से बहुत महत्व का स्थान है इसलिये यहां तक रेलवे जरूर होनी चाहिये । ऐसा अगर हो जाय तो यहां की जनता नहीं बल्कि बाहर के लोग भी इस पर साधुवाद करेंगे । मुझे उम्मीद है कि अगले बजट में इस को स्थान दिया जायेगा ।

दूसरी बात बांसगांव तहसील के बारे में है जो कि सब से घनी आबादी की तहसील है । वहां कोई यात्रा साधन वजुज़ एक सड़क के नहीं है । वह नदी से कट जाती है और बाढ़ से घिर जाती है । वहां रेलवे ले जाने का प्रोग्राम भी था मगर लड़ाई के कारण वह काम में नहीं आ सका । बांसगांव तहसील के आदमी हिन्दुस्तान के हर हिस्से में फैले हुये हैं । जहां भी आप हिन्दुस्तान में जायं आप बांसगांव के आदमी को पायेंगें । और मेरी प्रार्थना है कि अगर इस बार नहीं हो सका तो अगले बजट में इस के लिये अवश्य इन्तज़ाम किया जाना चाहिये ।

मेरे और भी बहुत से भाई बोलने को बैठे हुये हैं इसलिये मैं अधिक समय न ले कर अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो रेलवे घटना घटी है उस की मरहम पट्टी करना हमारा काम है । अगर मज़दूरों की यह मांग स्वीकार कर ली जाय कि उन की ग़ैर हाज़िरी की तनख्वाह दे दी जाय या उन को प्रिविलेज़ लीव में गिन लिया जाय और जो भाई मारे गये हैं उन के सम्बन्धियों को नौकरी दे दी जाय और जो भाई गोली लगने से घायल हुये हैं उन को मुआवज़ा दे दिया जाय तो बहुत वातावरण शान्त हो सकता है । इस पर अड़े रहना कि हम मुआविज़ा नहीं देंगे और उन की मांग स्वीकार नहीं करेंगे हमारे लिये अच्छा नहीं होगा । हम को अपना भाई समझ कर और राष्ट्र के नागरिक समझ कर उन के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि उन के साथ किसी तरह की सख्ती न हो । बस यही मुझे कहना है ।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) : अक्सर आलोचना की जाती है कि तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की सुविधा का बहुत कम ख्याल रखा जाता है यद्यपि रेलवे को उन्हीं से सबसे अधिक लाभ होता है । दूसरी बात यह कही जाती है कि रेलों को चलाने वालों को रेलों की आय से कोई लाभ नहीं होता । रेलवे कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुसार मजदूरी नहीं दी जाती । अंग्रेज़ों के राज्य में ऐसा होना तो ठीक था किन्तु कांग्रेसी सरकार के राज्य में यह बातें शोभा नहीं देतीं । वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेसी सरकार के राज्य में रेलवे मजदूरों की तनख्वाहें कम कर दी गई हैं । उनके अधिकार छीन लिये गये हैं तथा उन पर अधिक कार्यभार लाद दिया गया है । उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

केन्द्रीय वेतन आयोग ने चीज़ों की कीमतों को स्थायी समझते हुए कर्मचारियों का वेतन नियुक्त किया था । किन्तु आज यह हालत है कि चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं । मज़दूरी और चीज़ों की कीमतों में कोई मेल नहीं है । यही नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में उनकी अन्य सुविधाएं भी छीन ली गई हैं । जैसे सस्ते गल्ले की दूकानें, शिक्षा तथा यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं इत्यादि बहुत सी सुविधाएं जो पहले रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध थीं वे आज उनसे वंचित कर दिये गये हैं । रेलवे के भण्डार वितरकों का ही मामला ले लीजिये । वेतन आयोग ने उनका वेतन १६ प्रतिशत कम दिया है । सब ही लोग उनका वेतन बढ़ाये जाने के

पक्ष में हैं किन्तु रेलवे प्रशासन इस सम्बन्ध में बिल्कुल चुप बैठा है।

दूसरी बात है रेलवे कर्मचारियों के लिए मकानों का प्रबन्ध। नौ लाख कर्मचारियों में से केवल दो लाख कर्मचारियों के रहने के लिए मकानों की व्यवस्था। शेष के रहने का कोई प्रबन्ध नहीं है। रेलवे ने जो योजना बनाई है उसके अनुसार तो सब को मकान देने में उन्हें ८० साल लग जायेंगे। जब कर्मचारियों को भर पेट खाना, रहने को मकान और पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं मिलेगा तो वे यह कैसे सोच सकते हैं कि रेलवे बोर्ड उनकी भलाई के लिए काम करता है या रेलें एक सार्वजनिक सेवा है जिसमें सब को सहयोग देना चाहिये।

सरकार की ओर से बतलाया गया है कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए लगभग १३६ स्कूल हैं। कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए यह बहुत ही कम हैं। दूसरे, पहले इन स्कूलों में कर्मचारियों के न केवल लड़के लड़की बल्कि अन्य सम्बन्धी भी पढ़ सकते थे किन्तु अब यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि लड़के लड़कियों को छोड़ कर अब उन में अन्य सम्बन्धी नहीं पढ़ सकते हैं। यह सरकार की ज्यादती ही तो है।

डाक्टरी सहायता के सम्बन्ध में भी कमी की जा रही है। अब केवल उनके लड़के लड़की ही रेलवे हस्पतालों में भर्ती किये जा सकते हैं। यदि अन्य सम्बन्धी वहां जाते हैं तो उन्हें वहां का खर्च भुगतना पड़ता है। यही नहीं बल्कि एक हाथ से जो दिया जाता है वह दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। यदि किसी का वेतन बढ़ाते हैं तो उससे दो व्यक्तियों का काम लेने लगते हैं। अधिक कार्य करने से यदि वह थक कर कोई ग़लती कर देता है तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती है।

अन्त में मैं ईस्ट पंजाब रेलवे के स्टेशन मास्टरों की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। वे लोग १५ से २० वर्ष तक उप स्टेशन मास्टरों की तरह नौकरी करके स्टेशन मास्टर हुए हैं। किन्तु अब उन्हें फिर उप स्टेशन मास्टर बनाया जा रहा है। ४५ से ५० वर्ष की आयु वालों से रात की नौकरी करवाना कहां तक ठीक है जब कि वे उसी प्रकार की नौकरी करके स्टेशन मास्टर बने हैं। वास्तव में, सरकार मानव दृष्टिकोण को बिल्कुल भूल गई है। लेकिन जब तक आप अपने कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उन से अच्छे काम की आशा भी नहीं कर सकते। किन्तु एक बात मैं बतला देना चाहता हूं कि मजदूरों को अब अधिक देर तक दबा कर नहीं रखा जा सकता है। उन में जागृति आ गई है।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : रेलवे के श्रम कल्याण से रेलवे मज़दूर संघों का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि समय समय पर यह मजदूर संघ सरकार को मजदूरों की तकलीफों से अवगत न कराते रहें तो रेलवे श्रम कल्याण का काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। इनका महत्व समझने के लिए यह आवश्यक है कि मैं इनका इतिहास संक्षेप में बतला दूं। सन् १९२० में जब रेलवे कर्मचारियों ने इस बात का अनुभव किया कि उनकी स्थिति का नाजायज फायदा उठा कर रेलवे मालिक उन का शोषण कर रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को संगठित करने का संकल्प किया। अनेक रेलों के कर्मचारियों में समन्वय करने के लिए एक रेलवे कर्मचारी संघ बनाया गया जिस में यह छोटे छोटे मजदूर संघ सम्मलित हो गये। सन् १९२८ में रेलवे प्रशासन ने संघ के साथ साल में दो बार बैठकें बुलाने का निश्चय किया। किन्तु बाद में पता लगा कि यह काम संतोषजनक नहीं था। बात तो

[श्री वी० वी० गिरि]

यह थी कि संघ को केवल नाम मात्र के लिए मान लिया गया था। इसके बाद रायल कमीशन आया। उसके सामने रेलवे संघ ने भी अपनी कठिनाइयां रखीं। कमीशन ने इस बात की सिफारिश की कि मजदूर-संघों के साथ सम्पर्क बनाये रखना चाहिये। प्रशासन और मजदूरों के प्रतिनिधियों को आपस में मिलकर अपनी कठिनाइयां दूर करनी चाहिये। किन्तु खेद है कि तब की सरकार ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे केवल कागज़ पर ही लिखी रह गईं। किन्तु माननीय गोपालस्वामी तथा वर्तमान रेल मंत्री के कार्य काल में इन बातों पर विशेषरूप से ध्यान दिया जा रहा है। संयुक्त स्थायी समिति की व्यवस्था कर दी गई है जिसका लाभ संगठित मज़दूर-संघों को उठाना चाहिये। मुझ से पहले बोलने वालों ने बहुत सी कठि-नाइयों को सामने रखा है। मेरे विचार में यदि रेलवे कर्मचारी अपनी इन कठिनाइयों को संगठित मजदूर संघों द्वारा पेश करने का प्रयत्न करें तो निस्सन्देह यह बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। ३२ वर्ष पहले जब कोई रेलवे कर्मचारी मजदूर सभाओं में भाग लेने जाता था तो अक्सर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। किन्तु आज ऐसी बात नहीं है।

श्री नम्बियार : किन्तु आज भी ऐसा ही हो रहा है।

श्री वी० वी० गिरि : मेरे विचार से ऐसा नहीं हो रहा है और यदि ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। किन्तु, साथ ही मैं यह भी बतला दूं कि रेल कर्मचारियों को अपने देश और समुदाय का भी ध्यान रखना है। उन्हें अपने संघों को प्रजातंत्रीय ढंग पर बनाना चाहिये। उन में कर्मचारियों व होना चाहिये। मेरे विचार में यदि रेल कर्मचारी अपने झगड़ों को रेलवे के साथ ही निबटा लिया करें तो वह सरकार या न्यायालय द्वारा लादे गये निर्णयों से कहीं अच्छा होगा। उन्हें नई व्यवस्था का लाभ उठाना चाहिये। मैं आपको बतला दूं कि आप केवल विधान पारित करके ही मज़दूरों का भला नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार में जो चीज़ समझौते से प्राप्त हो सकती है वह आप किसी और तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रेल कर्मचारियों तथा रेलवे प्रशासन में एक दूसरे को समझने तथा एक दूसरे से सहयोग करने की भावना होनी चाहिये। रेलवे कर्मचारी यदि सुविधाएं चाहते हैं तो उन्हें देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी करना है।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा (मुज़फ्फरपुर उत्तर-पश्चिम) : इस वर्ष जो रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें रेल के किराये नहीं बढ़ाये गये हैं। यह तो सत्य है कि भारत में प्रति व्यक्ति की जो आय है उस को देखते हुए रेल का किराया बहुत अधिक है। किन्तु इसका आप अन्य देशों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले बहुत अधिक हैं। फिर भी, यह कहीं अच्छा होगा यदि सरकार रेल के किराये में कुछ कमी कर दे। इससे उन लोगों को कुछ सुविधा हो जायेगी जो हमारे रेलवे राजस्व में ७५ प्रतिशत रुपया देते हैं।

रेलों की जिस प्रकार पुनः व्यवस्था कर दी गई है, जिस प्रकार वे पुनः निश्चित समय पर चलने लगी हैं तथा मुसाफ़िरों को जो सुविधायें दी गई हैं, उस के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि भविष्य में रेलों की दुर्घटनायें और भी कम हो जायेंगी।

उत्तरी बिहार के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक नई लाइनें बनाने तथा उखाड़ी गई लाइनों को पुनः लगाने का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार में इस काम को प्रारम्भ किया जाये। यातायात के साधनों का वहां नितान्त अभाव है। वर्षा काल में तो वहां की हालत और भी खराब हो जाती है। कोसी परियोजना के समाप्त हो जाने पर वहां जो विद्युत शक्ति उपलब्ध होगी उससे छोटे बड़े उद्योग कायम हो जायेंगे। इस लिये वहां रेल की व्यवस्था होना आवश्यक है। कुछ नई लाइनें वहां खुलनी चाहियें। उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी तथा मुज़फ्फ़रपुर वाले क्षेत्र में लोग आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। यदि इन दोनों स्थानों के बीच लाइन बना दी जाये तथा उसे नेपाल तराई से मिला दिया जाये तो वहां के लोगों का इससे बड़ा लाभ होगा तथा साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसा करना आवश्यक है।

एक दूसरी बात मैं उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार को मिलाने वाले प्रस्तावित पुल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है कि वह पुल मोकामा में बनाया जाये चाहे पटना में। इस पुल के बन जाने से शीघ्र ही नष्ट होने वाले पदार्थ जैसे तरकारी, फ़ल इत्यादि बाहर भेजे जा सकेंगे तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह पुल बनना आवश्यक है।

रेल मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : श्रम तथा श्रम कल्याण के अतिरिक्त और बहुत से मामले उठाये गये हैं। जहां तक सम्भव हो सकेगा मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि पिछले दो वर्षों में श्रम कल्याण कार्य बहुत बढ़ गया है। फिर भी विरोधी दल के सदस्यों ने वेतन श्रेणी, महंगाई भत्ता तथा परामर्श व्यवस्था के सम्बन्ध म जो बातें उठाई हैं उन का मैं उत्तर दूंगा। सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि घोषित पदाधिकारियों के वेतन पिछले १२ वर्ष से घटते ही रहे हैं तथा श्रेणी तीन व चार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ता गया है। मैं ने इस सम्बन्ध में एक स्मारपत्र तैयार किया है तथा मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझ से विचार विमर्श करेंगे। केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें जहां तक रेलवे कर्मचारियों पर लागू होती हैं वह इस प्रकार हैं :

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन १० रुपये से ३० रुपये कर दिया गया है। तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन ३५ रुपये से बढ़ा कर ५५ रुपये कर दिया गया है। प्रवीण कर्मचारी का वेतन ५५ रुपये—१३० रुपये पर निर्धारित किया गया है जो कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों से भी अधिक है।

इसके अतिरिक्त चलती रेलों पर काम करने वालों के भत्तों में संशोधन करके उन्हें एक निश्चित स्तर पर ला दिया गया है। समस्त वर्ग के कर्मचारियों के लिये छुट्टी के नियमों में ढिलाई कर दी गई है। श्रेणी चार के अर्ध प्रवीण तथा अप्रवीण कर्मचारियों की छुट्टियां साल में १० दिन से बढ़ा कर २० दिन कर दी गई हैं। इसके अलावा जिस किसी अस्थायी कर्मचारी ने १ वर्ष से अधिक नौकरी कर ली है उसको भी छुट्टी के सम्बन्ध में वही सुविधायें दे दी गई हैं जो एक स्थायी कर्मचारी को प्राप्त हैं। १२ महीनों से अधिक नौकरी वाले अस्थायी कर्मचारियों से भी अनिवार्यरूप से भविष्य निधि में चन्दा लिया जाने लगा है। पहले यह सुविधा

[श्री एल० बी० शास्त्री]

केवल कुछ ही कर्मचारियों तक सीमित थीं ।

जहां तक मंहगाई भत्ते का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि मंहगाई भत्ता क्या हो, इस सम्बन्ध में सरकार एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है । रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है तथा अब इस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है । मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कोई घोषणा कर दी जायेगी ।

विचार-विमर्श करने की जो व्यवस्था की गई है उस के सम्बन्ध में भी मैं कुछ शब्द कह देना चाहता हूं । रेलवे कर्मचारियों तथा रेल प्रशासन के बीच उत्पन्न होने वाले झगड़ों का निबटारा करने के लिये एक व्यवस्था की गई है । उस को तीन भागों में रखा गया है । सब से नीचे के स्तर पर संघ की अधिकृत शाखायें जिला या डिवीजनल पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करेंगी । संघ के प्रधान कार्यालय महां प्रबन्धकों से सम्पर्क रखेंगे तथा रेलवे बोर्ड संघों के दो महासंघों से बात चीत करेगा । यदि किसी महत्वपूर्ण विषय पर रेलवे बोर्ड और महासंघों में समझौता न हो सका तो यह विषय एक एतदर्थ अधिकरण को सौंप दिया जायेगा जिसमें रेलवे बोर्ड तथा महासंघों के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे तथा जिसका सभापति एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा । किन्तु सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह चाहे तो अधिकरण की किसी सिफ़ारिश को माने या न माने ।

रेलवे स्कूलों तथा होस्टलों तथा रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है । कहा जाता है कि अब उन के बच्चों को वह सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो उन्हें पहले प्राप्त थीं । श्री बिजय चन्द्र दास ने कहा था कि रेलवे के स्कूलों में रेलवे कर्मचारियों के लड़के लड़कियों को छोड़ कर उनके आश्रितों को भर्ती नहीं किया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा स्थानाभाव के कारण किया जाता है । इसी लिये अधिमान केवल उनके लड़के लड़कियों को ही दिया जाता है ।

श्री नम्बियार : अधिमान दिया जा सकता है किन्तु यदि स्थान हो तो औरों को भी मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री एल० बी० शास्त्री : निस्सन्देह, यदि स्थान रहा तो उन्हें भी भर्ती किया जायेगा । यदि नियमों में परिवर्तन करने से कोई अनावश्यक कठिनाइयां खड़ी हुई तो मैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करूंगा ।

माननीय सदस्य ने कहा था कि उन के आश्रितों को डाक्टरी सहायता उपलब्ध नहीं है । उनका यह कहना पूर्ण रूप से ठीक नहीं है । उन के आश्रितों का इलाज तो किया जाता है किन्तु मुफ्त नहीं । आश्रितों के लिये उन्हें फीस इत्यादि देनी पड़ती है ।

श्री बैरो ने कहा था कि जब समय आ जाये तो राज्य सरकारें रेलवे के स्कूलों को अपने अधिकार में ले लें । किन्तु पिछले वर्ष जब इस मामले का निर्देश राज्य सरकारों को किया गया था तो उन्होंने अनेक कारण बतलाते हुए स्कूलों को अपने अधिकार में लेने से इन्कार कर दिया था । माननीय सदस्य ने कहा था कि सरकार ने होस्टलों की योजना त्याग दी है । किन्तु ऐसी बात नहीं है । वास्तव में, सरकार उचित केन्द्रों में रेलवे कर्मचारियों के लड़के लड़कियों के लिये होस्टल बनवाने का विचार कर रही है । आजकल तीसरी

श्रेणी तथा प्रवीण कर्मचारियों के बच्चों को कुछ सुविधायें दी जाती हैं। यदि उन के क्षेत्र में कोई स्कूल न हो तो अन्य स्कूल में पढ़ने पर उन के बच्चों की आधी फीस तथा छात्रावास का आधा खर्च रेलवे सहन करती है। किन्तु होस्टल बन जाने पर इन बातों पर फ़िर से विचार किया जायेगा।

श्री गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर ने डाक तथा तार-विभाग के आयोग के समान ही एक आयोग रेलवे में भी बनाने की सिफ़ारिश की थी। यह आयोग जो तीन वर्ष पूर्व बनाया गया था अब समाप्त कर दिया गया है क्योंकि यह पता लगा कि इस का कार्यकरण कोई संतोषजनक नहीं है। रेलवे में अनुशासन की प्रक्रिया को और बढ़ा दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी से अलग कर दिया जाता है तो वह महाप्रबन्धक से अपने मामले पर पुनः विचार करने की अपील कर सकता है।

उत्तर प्रदेश के एक सदस्य ने एटा ज़िले के लिये तथा बिहार के एक सदस्य ने अपने ज़िले में रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में कहा था। बिहार के सदस्य के सुझावों पर अवश्य विचार होगा। किन्तु जहां तक उत्तर प्रदेश के सदस्य ने एटा ज़िले के सम्बन्ध में कहा है मैं कोई बात निश्चित रूप से नहीं कह सकता किन्तु मैं रेलवे बोर्ड से इस के सम्बन्ध में बात चीत करूंगा कि मामला की स्थिति क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव पृथक रूप से नहीं रखना चाहता तो मैं मांग संख्या ९ के सम्बन्ध में समस्त कटौती प्रस्ताव एक साथ रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये किन्तु अस्वीकार कर दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है कि :

"साधारण कार्यवाहक व्यय-श्रम कल्याण के लिये २,६१,३१,००० रुपये की राशि दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग संख्या १५—नये रेल पथों का निर्माण पूंजी तथा अवक्षयण निधि।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है कि :

"नये रेल पथों का निर्माण—पूंजी तथा अवक्षयण निधि" के लिये ३१,८३,००० रुपये की राशि दी जाये।"

प्रदाय की अस्वीकृति

श्री एन० आर० नायडू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"नये रेल पथों का निर्माण—'पूंजी तथा अवक्षयण निधि" की मांग को घटा कर १ रुपये कर दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० ी० दामोदरन (तेलिचरी) : यद्यपि रेलें भारत में सब से बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग है किन्तु भारत के लोग अब तक एसा अनुभव नहीं करते या यह कहिये कि प्रशासन उन्हें ऐसा अनुभव करने का अवसर नहीं देता।

भारत के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या को देखते हुए वर्तमान रेलवे पद्धति बहुत ही अपर्याप्त है। लोगों को रेल देखने के लिये ही कम से कम ६० से १०० मील आना पड़ता है। भारतीय गणराज्य के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए भारत में और अधिक रेलवे लाइनों तथा सड़कों का बनाना आवश्यक है।

[श्री एन० पी० दामोदरन]

नई लाइनें बहुत ही धीमी गति से बनाई जा रही है। यहां तक कि युद्ध के समय जो लाइनें उखाड़ ली गई थीं उन को अभी तक पुनः बिछाया नहीं गया है। उदाहरण के लिये मालाबार की शोलानूर–नीलाम्बर रेलवे को ही ले लीजिये। यदि उसके बनाये जाने की बार बार घोषणा की जाती है किन्तु वास्तव में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर केवल एक ही रेलवे लाइन है अर्थात् मंगलौर से कोचीन जाने वाली लाइन। यदि प्रस्तावित एरनाकुलम–क्यूलौन रेलवे शीघ्र ही बना दी जाये तथा वर्तमान क्यूलौन-त्रिविन्द्रम की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाये तथा उसे कन्या कुमारी तक बढ़ा दिया जाये तो इस लाइन से भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट के समस्त तटीय नगरों व गावों को रेलवे सुविधा प्राप्त हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार बम्बई तथा मंगलौर के बीच रेल व्यवस्था करने पर भी ध्यान दे।

२५ वर्ष पहले एक प्रस्ताव रखा गया था कि मालाबार में तेलिचरी को कुर्ग द्वारा रेल ले जा कर मैसूर से मिला दिया जाये। प्रारम्भिक परिमाप भी किया जा चुका था किन्तु मैं नहीं जानता कि वह सुझाव क्यों छोड़ दिया गया। हो सकता है उस समय रेलों का प्रबन्ध अलग अलग हाथों में था। किन्तु आज तो वे सब रेलें एक ही शासन प्रणाली में हैं। कुर्ग काफी महत्वपूर्ण राज्य है तथा उस में कोई रेल भी नहीं है। तेलिचरी एक ऐसा बन्दरगाह है। जहां से कुर्ग, मैसूर तथा मालाबार का सामान बाहर भेजा जाता है। हाल ही में तेलिचरी के स्टेशन में भी सुधार किया जा रहा है। यदि मैसूर को तेलिचरी से मिलाना है तो स्टेशन में भी उसी आधार पर परिवर्तन किये जा सकते हैं। इस सुझाव पर अमल होना बहुत ही आवश्यक है।

रेलवे के बड़े बड़े निर्माण कार्य बिना सोचे समझे किये जा रहे हैं। जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। तेलिचरी का जो नया स्टेशन बनाया जा रहा था वह कुछ इंच नीचे ज़मीन में धंस गया। बात यह थी कि जिस स्थान पर वह बनाया जा रहा था वह दल दल वाली भूमि थी। इस प्रकार इतनी बड़ी इमारत में लगा रुपया बेकार हो गया। दूसरे, तेलिचरी के समीप ही जगन्नाथ टेम्पिल गेट रेलवे स्टेशन पर एक शेड बनाया जा रहा था। शेड बनने से पहले ही वह गिर पड़ा। इससे यात्रियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इसी प्रकार कन्नौर में खोदे गये एक कुएं में एक मज़दूर की जान चली गई। इस प्रकार धन की बरबादी को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

मुझे मालूम नहीं कि तेलिचरी स्टेशन पर एक पुल बनाये जाने की नई योजना में व्यवस्था है भी या नहीं किन्तु यदि नहीं है तो रेलवे को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये पुल का होना बहुत आवश्यक है।

यद्यपि विन्ध्य प्रदेश भारत म सब से बड़ा भाग ख में का राज्य है फिर भी इस में केवल १०० मील लम्बी रेलवे लाइन है। यह सुझाव रखा गया है कि अनूपपुर से सेनग्रोली तथा सेनग्रोली से रींवा तक रेलवे लाइन बनाई जाये।

मालाबार में बादागारा एक महत्वपूर्ण नगर है। उसकी जनसंख्या तथा व्यापार को देखते हुए वहां का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा है। मेरा निवेदन है कि दक्षिण रेलवे अपनी पुनः निर्माण योजना में इस स्टेशन को

भी सम्मिलित कर ले। कालीकट स्टेशन में भी सुधार होने की आवश्यकता है। स्टेशन के उत्तरी भाग में एक पुल बनाये जाने की भी ज़रूरत है।

दक्षिण रेलवे पर पय्योली तथा वैल्लाइल दो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। किन्तु अभी तक उन के लिये किसी पक्की इमारत का प्रबन्ध नहीं किया गया है। वहां की जनता ने इस सम्बन्ध में कई बार प्रतिनिधि मंडल भेजे। यहां तक कि भूतपूर्व रेलवे राज्य मंत्री श्री सन्थानम ने इस बात को मान भी लिया था किन्तु परिस्थितियां बदल जाने के कारण अभी तक कुछ हुआ नहीं है।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इस समय रेलवे की इस मांग पर बोलने का जो अवसर दिया मैं उसके लिये आप का अत्यन्त आभारी हूं।

हमारे देश में जितनी नई रेलवे लाइनों के खोले जाने का प्रश्न है उस पर काफ़ी बातें यहां पर कही गई हैं। आर्थिक प्रश्न भी इस से संबंध रखता है और यह भी निश्चित है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा साधन यात्रा के और इधर उधर सामान ले जाने के मुहय्या नहीं किये जायेंगे वहां तक देश का आर्थिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो सकता। अभी तक शासन की ओर से जो भी इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है वह योजनापूर्वक नहीं की जा रही ह। हम देखते हैं कि कहीं कोई एक रेलवे लाइन किसी प्रांत में और दूसरी रेलवे लाइन किसी दूसरे प्रांत में, इस प्रकार थोड़ी थोड़ी योजना तो रहती है, लेकिन सारे देश की आवश्यकता को देखते हुए कि कहां कितनी रेलवे लाइनों की ज़रूरत होगी, किस जगह को पहले प्राथमिकता दी जायगी। इस सम्बन्ध में अभी तक शासन की ओर से कोई निश्चित नीति कायम नहीं की गई है। मैं शासन के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि वह सारे देश का सर्वे (परिमापन) करें और सर्वे करने के बाद यह देखें कि कहां पर पहिले रेलवे लाइन की अत्यन्त आवश्यकता है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल किया जाना चाहिये कि वह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। इस तरह के पिछड़े हुए प्रदेश हैं जहां पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और जो सारे देश के हित के लिए लाभदायक हैं वहां पर नई लाइनें खोलनी चाहियें। जिस तरह से सारे देश को सामने रखते हुए रिवर प्रोजैक्ट (नदी योजनायें) के बारे में प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) ने फैसला किया है उसी तरह से नई रेलवे लाइनों के खोलते वक्त विचार होना चाहिये।

लड़ाई के पहिले सारे देश में कई जगह सर्वे किया गया और नई लाइनें खोलने की योजना उस समय के शासन के सामने थीं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि उन योजनाओं पर क्या हो रहा है। उन लाइनों में सर्वे पर बहुत खर्च किया गया है। उस समय उन लाइनों की आवश्यकता बहुत समझी गई थी वह सब पुरानी फायलों में पड़ी होंगी। ऐसा मालूम होता है कि उन लाइनों पर अब कोई विचार नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी के सामने यह सुझाव रक्खूंगा कि पिछले जमाने में जितनी भी इस संबंध में कार्यवाही की गई उन सब फायलों को निकाल कर उन पर विचार किया जाय और यह देखा जाय कि उस समय कौन कौन सी योजना शासन के सामने थीं।

इस सम्बंध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि पहले जो देशी रियासतें थीं उन में पहले लाइनें खोलना कोई सरल काम नहीं था। उस समय नई लाइनों के बिछाने के लिये देशी नरेशों से अनुमति लेनी पड़ती थी और उस के लिए वह रूकावटें भी डालते

[श्री राधे लाल व्यास]

थे। । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रश्न पर फिर से विचार करें क्योंकि अब तो सारा देश एक हो गया है ।

अभी मेरे एक मित्र ने विन्ध्य प्रदेश का नाम लिया था । यह बात सच है कि यह प्रदेश रेलवे के लिये पिछड़ा हुआ देश है । इस तरह से राजस्थान, मध्य भारत यह सब पिछड़े हुए प्रदेश हैं । इन प्रदेशों को सारे देश यानी दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम से मिलाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेल की लाइनें खोली जायें। इस संबंध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने उज्जैन और इन्दोर के लिये ब्रौड गेज लाइन की आवश्यकता को बहुत महसूस किया था और उन्होंने खुद रेलवे विभाग को इस बारे में भी लिखा था । लेकिन नई लाइन अभी तक तैयार नहीं हुई और वह खटाई में पड़ी हुई है । इस के लिए यह भी सुझाव दिया गया था कि मीटर गेज के साथ ब्रौड गेज की लाइन भी बना दी जाय और यह दोनों लाइनें अच्छी तरह से चल सकती हैं ।

इस संबंध में जितनी रेलवे लाइनें खोली जाती हैं वह यात्रियों की सुविधाओं के लिये होती हैं, यह और भी खोली जानी चाहियें । इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां नई लाइनें खोली जायें वहां पर यह भी ख्याल किया जाना चाहिये कि जितनी पुरानी लाइनें हैं उन को भी बढ़ाना चाहिये और इस की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । एक सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने यह रखना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहिले अहमदाबाद से कलकत्ता तक मेल ट्रैन उज्जैन भोपाल होकर जाने की योजना थी परन्तु वह मेल ट्रैन इसलिये चालू नहीं की गई थी कि उज्जैन में पानी की कमी की वजह से रेल नहीं जा सकती । लेकिन अब उज्जैन में पानी का प्रबन्ध होगया है और वहां पर नये वाटर वर्क्स के खुल जाने से अब पानी का कष्ट नहीं रहेगा अब मेल ट्रैन के लिये पानी की कमी नहीं रह सकती है । अतः मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे । इस के साथ ही साथ उज्जैन के लिये गत वर्ष के बजट में कुछ रुपया मंजूर किया गया था । लेकिन मैं देखता हूं कि उस में से कुछ भी रुपया उज्जैन पर खर्च नहीं हुआ । वह रुपया दूसरे जगहों यानी अहमदाबाद या इसी तरह की दूसरी जगहों पर खर्च कर दिया गया । उज्जैन एक तीर्थ स्थान है । वहां पर सारे भारत वर्ष से हजारों यात्री आते हैं । वहां स्टेशन पर एक पुल है वह बहुत छोटा है उस को बढ़ाने की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

जहां तक दक्षिण भारत का सवाल है पहले एक रमन कमेटी ने काम किया था । यहां की जो समस्यायें थीं उन को हल करने के लिये रमन कमेटी ने सिपारिशें कीं और उन पर अमल किया गया । मैं समझता हूं कि इसी तरह से जितने रेलवे के भाग हैं उन के संबंध में इसी तरह की कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये । सरकार इस पर ग़ौर करे और विचार करे और उस की सिपारिशों को कार्यान्वित करे । मुझे इस संबंध में एक और भी निवेदन करना है । उज्जैन से आगरा तक जो रेलवे लाइन जाती है उस को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है । इस का कारण यह बतलाया गया है कि उस में कम आमदनी है । इस संबंध में मुझे शासन से यही निवेदन करना है कि जहां हम नई लाइनें खोलते हैं वहां पर पुरानी लाइनों का बन्द करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी इस रेलवे लाइन को अगर झालावाड़ तक

मिला दिया जाय तो इससे जनता को बहुत फायदा होगा । इस के साथ ही साथ अगर इस को झालाबाड़ तक बढ़ा दिया गया तो इस से सुसनेर, सोजत, पाटन आदि जगहों में भी रेल पहुंच जायेगी और यहां की जनता भी सुखी हो जायेगी । इस तरह से जिन लोगों को रेल से सुविधा नहीं मिलती थी उन को काफी सुविधा होगी । इस लाइन को रखने और बढ़ाने में शासन को भी फायदा होगा । यह जो लाइन को तोड़ने की योजना बनाई गई है उस की इस तरह से आवश्यकता नहीं होगी । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : मेरा निवेदन है कि रेल मंत्री नई लाइनों के बनाने में उदारता से काम लें । नई लाइनों की देश को परम आवश्यकता है । मैं ऐसे क्षेत्रों को जानता हूं जिन के १०० मील के अन्दर कोई रेलवे नहीं है । ऐसी जगहें भी हैं जहां खाद्यान्न की फ़सलें बहुतायत से होती हैं किंतु उन्हें बाज़ारों तक ले जाने के कोई साधन नहीं हैं अक्सर वे वहां खत्तियों में पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं । हमारे देश की जन संख्या को देखते हुए रेलों का जाल बहुत थोड़े क्षेत्र में फ़ैला हुआ है । प्रत्येक १०० मील में केवल २.८ मील लम्बी रेलवे लाइन है हम उद्योग और वाणिज्य को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं इस लिए यह आवश्यक है कि यातायात बढ़ाने के लिये और अधिक नई लाइनें बनाई जायें ।

मेरा निवेदन है कि वर्तमान लाइनों पर जहां कहीं भी यातायात की तंगी हो उसे फ़ौरन दूर किया जाना चाहिये । मैं ऐसे क्षेत्रों को जानता हूं जहां साल में केवल १० रोज़ माल बुक किया जाता है । इस से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है । बहुत से मामले ऐसे हैं जिन में बन्दरगाहों में माल आकर पड़ा रहता है किंतु उन्हें भेजने का अवसर ही नहीं आ पाता है । कभी कभी तो इस माल को अपने स्थान तक पहुंचने में तीन वर्ष तक लग जाते हैं । मेरा सुझाव तो यह है कि जहां कहीं भी लाइनों की तंगी हो वहां दो लाइनें कर दीजिये । यदि इससे भी काम न चले तो उनकी संख्या और बढ़ा दीजिये । नर्मदा घाटी में अभी तक रेलों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । बड़ौदा तथा आनन्द के बीच वाली लाइन पर २५ या ३० मील का ऐसा टुकड़ा है जहां केवल एक लाइन है जिसके कारण यातायात में काफ़ी कठिनाई होती है । अतः इसे दूर किया जाना चाहिये ।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम इत्यादि में अब भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां रेलवे लाइन है ही नहीं । यद्यपि वहां नई लाइनों का बनाया जाना बहुत आवश्यक है । मुझे आशा है कि एक समय आयेगा । जब कोई भी गांव रेलवे स्टेशन से १० मील से अधिक दूरी पर न होगा ।

१२ मध्यान्ह

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : मेरा कहना है कि जहां तक नई लाइनों के बनाने के सम्बंध है उड़ीसा को सब से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिये । हीराकुड बांध के बन जाने पर वहां उद्योगों का विकास होगा और उस के लिये हमें रेलवे लाइनों की आवश्यकता होगी । इसके अलावा उड़ीसा राज्य में जो बहुत सी देशी रियासतें मिलाई गई हैं उन में से किसी में रेल की व्यवस्था नहीं थी । अब तो वहां रेलवे लाइन होनी ही चाहिये ।

यदि रेलवे बजट में अधिक लाभ होता है तो उस को मुसाफ़िरों की सुविधायें बढ़ाने, रेलवे कर्मचारियों को अधिक वेतन देने में व्यय नहीं किया जाना चाहिये बल्कि उस राशि से नई लाइनें बनाई जानी चाहियें जिससे देश की समस्त जनता को लाभ पहुंच सके । मैं माननीय मंत्री से विशेषकर उड़ीसा

[श्री लोकनाथ मिश्र]

का निर्देश करना चाहता हूं। वह एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यदि रेल मंत्री वहां पर रेलों को विशेष रूप से बनाने का प्रावधान नहीं करेंगे तो उसकी हालत में सुधार होना संभव नहीं है।

श्री आर० एन० एस० देव : श्रीमान्, मैं अपना कटौती प्रस्ताव सख्या ४२९ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उड़ीसा में नई लाइनें

श्री आर० एन० एस० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"नये रेल पथों का निर्माण—पूंजी तथा अवक्षयण निधि—मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री आर० एन० एस० देव : माननीय सदस्य शायद यह सोचेंगे कि मैं ने यह कटौती प्रस्ताव विशेषकर उड़ीसा के ही लिये क्यों प्रस्तुत किया है जब कि पहले ही एक सामान्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। इस के द्वारा मैं रेलवे मंत्री का ध्यान विशेषकर उड़ीसा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो विन्ध्य प्रदेश, आसाम, बिहार बहुत से ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं किन्तु उड़ीसा को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिये। उस का मामला औरों से भिन्न है। उड़ीसा का मामला वर्षों से टाला जा रहा है। अब तो वहां पर नई लाइनें बननी ही चाहियें।

जब कभी भी यह कहा जाता कि अमुक अमुक क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो सरकार हमेशा पंचवर्षीय योजना की शरण ले लेती है। किन्तु उड़ीसा में यदि हीराकुड बांध बन कर तैयार भी हो जाता है तो भी उस से क्या लाभ होगा ? यदि आप वहां रेलवे लाइनें नहीं बिछायेंगे तो उस क्षेत्र का औद्योगीकरण किस प्रकार होगा। अतः जो भी योजना बनाई जाये वह सब बातों को ध्यान में रख कर बनाई जानी चाहिये। हीराकुड और मुचकुंड परियोजनाओं से जो बिजली उपलब्ध होगी उसे तो आपको प्रयोग में लाना ही होगा। इसके लिये औद्योगीकरण होना चाहिये। नई लाइनों का औद्योगीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भाग है।

यह तो तय हो ही गया है कि हीराकुड क्षेत्र में रेलवे मंत्रालय सब से पहले प्राथमिकता तितलागढ़-सम्बलपुर रेलवे लाइन को देगा। इस के बन जाने से उस क्षेत्र में काफ़ी विकास हो जायेगा। हाल ही में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा आया था। वह उड़ीसा से १० लाख टन मेंगनीज़ लेना चाहते हैं। उन्हों ने ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा है। किन्तु आप उन्हें यह सब खनिज पदार्थ कैसे दे सकते हैं जब तक कि आप इन सब पदार्थों के यातायात के लिये नई रेलवे लाइनें नहीं बनाते। मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री इन बातों पर विशेषरूप से विचार करें।

श्री राधारमण (दिल्ली नगर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे इस संसद् में बोलने का मौका दिया। चन्द दिन हुए जब कि मैं ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि रेलवे बजट पर मैं कुछ अपने विचार रखूं। मगर उस के बाद मुझे यह मौका न मिला। आज इस का कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) पर बोलने का जो आप ने मुझे मौक़ा दिया है उस के लिये मैं आप का बहुत आभारी हूं।

हमारा देश पिछले चार साढ़े चार साल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है कि जिस का राष्ट्रीयकरण

हमारे देश में हुआ है और इस राष्ट्रीयकरण से हम लोगों को जितना फ़ायदा हुआ है और कितनी जल्दी हम रेलवे की सुविधाओं को बढ़ा सकेंगे या बढ़ा सकते हैं यह चीज़ बहुत बार रेलवे मंत्री ने भी आप के सामने रखी है इस देश में इस समय बहुत तेज़ी से नई नई लाइनें खोलने का विचार हमारे दिलों में आता है क्यों कि अगर हम अपने देश की आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं यहां के ३५ करोड़ निवासियों की भलाई में लगना चाहते हैं तो सब से पहले हमे इस बात की कोशिश करनी चाहिये। अभी मेरे एक मित्र ने यह बताया कि हमारी आबादी ३५ करोड़ ८० लाख हो गई है। यह क्षण क्षण बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादी की अगर हमें कोई तरक्क़ी करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तेज़ी से आगे बढ़े तो हमें सब से पहले इसी बात पर विचार करना होगा कि देश के एक कौने से दूसरे कौने तक यातायात यानी आने और जाने का सही प्रबन्ध हो और हम उन तमाम हिस्सों को एक कर लें कि जो बहुत दूर दूर फैले हुए हैं और जिन में आने जाने की सुविधायें नहीं है और जहां रेलवे के न होने की वजह से हम जनता को वह तमाम सुविधायें जो ज़िन्दगी के लिये ज़रूरी हैं, नहीं दे सकते हैं। अगर नई नई लाइनों को बढ़ाया गया तो हम उन को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।

आप यह भी जानते हैं कि रेलवे हमारे मुल्क का एक ऐसा विभाग है कि जिस से हमारे राष्ट्र को आर्थिक फ़ायदा होता है। अगर हम इस प्रकार से नई नई लाइनों को बढ़ायें और नई नई जगहों पर रेलों को स्थापित करे तो निस्सन्देह यह आर्थिक सहायता जो हम को मिलती है, यह आर्थिक बल जो हमें प्राप्त होता है, यह बल भी हम को अधिक मिल जायेगा। हमारे सामने विरोधी दल के बहुत भाइयों ने यह बताया है कि बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं कि जिन को लड़ाई से पहले तोड़ दिया गया था, उन को बहुत जल्दी बनाया जाय, कुछ यह भी चाहते हैं कि उन के अपने अपने इलाकों में नई नई लाइनें खोली जायें। मगर सरकार का यह विचार है कि वह यह नहीं कर सकती कि चन्द जगहों में लाइनें खोल दे और जो जगह बहुत ज़रूरी हैं और जहां पर कि लाइनों का खोला जाना आम जनता के लिये ज्यादा फ़ायदेमन्द है, और जिन इलाकों को बड़े हिस्सों से मिलाना बहुत ज़रूरी है, वहां पर लाइनें न खोले। हमारे लिये यह ज़रूरी है कि हम सारे हिन्दुस्तान की भलाई का ख़याल रखते हुए सब से पहले ऐसे ऐसे हिस्सों में लाइनें बढ़ायें कि जिन हिस्सों से सारे देश को फ़ायदा पहुंच सकता है, और जिस से सारा देश लाभ उठा सकता है। हमारे रेल मंत्री ने अभी दो दिन हुए जब यह बताया था कि उन का यह ख़्याल है कि हिन्दुस्तान में हर साल नई नई लाइनों को बढ़ाया जाय और बहुत सी ऐसी लाइनों को जो कि लड़ाई के ज़माने में यह समझ कर बन्द कर दी गई थीं कि इन के बिना काम चल सकता है, उन को अब फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता स्थापित किया जाय। इन में से बहुत सी लाइनें स्थापित हो चुकी हैं और बहुत सी लाइनें और स्थापित करने का उन्हों ने हम को आश्वासन दिया है। हमें यह विश्वास है कि हमारे रेल मंत्री जो कि देश के फ़ायदे के लिये अपना हर समय लगाते हैं वह इस तरफ अधिक से अधिक ध्यान देंगे और इस बात का ख़्याल ख़ास तौर पर रखेंगे कि जिन इलाक़ों के अन्दर लाइनों के न होने से सारे देश का नुक़सान हो रहा है वहां पर सब से पहले नई लाइनें डाली जायें। ताकि देश का अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस समय हमारे सामने सब से बड़ा काम यही है कि हम इस तरफ़ तवज्जह दें और उन इलाक़ों की तरफ़ तवज्जह दें और उन इलाक़ों

[श्री राधा रमण]

में लाइनें डालें कि जहां लाइनें डाले बग़ैर हम अपने देश का बहुत नुक़सान देख रहे हैं।

मैं इस सिलसिले में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो इस वक्त रेलवे की स्थिति है उस का आज से पांच वर्ष पहिले की स्थिति से जब मुक़ाबिला किया जाता है तो हमें काफ़ी संतोष होता है। नुक्स निकालने के लिये तो हम किसी भी अच्छी से अच्छी चीज़ में नुक्स निकाल सकते हैं। लेकिन यह बात हर शख्स को माननी पड़ेगी कि पिछले पांच सालों में हमारे देश की रेलवे की व्यवस्था पहले से बहुत काफ़ी सुधरी है और दिनों दिन वह सुधरती जा रही है।

यह बात बार बार कही जाती है कि रेलवे में जो किराये हैं उन को घटा कर कम किया जाय और छोटी क्लास के लोगों के लिये सुविधायें बढ़ाई जायें। यह वैसे तो मेरी समझ में एक बहुत अच्छी चीज़ है और कोई भी संसद् सदस्य ऐसा नहीं होगा जो कि इस की मुख़ालिफ़त करे मगर देखना यह होगा कि आज अगर हम इस क़दम को उठाते हैं तो इस से हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। अपने देश को और क्या फ़ायदा हम पहुंचा सकेंगे। मेरा अपना यह ख़्याल है कि जब तक हमारे देश के अन्दर उन तमाम इलाक़ों में जहां आज रेलों के द्वारा नहीं पहुंच सकते और जहां से लाइनें डालने की मांग आती रहती है लाइनें नहीं डाल दी जातीं उस वक्त तक रेलों के किराये और भाड़े घटाना किसी के लिये लाभकारी नहीं होगा। वैसे हम यह चाहते हैं कि रेट्स कम हों और इस देश में तमाम दुनिया के देशों से छोटे दरजे के यात्रियों को अधिक सुविधायें हों और बड़े दरजों के लिये भी रेट्स कम हों।

मगर जब तक हम अपने मुल्क के एक हिस्से दूसरे हिस्से तक रेलों को बिछा नहीं देते और उन के ज़रिये आम लोगों की आमदरफ्त को हम मुनासिब तरीक़े पर नहीं पैदा कर देते तब तक हमारे लिये यह ज़रूरी है कि हम इन रेट्स को घटाने की बात न करें। अगर करते हैं तो यह हमारे ही ऊपर पड़ेगा और इस से मुल्क को भी बहुत नुक़सान हो सकता है। इस लिये मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज हमारे सामने जितने नक़ायस विरोधी दल के सदस्यों ने बताये हैं, वह नकायस हो सकता है कि मुनासिब हों और हमारे रेलवे मंत्री उन को दूर करने की कोशिश करें और वह करेंगे जैसा कि उन्हों ने आश्वासन दिलाया है। हमारे सामने जो मुख्य मक़सद है, जो हमारी मंज़िल है वह हमारी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिये। और वह यह है कि हम अपने मुल्क में आमदरफ्त के ज़रिये को यानी रेल को इतना विस्तृत कर दें, इतना बिछा दें, कि हमारे मुल्क का कोई कोना रेल से ख़ाली न रह जाय ताकि जो लोग मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना चाहते हैं उन को थोड़ी से थोड़ी रक़म में जाने आने में सुविधा हो।

अब मैं आप से कुछ दिल्ली के बारे में ज़िक्र करना चाहता हूं। जहां आप के सामने यह सवाल है कि नई नई लाइनें खोली जायें और नई नई जगहें रेलें हो जायें, वहां उस सम्बन्ध में यह भी ख़्याल रखना चाहिये कि दिल्ली कैपिटल (राजधानी) है, यह दारुल-ख़िलाफ़ा है, यहां अगर छोटा सा भी नुक्स होता है तो वह सब की आंखों के सामने आ जाता है और इस लिये यह बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नुक्स हो उसे जल्दी से जल्दी दूर करें। मैं आप के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि चन्द वर्षों से बराबर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई है। यहां की आबादी को जो कि किसी ज़माने में पहले तीन लाख की थी वह अब

बढ़ कर २० लाख के क़रीब हो गई है। यह आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कोई कह नहीं सकता कि आइन्दा सालों में इस की आबादी कलकत्ता और बम्बई से भी ज्यादा न बढ़ जाये। ऐसी स्थिति में हमारे लिये यह ज़रूरी है कि इस शहर का जो रेल का कार्यक्रम है उस की तरफ़ ग़ौर करें और देखें कि दिल्ली की आबादी के लिये जो कि जैसा में ने बताया २० लाख के क़रीब पहुंच चुकी है, क्या कर सकते हैं। जहां तक मुझे मालूम है कुछ अर्सा हुआ कि यह तजवीज सोची गई थी कि दिल्ली जैसे कैपिटल में चारों तरफ़ एक ऐसी रेलवे लाइन बिछाई जायेगी जिस से कि इस के चारों तरफ़ जो टाउनशिप्स (बस्तियां) बने हैं, जहां कि हमारे शरणार्थी भाई आबाद हैं, या हमारे शहर की आम जनता घरों की क़िल्लत की वजह से बस गई है, उन को आसानी हो जाय और वह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकें। उस घोषणा के बाद हम अभी तक इस इतंज़ार में हैं कि वह दिन कब आयेगा जब कैपिटल के चारों तरफ़ लाइनें बिछ जायेंगी जिन के जरिये उन तमाम टाउनशिप्स के शरणार्थियों तथा गांवों और शहर के रहने वालों को यह सुविधा होगी कि वह आसानी से अपने इलाक़े से चल कर शहर में आ सकें। आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता इस बात से बहुत दुखी है कि उन को याता-यात का पूरा प्रबन्ध नहीं मिल रहा है। जो डी० टी० ऐस० से बहुत थोड़ा फ़ायदा आम जनता को हुआ है। कोशिश हो रही है कि उस को बढ़ाया जाय। और इतज़ाम में कुछ ऐसा सुधार किया जाय जिस से जनता को फ़ायदा मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों के ज़रिये इस सुविधा को पूरा नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप की वह स्कीम अर्थात् दिल्ली के चारों तरफ़ रेल बिछाने की योजना पूरी न की जाये। मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरफ़ ध्यान दें और कोशिश करें कि अपने बजट में इस योजना को प्रायरिटी (प्राथमिकता) की बेसिस (आधार) पर पहला स्थान दें। इस रेल बिछाने की स्कीम को पूरा कर के जो यातायात के बहुत अच्छे प्रबन्ध के न होने के कारण जनता को दुख है वह दूर हो सकेगा।

इस के अलावा मैं रेलवे मंत्री का ध्यान दो एक बातों की ओर और दिलाना चाहता हूं जो कि नई लाइनों के बनाने से ही सम्बन्ध रखती हैं। मैं ने जैसा अभी कहा कि हमारा शहर किसी ज़माने में तीन या चार लाख आबादी के लिये बसाया गया था और आज उस की आबादी २० लाख के क़रीब है और यह आबादी हर साल दिन पर दिन बढ़ रही है और अगर आप किशनगज की तरफ़ जांय तो वहां आप पायेंगे कि कई छोटे छोटे ब्रिजेज़ (पुल) या दरवाज़े हैं जहां आध आध घंटे १५-१५ मिनट टांगों में, बसों में और पैदल या अपनी सवारियों में लोग खड़े रहते हैं और वहां बराबर इंजन शंटिंग किया करते हैं और गाड़ियां पास होती रहती हैं। राजधानी में जहां की आबादी इतनी बढ़ गई है यह ज़रूरी है कि ऐसे जो छोटे छोटे पुल हैं या दरवाज़े हैं, उन को ओवर ब्रिजेज़ में बदल दिया जाय ताकि आमदरफ्त ओवरब्रिज से हो सके।

मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि दिल्ली शहर और काश्मीरी दरवाज़े को मिलाने के लिये जो ओवरब्रिज है उस के सम्बन्ध में कई बार रेलवे मिनिस्ट्री को लिखा है। इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्री को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यह ओवरब्रिज ऐसा है जिस के नीचे दस दस इंजन खड़े रहते हैं और इस से इतना धुंआ निकलता है कि आम जनता जो उस ब्रिज पर से गुजरती है वह बराबर उस धुंयें को अपने शरीर के अन्दर डालती जाती है और उस से उन को काफ़ी नुक़सान

[श्री राधा रमण]

पहुंचता है। कई बार इस सिलसिले में मैं ने रेलवे मिनिस्ट्री को लिखा है। मैं समझता हूं कि इन छोटी छोटी बातों को जिन में ज्यादा ख़र्च नहीं होता, मान कर हम अपनी राजधानी को सुधार सकते हैं और आम जनता की जो शिकायतें हैं उन को दूर कर सकते हैं।

इसी तरह एक दो दरवाज़े और भी हैं जहां से लाइनें गुज़रती हैं, मसलन यहां से ओखले जाने के रास्ते में। जब बहुत कम आमदरफ्त थी उस समय तो यह दरवाज़े ठीक हो सकते थे लेकिन जब आमदरफ्त बहुत हो गई है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जायगा और मुझे विश्वास है कि हमारे रेलवे मंत्री इन बातों पर ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग के विषय में अपनी पूरी सहमति प्रकट करता हूं और इस की ताईद करता हूं और मुझे विश्वास है है कि रेलवे मंत्री जिस प्रकार से अपने इस काम को संभाल रहे हैं और जिस प्रकार के आश्वासन उन्हों ने हमें दिये हैं कि देश में रेलवे के विषय में सुधार होगा, वह अवश्य पूरे होंगे और हम जल्दी देखगे कि जो नकायस हम या विरोधी दल के भाई बताते हैं वे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं और हमारा रेलवे विभाग तमाम दुनिया के विभागों में एक सुन्दर विभाग समझा जाता है।

श्री एल० बी० शास्त्री : अनेक सदस्यों ने नई लाइनें बनाने के सम्बन्ध में अनेक सुझाव रखे हैं किन्तु मैं यह नहीं बतला सकता कि मैं उन में से कितनों से सहमत हूं तथा कितनों से नहीं। । किन्तु मैं उन सब पर विचार करने के लिये तैयार हूं। सब से पहले मैं सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि हमारी उपाय और साधन की स्थिति बहुत ही सीमित है। मार्च, १९५२ में होने वाली अपनी बैठक में यातायात केन्द्रीय बोर्ड ने नई लाइनें बनाने के लिये लग भग ७० करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया था।

सन् १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में लगभग २३ करोड़ रुपया लाइनों पर खर्च करने का विचार है। इस प्रकार और नई लाइनों को हाथ में लेना तब तक सम्भव नहीं है जब तक हमारी स्थिति कुछ और सुधर नहीं जाती है।

उड़ीसा, आसाम इत्यादि में नई लाइनें बनाने के अनेक सुझाव रखे गये हैं। इस समय तो मैं इन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता किन्तु इन को जांच के लिये सुपुर्द कर दूंगा।

नई लाइनों के बनाने के लिये इस वर्ष ४.७६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस में उन लाइनों के लिये भी प्रावधान है जो उखाड़ दी गई थीं। इस में से ३६१.४७ लाख नई लाइनों पर और शेष, अर्थात् ११४.०७ लाख रुपया उखाड़ी गई लाइनों को पुनः लगाने पर व्यय किया जायेगा। सदस्यों ने अनेक सुझाव रखे हैं तथा बहुत से मेरे पास बाहर से भी आये हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव होगा मैं उन सब पर विचार करने के पश्चात् ही निर्णय करूंगा।

यदि आप चाहें तो मैं गोरखपुर दुर्घटना के सम्बन्ध में भी कुछ कह दूं। मुझे खेद है कि इस प्रकार की घटना हुई। यदि हम उन कारणों पर विचार करें जिन के कारण हड़ताल की गई तो हम आश्चर्य में पड़ जायेंगे। मुझे दुखः होता है कि जिन मामूली बातों को ले कर हड़ताल की गई थी तथा धरना दिया गया था वह ऐसी नहीं थी जिन को इतना महत्व दिया जा सकता था। बात वास्तव में यह थी कि कुछ क्लर्कों को रेलवे सेवा आयोग के सामने

उपस्थित होना था। सदन को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि ३७१ क्लर्कों में से २७७ ने आयोग के सामने उपस्थित होना स्वीकार कर लिया था। केवल कुछ ही ऐसा नहीं करना चाहते थे। किन्तु एकता बनाये रखने के लिये बाद में उन्हें भी अपनी राय बदलने पर मजबूर किया गया। मजदूरों ने घूम घूम कर हड़ताल करने के लिये लोगों को उकसाया यह हालत तीन दिन तक चलती रही। अन्त में वे यातायात प्रबन्धक तथा महा-प्रबन्धक से मिले। महाप्रबन्धक ने उन से कहा कि वे अपने संघों के द्वारा उन से मिलें। किन्तु उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उन के कमरे के सामने उग्र प्रदर्शन करते रहे। इस पर उन से वहां से हट जाने के लिये कहा गया। किन्तु वह वहां से नहीं हटे। नारे लगाय गये तथा हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिये भाषण दिये गये। इस पर महाप्रबन्धक ने जिला मजिस्ट्रेट से निवेदन किया कि वह स्थिति को अपने हाथों में ले लें। आगे जिला मजिस्ट्रेट ने क्या किया इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि गृह कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं। किन्तु कुछ सदस्यों का यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि महाप्रबन्धक ने मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया। सरकारी तथा गैर सरकारी सूत्रों से जांच करने के पश्चात् मैं इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि महाप्रबन्धक का दृष्टिकोण गलत नहीं था।

वास्तव में बात यह थी कि उस समय मजदूर जोश में थे। वह अपनी बात मनवाना चाहते थे—महाप्रबन्धक माने तो ठीक, न माने तो मनवा लेंगे यह था उन का दृष्टिकोण। यदि सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाये तो मेरे विचार से यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि जो हड़ताल की गई थी उस के किये जाने के कोई कारण नहीं थे। तथा बहुत से संघ कर्मचारियों की भी यही राय है। यदि कुछ क्लर्क आयोग के सामने अपनी योग्यता प्रगट करने में असमर्थ थे तो इस का यह अर्थ तो नहीं था कि वे दूसरे २७७ क्लर्कों को भी वहां जाने से रोकते।

मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में क्योंकि यह बात निश्चित ही थी कि वह गोली से मरा था इसलिये कोई शव परीक्षा नहीं की गई न कोई एक्सरे ही लिया गया। घावों से यह स्पष्ट था कि उस की देह में कोई गोली नहीं थी। यह कहना गलत है कि एक्सरे की मशीन काम नहीं कर रही थी। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि घायलों की भली भांति देख भाल की गई। मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि किसी न्याय सम्बन्धी जांच की मांग नहीं की गई है। इस मामले में ऐसी जांच कराना केवल दिखावा मात्र होगा।

निस्सन्देह, क्षतिपूर्ति का प्रश्न उत्तर प्रदेश की सरकार से सम्बन्ध रखता है। गोरख-पुर से आने वाले एक सदस्य ने यह बात कही थी कि मजदूरों को हड़ताल काल का वेतन दिया जाये। किन्तु मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि परामर्शदात्री समिति ने यह बात पहले ही मान ली थी कि कर्मचारियों को हड़ताल काल का वेतन नहीं दिया जावेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि जो कर्मचारी मर गये हैं उन के लड़कों को नौकरी दी जाये। तत्काल ही तो इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता किन्तु मैं प्रयत्न करूंगा कि उन्हें कहीं न कहीं नौकरी अवश्य मिल जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

पाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है कि

"नये रेल पथों का निर्माण—पूंजी तथा अवक्षयण निधि के लिये ३१,८३,००० रुपये की राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

इस के पश्चात् मांग संख्या १, ४, ९क तथा १५ को अतिरिक्त आदेश पत्र के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई मांगें स्वीकार कर ली गई जो इस प्रकार थीं :

मांग संख्या २—लेखा परीक्षा

'लेखा परीक्षा' मांग के लिये २३,२७,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३—फुटकर व्यय

'फुटकर व्यय' मांग के लिये ४७,५०,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवाहक व्यय—मरम्मत तथा संधरण

'साधारण कार्यवाहक व्यय—मरम्मत तथा संधरण' मांग के लिए ४२,१६,०६,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६—साधारण कावार्यहक व्यय—सेवायुक्त कर्मचारी

'सावारण कार्यवाहक व्यय—सेवायुक्त कर्मचारी' मांग के लिये २७,३८,३७,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवाहक व्यय—संचालन (ईंधन)

साधारण कार्यवाहक व्यय—संचालन (ईंधन)' मांग के लिये ११,६६,८९,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ८—साधारण कार्य-वाहक व्यय—कर्मचारियों यथा ईंधन के अतिरिक्त व्यय

'साधारण कार्यवाहक व्यय—कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त व्यय' मांग के लिये ९,५९,५८,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ९—साधारण कार्य-वाहक व्यय—फटकर व्यय

'साधारण कार्यवाहक व्यय—फुटकर व्यय' मांग के लिये ११,९४,०७,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १०—भारतीय राज्यों तथा समवायों को भुगतान

'भारतीय राज्यों तथा समवायों को भुगतान' मांग के लिये २७,०८,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ११—अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

'अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग' मांग के लिये ३०,००,००,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १२क—खुले रेल पथों का संचालन—(राजस्व) श्रम कल्याण।

'खुले रेल पथोंका संचालन—(राजस्व) श्रम कल्याण' मांग के लिये ९४,१४,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १२ख—खुले रेल पथों का संचालन (राजस्व)—श्रम कल्याण के अतिरिक्त ।

'खुले रेल पथों का संचालन (राजस्व)—श्रम कल्याण के अतिरिक्त' मांग के लिये २,८०,९२,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई।

मांग संख्या १३—विकास निधि में विनियोग

'विकास निधि में विनियोग' मांग के लिये १२,००,००,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

'राजस्व रक्षित निधि में विनि, योग' मांग के लिये ११,४७,०७,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १६—खुले रेल पथों का संचालन—विस्तार

'खुले रेल पथों का संचालन—विस्तार' मांग के लिये ९,०१,१६,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १७—खुले रेल पथों का संचालन—प्रतिस्थापन

'खुले रेल पथों का संचालन—प्रतिस्थापन' मांग के लिये ३४,०४,९९,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १८—खुले रेल पथों का संचालन विकास निधि

'खुले रेल पथों का संचालन—विकास' मांग के लिये ७,२४,६१,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १९—विजगापट्टम पत्तन पर पूंजी व्यय

'विजगापट्टम पत्तन पर पूंजी व्यय' मांग के लिये ११,८८,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

मांग संख्या २०—सामान्य राजस्व को देय लाभांश

'सामान्य राजस्व को देय लाभांश' मांग के लिये ३४,००,१६,००० रुपये की राशि स्वीकार की गई ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १० जून १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।